काका कालेलकरनां गुजराती प्रकाशनो

कालेलकरना लेखो	३—०—०
जीवननो आनंद	१—८—०
जीवनभारती	२—८—०
जीवनसंस्कृति	२—८—०
हिमालयनो प्रवास (टिप्पण साथे)	१—०—०
ब्रह्मदेशनो प्रवास	०—३—०
स्मरणयात्रा	१—८—०
जीवता तहेवारो	०—१२—०
लोकमाता	०—६—०
ओतराती दीवालो	०—६—०
सद्बोधशतकम्	छपाय छे.
जीवनविकास	बीजी आवृत्ति छपाशे.

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अमदावाद

श्री. महादेव देसाईनां गुजराती प्रकाशनो

बारडोली सत्याग्रहनो इतिहास	१–१२—०
मारी जीवनकथा – जवाहरलाल नेहरु	३—०—०
सत्याग्रहनी मर्यादा	१—४—०
विराजवहु	०–१०—०
त्रण वार्ताओ	०–१२—०
संत फ्रान्सिस	०—३—०
एक धर्मयुद्ध	०—६—०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अमदावाद

एक धर्मयुद्ध

[अहमदाबाद के मिल-मजदूरों की लड़ाई का इतिहास]

लेखक

महादेव हरिभाई देसाई

अनुवादक

काशिनाथ त्रिवेदी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद

श्री. महादेव देसाईनां गुजराती प्रकाशनो

बारडोली सत्याग्रहनो इतिहास	१-१२—०
मारी जीवनकथा – जवाहरलाल नेहरु	३—०—०
सत्याग्रहनी मर्यादा	१—४—०
विराजवहु	०-१०—०
त्रण वार्ताओ	०-१२—०
संत फ्रान्सिस	०—३—०
एक धर्मयुद्ध	०—६—०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अमदावाद

एक धर्मयुद्ध

[अहमदाबाद के मिल-मजदूरों की लड़ाई का इतिहास]

लेखक

महादेव हरिभाई देसाई

अनुवादक

काशिनाथ त्रिवेदी

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

अहमदाबाद

प्रस्तावना

हिन्दी में इस छोटी-सी पुस्तक का यह संस्करण प्रकाशित हो रहा है, यह जान कर मुझे खुशी होती है। जब यह 'धर्मयुद्ध' हुआ था, तब शायद ही किसीको यह खयाल आया हो कि युद्ध का अंतिम परिणाम क्या होगा। टेकवाले मजदूरों की टेक की सबने सराहना की और थोडे ही समय में लोग इसे भूल गये। लेकिन आज इस युद्ध के इतिहास की मांग हर एक भाषा में हो रही है। उस समय तो लडनेवालों के साथी इनेगिने ही थे, पर आज मज़दूरों के लिए लडनेवाले बहुत खडे हो गये हैं। फिर भी, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि दर असल यह एक धर्मयुद्ध था। इस युद्ध के फलस्वरूप ही आज अहमदाबाद का मजूर-महाजन-संघ हिन्दुस्तान की एक अद्वितीय संस्था बन पाया है; यही नहीं, बल्कि आज सारी दुनिया में उसका अपना अद्वितीय स्थान है, क्योंकि सत्य और अहिंसा को सामने रखकर इस संघ ने जितना काम किया है, उतना शायद ही दूसरे किसी मज़दूर संघ ने किया होगा। उस समय मज़दूर अपनी मज़दूरी में कुछ टकों का इज़ाफ़ा कराने के लिए लडे थे और उस लडाई में कामयाब हुए थे। लेकिन आज मजदूरों के सामने एक ही ध्येय है: मिलों के स्वामित्व में तथाकथित मालिकों के साथ बराबरी का हिस्सा प्राप्त करना। जिस तरह पूँजी धन है, उसी तरह मेहनत भी धन है, और बेशक़ीमती धन है। मिलों पर इन दोनों धनपतियों का

संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए । १९१८ का यह धर्मयुद्ध लड़कर मज़दूरों ने अपने धन के महत्त्व को समझा है । अभी संयुक्त स्वामित्व प्राप्त करने की शक्ति उन्हें मिली नहीं है, पर वे बड़े वेग से उसका सग्रह करते जा रहे हैं । जिस दिन यह शक्ति वे प्राप्त कर लेंगे, उस दिन संभव है कि मालिक उन्हें स्वामित्व-प्राप्ति के लिए हड़ताल करने को मजबूर न करें, उलटे अपने आप भाई कहकर उन्हे अपना लें और उनको अपना भागीदार बना लें । अहिंसा के ऐसे अद्भुत फल निपजते हैं । लेकिन इस सबके लिए धैर्य की आवश्यकता है, संयम और अनुशासन की आवश्यकता है, सघशक्ति और सघनिष्ठा की आवश्यकता है । अहमदाबाद के मज़दूरों में ये सब गुण हैं । इन गुणों के बल पर वे अपना ध्येय प्राप्त करें, यही मेरी कामना है । यदि वे ऐसा कर सकेंगे तो कहा जायगा कि उन्होंने श्री० अनसूयाबहन, श्री० शकरलालभाई, और श्री० गुलज़ारीलाल के मार्गदर्शन को सफल सिद्ध किया है, क्योंकि इन लोगों के दिल में तो मज़दूरों को उनके असली स्थान तक पहुँचा देने के सिवा और कोई मनोरथ न था, न है ।

महादेव देसाई

विषयसूची

एक धर्मयुद्ध

(अहमदाबाद के मिल-मज़दूरों की लड़ाई का इतिहास)

१

'ख़ुदा इज़्ज़त वहुत देवे मेहरवान गांधी को,
दुवायें दे रहे हैं हिन्दू-मुसलमान गांधी को।
ग़रीवों के लिए उन्होंने यह सदमा उठाया;
गोया हमें भी ख्वावे गफ़लत से जगाया।
हम तो समझे हैं कि तनहाई का साथी पाया,
फ़तह दे कुदरतेग़ैव से तू हमको ख़ुदा या।
मेहरवान गांधी और वहन अनसूया हमारी,
ता क़यामत नाम उनका रहे दुनिया में जारी।'

गांधीजी के सत्याग्रह आश्रम में ब्रह्मचारी सुवह–शाम जो प्रार्थना करते हैं, उसमें उनके जीवन-ध्येय को प्रकट करनेवाले मंत्रों और भजनों की वहुतायत है। गांधीजी चाहते हैं कि इन मंत्रों और भजनों का रहस्य ब्रह्मचारियों की आत्मा में घुलमिल जाय और आगे चलकर उनके प्रत्येक कार्य द्वारा वह उदात्त रूप में प्रकट होता रहे। हम देख रहे हैं कि आश्रम में नित्य रटे जानेवाले पद 'कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्' और आश्रम के प्रिय भजन 'वैष्णव जन तो तेने कहीए जे पीड पराई जाणे रे' का भाव ही गांधीजी की सभी प्रवृत्तियों का केन्द्र वना हुआ है।

ये दोनों भजन जितने सादे उतने ही गंभीर भी हैं। इनमें ममत्व या अभिमान का अंश नहीं। इनकी एकमात्र तीव्र आकांक्षा

यही है कि मनुष्य की समस्त प्रवृत्तियां एक इष्ट दिशा में प्रवर्तित होती रहें ।

इसीलिए एक सच्चे सत्याग्रही ने इनको अपने आचारसूत्र के रूप में अपनाया है । वह ममत्व या अभिमान वश सत्याग्रह के क्षेत्र की खोज नहीं करता । उसे सत्याग्रह के विषय अपनेआप मिलते रहते हैं, और उन विषयो को अपने हाथ में लेने के सिवा सत्याग्रही के लिए दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता । गांधीजी चंपारन को खोजने नहीं गये, बल्कि चंपारन ही उन्हें खींचकर ले गया । खेड़ा के किसानों की लड़ाई वे खुद मोल लेने नहीं गये, वह उन्हें सौंपी गई । हां, यह जरूर है कि गांधीजी ने जिस किसी भी काम को हाथ में लिया, उसको तबतक नहीं छोड़ा, जबतक उसका कोई परिणाम प्रकट न हो गया ।

अहमदाबाद के मिलमज़दूरों की लड़ाई में भी गांधीजी को दूसरों की इच्छा से ही शामिल होना पड़ा । खेड़ा के प्रश्न को लेकर गांधीजी को २ फरवरी के दिन बम्बई जाना पड़ा था । वहां सेठ अंबालाल साराभाई से उनकी भेंट हुई । श्री० अंबालाल-भाई ने अपने पास के कुछ कागज-पत्र दिखाकर गांधीजी से कहा कि अहमदाबाद के मिलमज़दूरो मे 'बोनस' के बारे मे असंतोष है, और डर है कि कहीं वे हड़ताल न कर दें । यदि ऐसा हुआ तो उसका नतीजा अच्छा न होगा । इसलिए उन्होंने गांधीजी को सलाह दी कि वे इस सवाल को अपने हाथ में लें । श्री० अंबालालभाई ने जो भय व्यक्त किया, वह गांधीजी को गंभीर मालूम हुआ । उन्होंने सोचा: 'यदि सचमुच स्थिति ऐसी ही है, तब तो सारे अहमदाबाद शहर की शान्ति खतरे में पड़

सकती है'। अतएव गांधीजी ने निश्चय किया कि वे [illegible] इस संकट को टालने का यत्न करेंगे।

गांधीजी ने अहमदाबाद पहुँचकर मजदूरों और मिलएजन्टों की स्थिति और दृष्टि को समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि पिछले अगस्त में बुनाई विभाग के मज़दूरों को मनचाहा 'प्लेग बोनस' मिल रहा था। इस बोनस के लोभ में बुनाई विभाग के बहुत से मज़दूर, जो साधारण दशा में प्लेग के कारण अहमदाबाद छोड़कर चले जाते, अपनी जान को खतरे में डालकर भी मिलों से चिपटे हुए थे। जांच करने से मालूम हुआ कि कई मामलों में तो यह 'प्लेग बोनस' मजदूरों को उनकी मज़दूरी के अलावा करीब ७०-८० फीसदी ज्यादा दिया जाता था। और चूंकि प्लेग बन्द होने पर भी अनाज, कपड़े और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अन्य चीज़ों के दाम पहले से दुगने, तिगुने और कहीं-कहीं चौगुने तक हो गये थे, यह 'बोनस' जारी रहा था।

इस बोनस को एकाएक बंद कर देने के मिलमालिकों के निश्चय से बुनाई विभाग के मज़दूरों में काफी खलबली मची थी। श्री० अनसूयाबहन से मिलकर वे रोज अपना असंतोष उनके सामने प्रकट करने लगे थे। अब वे 'प्लेग बोनस' के बजाय महँगाई का कम से कम ५० फ़ीसदी भत्ता चाहते थे। गांधीजी ने अहमदाबाद पहुंचकर वहां के खास-खास मिलएजन्टों से बातचीत शुरू की। वे लोग भी इस प्रश्न को सुलझाने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। गांधीजी ने अबतक इस झगड़े में सीधा भाग लेने का निश्चय नहीं किया था। इधर हालत दिन-ब-दिन नाजुक होती जा रही थी। सरकार के पास भी सारा मामला पहुँच चुका था, और ता० ११

को अहमदावाद के तत्कालीन सहृदय क्लेक्टर ने गाधीजी को नीचे लिखा एक खत भेजा था।

'वोनस के प्रश्न को लेकर मिलमालिको और मजदूरों के दरम्यान एक वहुत ही गंभीर हालत पैदा हो जाने का अंदेशा है। मालिक लोग मिलें वंद करने की धमकी दे रहे हैं, इससे लोगों को वहुत तकलीफ और दु ख होने की आगका है। अतएव मै सारी परिस्थिति को उसके सच्चे स्वरूप मे समझने को उत्सुक हूँ। मुझे पता चला है कि अगर मिलमालिक किसीकी सलाह पर ध्यान देंगे, तो वह आपकी ही सलाह होगी। आपको उनके प्रति काफी सहानुभूति भी है, और मुझसे कहा गया है कि आप उनकी वात मुझे भलीभांति समझा भी सकते हैं। अतएव मैं आपका वहुत आभारी हूँगा, अगर आप कल किसी समय अवसर पाकर अपना एकाध घंटा मुझे देने की कृपा करेंगे।'

गाधीजी कलेक्टर, मिलएजन्ट और मजदूर, सवसे मिले। सवके साथ उन्होंने सलाह-मशविरा किया। अत में, दोनों पक्षों ने यह स्वीकार किया कि इस झगडे का फैसला पंचों द्वारा कराया जाय। पंचों में मालिको की ओर से सेठ अवालालभाई, सेठ जगाभाई दलपतभाई, और सेठ चंदुलाल एवं मजदूरों की ओर से सर्वश्री गांधीजी, वल्लभभाई पटेल और शंकरलाल वैंकर तथा सरपच के स्थान पर क्लेक्टर साहव नियुक्त किये गये।

इसके वाद तुरन्त ही गांधीजी को खेडा जाना पड़ा। वहां की हालत भी नाज़ुक थी। खेडा में उन्होंने जांच का कार्य शुरू कर दिया था और वे उसीमें गड़-से गये थे। इतने में श्री अनसूयावहन ने खवर भेजी कि अहमदावाद की हालत नाज़ुक है, और मिलमालिक मिलकर मिलों में 'लॉक आउट' का ऐलान करने की

तैयारी कर रहे हैं। इस पर गांधीजी अहमदाबाद आये। उन्हें पता चला कि किसी ग़लतफ़हमी के कारण कई मिलों के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। पंचों की नियुक्ति के बाद मज़दूरों का यह कार्य गांधीजी को अनुचित मालूम हुआ। जो कुछ हो चुका था, उसके लिए उन्होंने मिलमालिकों के सामने अपना खेद प्रकट किया, और कहा कि मज़दूर अपनी गलती को दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। यहां यह कह देना ज़रूरी है कि इस मामले में मिलमालिक बिलकुल बेकसूर तो नहीं थे, फिर भी गांधीजी ने अपने पक्ष के कसूर को ही बड़ा माना और उसे सुधार लेने की तत्परता दिखाई। लेकिन बात मालिकों के गले न उतर सकी। वे इस हकीकत पर ज़ोर देने लगे कि चूँकि पंच की नियुक्ति के बाद मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है, इसलिए, पंच-फैसले की बात अब ख़त्म हो जाती है। पंच के बंधन से वे अपने को मुक्त समझते हैं, और जो मज़दूर २० प्रतिशत भत्ता लेकर काम करने को तैयार नहीं हैं, उन्हें निकाल देने का निश्चय कर चुके हैं। इस संकट को टालने के लिए गांधीजी ने अथक परिश्रम किया; लेकिन मिलमालिक मज़दूरों की गलती पर ही ज़ोर देते रहे, और खुद ज़रा भी टस से मस न हुए।

इसके बाद से गांधीजी मज़दूरों में ख़ूब हिलने-मिलने लगे। वे श्री० अनसूयाबहन, और श्री० शंकरलाल बैंकर के सिवा उन लोगों से भी मिलने और सलाह-मशविरा करने लगे, जो मिल-मज़दूरों की हालत से वाक़िफ़ थे और तनख्वाह वगैरा की जानकारी रखते थे। उन्होंने बड़ी बारीकी से नीचे लिखे सवालों की छानबीन शुरू की: अहमदाबाद के मज़दूरों को कितनी मज़दूरी मिलती है? बम्बई के मज़दूरों को क्या मिलता है? मज़दूरों की

मांग क्या है? मालिकों की हालत कैसी है? लड़ाई के पहले उन्हें कितना कमीशन मिलता था? लड़ाई के वाद अव कितना मिलता है? युद्ध के वाद कपड़ा तैयार कराने का जो खर्च वढ़ा है, उसे ध्यान मे रखते हुए मिलमालिक आज मज़दूरों की मांग पूरी कर सकते हैं या नहीं? इत्यादि। इस छानवीन के वाद उन्होंने इन प्रश्नों पर अपनी राय भी कायम की। गांधीजी ने अपने दिल में यह तय कर लिया कि मजदूरों को ३५ प्रतिशत से ज्यादा भत्ता नहीं मांगना चाहिए। और, उनको एक मर्यादा के अदर रखने के लिए इसी मतलव की सलाह भी दे देनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि मज़दूरो को यह सलाह देने से पहले न्यायोचित यह होगा कि मिलमालिको को अपने इस निश्चय की सूचना कर दी जाय, और इसके वारे में उनकी क्या राय है, उन्हें क्या कहना है, सो जान और सुन लिया जाय। यह सोचकर मालिको को इस निश्चय की खवर दी गई, और उनसे प्रार्थना की गई कि वे इस संवध मे अपनी विस्तृत राय भेजें और मदद भी करें। मिलमालिक कोई सहायता तो कर नहीं सकते थे, अतएव उन्होने यह कहकर वात को उडाना चाहा कि सरकार और वम्वई के मिल-मालिक तो वहुत ही कम इज़ाफा दे रहे है। उनकी यह सूचना न केवल अप्रस्तुत थी, वल्कि आज की हालत में उन्हें ख़ुद क्या देना चाहिए, इस सीधे सवाल को टालने का एक वहाना भी थी। अव गांधीजी और उनके साथियों के लिए मजदूरों को ३५ प्रतिशत वृद्धि की मांग पेश करने की सलाह देने के सिवा और कोई मार्ग ही न रहा। अवतक जो मजदूर महॅगाई का ५० फीसदी भत्ता मांग रहे थे, उनको उनके सलाहकारों ने खूव समझा-वुझा कर ३५ फीसदी से सन्तोष कर लेने की सलाह दी। मजदूरों ने

भी थोडी आनाकानी के बाद अपने सलाहकारों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया ।

यहाँ यह कह देना जरूरी है कि 'आग्रह' का तत्त्व इसके पहले ही दोनो पक्षो के दिल में घर कर चुका था । ताना-खाते के मजदूरो ने जबसे अपना संघ स्थापित किया था, तभी से मज़दूरो में ऐक्य और आग्रह की नींव पड चुकी थी । मज़दूरो के संगठन का सामना करने के इरादे से मिलमालिकों ने भी अपनी गुटबंदी शुरू कर दी थी । इन दोनो पक्षो के बीच २५ दिनो तक पूरी ताकत और तनातनी के साथ, बिना किसी प्रकार की कटुता के, जो लडाई जारी रही, उसे अकेला अहमदाबाद शहर ही नहीं, बल्कि सारा गुजरात और कुछ हद तक सारा हिंदुस्तान भी दम साधे देख रहा था ।

आइये, हम इस लडाई की खास-खास घटनाओ को और इसके भीतरी रहस्यो को ज़रा निकट से देखें ।

जिस दिन मजदूरो ने अपने सलाहकारो की सलाह मानकर सारी जिम्मेदारी उन पर छोड दी, उसी दिन से मज़दूरों के उमडते हुए उत्साह को ठीक राह पर लाने, और उनमें पाई जानेवाली 'मस्ती' पर और उनकी दूसरी खासियतो पर लगाम चढ़ाने के खयाल से गांधीजी ने इस लडाई को 'धार्मिक' स्वरूप देने के उपाय सोचने शुरू किये । मजदूरो के अन्दरूनी और बाहरी जीवन मे घुसे बिना, उन्हें सिर्फ सलाह देते रहना शायद बेकार होता, और बिलकुल बेकार न होता, तो भी उसकी सफलता में कोई ख़ूबी, कोई अर्थ, न रह जाता, इसलिए यह तय पाया कि भिन्न-भिन्न उपायों से मजदूरों के साथ सजीव संबंध बढ़ाया जाय, यानी उनमें घुलने-मिलने की कोशिश की जाय । इसके लिए नीचे लिखे तरीके सोचे गये :

बनाया है। अतएव उन्होंने हमेशा अपनी कोशिश भर इस बात का खयाल रक्खा है कि उनकी प्रवृत्तियों के बारे मे अखबारों में सच्ची-झूठी खबरें जहां तक हो, न छपें। यही वजह है कि चम्पारन मे 'जांच' की मुख्य घटना को छोड वहाँ की जनता के आन्तरिक जीवन मे परिवर्तन करने के लिए गाधीजी ने किन-किन उपायों से काम लिया और कितना परिवर्तन हुआ, इसका ठीक पता इतिहास का अध्ययन करनेवाली दुनिया को अकेले अखबारो से कभी चला ही नहीं। मजदूरों की लडाई के दिनों मे गाधीजी के जो व्याख्यान होते थे, उनका ब्यौरा जानबूझ कर अखबारो में नहीं दिया जाता था। अत.' उन व्याख्यानो के कुछ स्मरणीय उद्गार, और जो सुबोध-पत्रिकायें मज़दूरों मे बाँटी जाती थीं, उन पर किये गये विवेचनो के कुछ अश यहां दे देना जरूरी मालूम होता है। यहां यह भी बता देना ज़रूरी है कि ये पत्रिकायें प्रकाशित तो अनसूयाबहन के नाम से होती थीं, लेकिन इन्हें लिखते गाधीजी ही थे। ये सब पत्रिकायें इस पुस्तक के अन्त मे अक्षरशः दी गई हैं। व्याख्यानों का साराश इस इतिहास में स्थान-स्थान पर आ ही जायगा।

शुरू-शुरू के व्याख्यान मज़दूरो को प्रतिज्ञा का रहस्य समझाने और उसके महत्त्व को उनके दिलों में ठॅसाने के लिए ही हुए।

मज़दूरो की प्रतिज्ञा इस प्रकार थी .

१ जुलाई की तनख्वाह के साथ जब तक ३५ प्रतिशत वृद्धि न मिले, नौकरी पर न जाना।

२ 'लॉक आऊट' के कायम रहते किसी प्रकार का दगा-फसाद न मचाना, मार-पीट और लूटमार से बचना, मालिको की जायदाद को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना, गाली-गलौच न करना और शान्ति से रहना।

मज़दूरो से कहा जाता था कि वे परमेश्वर को सामने रखकर यह प्रतिज्ञा करें। सभा में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होता था, जो सभा के एकसुर में अपना सुर न मिलाता हो। काम पर न जाने की प्रतिज्ञा लेनेवालो को जिन मुसीवतों का सामना करना पड़ सकता था, उनका जिक्र करते हुए एक सभा मे गांधीजी ने कहा था.

'आज 'लॉक आऊट' का पांचवां रोज है। आपमे से कई मानते होगे कि पांच-पन्द्रह दिन दुःख सह लेने से सव कुछ ठीक हो जायगा। मैं आपसे वार-वार कहता हूँ कि हम यह उम्मीद ज़रूर रक्खें कि हमारा काम कुछ ही दिनों में खत्म हो जाय, लेकिन इसके साथ ही हमारा यह दृढ़ निश्चय भी हो, कि जबतक हमारी आशा पूरी न होगी, हम मरमिटना क़बूल करेंगे, लेकिन काम पर हरगिज न जायेंगे। मजदूरो के पास रुपये-पैसे नहीं हैं, लेकिन याद रखिये कि रुपये-पैसे से भी अधिक मूल्यवान धन उनके पास है, और वह है, उनके हाथ-पैर, उनकी हिम्मत, और उनकी आस्तिकता! ऐसा समय भी आ सकता है, जव आपको भूखो मरना पडे। उस वक्त के लिए आपको यह विश्वास रखना चाहिए कि आप लोगों को खिलाकर ही हम खायेंगे, आपको भूखो हरगिज़ न मरने देंगे।'

यहाँ कई मज़दूरो ने कहा कि ३५ प्रतिशत बहुत कम होता है। उनको समझाते हुए गांधीजी ने कहा था:

"कई भाई कहते हैं कि हम ३५ प्रतिशत से ज्यादा मांग सकते हैं। मै तो कहता हूँ कि आप १०० प्रतिशत भी मांग सकते हैं। लेकिन यदि आप उतना मांगने लगें तो वह अन्याय ही कहा जायगा। मौजूदा हालत में आपने जो कुछ माँगा

है, उसीमें सन्तोष रखिये । यदि आप इससे ज्यादा माँगेंगे, तो मुझे दुःख होगा । हमें किसीके भी सामने कोई गैरवाजिव माँग पेश नहीं करनी चाहिए । मेरी राय में ३५ प्रतिशत की माँग मुनासिव माँग है ।'

दूसरे दिन इसी सवाल के सिलसिले में उन्होने कहा था :

'नेक सलाह देने और हिम्मत का सवक सिखानेवाले आपको कम मिलेंगे । नाहिम्मत करनेवालों की कमी न रहेगी । इनमें से कई आपके मित्र भी हो सकते है । ख़ुदा के नाम पर जितना मिल जाय उतना ले लेने की सलाह देनेवाले भी आपको वहुतेरे मिलेंगे । उनकी ऐसी सलाह यो सुनने में बहुत मीठी हो सकती है, लेकिन दरअसल उससे कड़ुई कोई सलाह हो नही सकती । हमें परमात्मा को छोड और किसीके सामने अपनी दीनता नहीं दिखलानी है । यह कोई जरूरी नहीं कि निर्धनता के कारण हम अपने को दीन भी समझें । भगवान ने हाथ-पैर तो हममें से हरएक को दिये हैं । उनका उपयोग करके ही हम स्वराज्य या अपने राज्य का आनन्द उठा सकेंगे । मालिकों के साथ अच्छी तरह रह सकने के लिए भी हमें दृढ़ बनने की ज़रूरत है । आज जिस हालत मे हम पडे हुए है, उसे देखते हुए हमे अपने मालिकों से यह कहना चाहिए कि हम उनका यह बोझ और दवाव वरदाश्त नहीं कर सकते । आप मेरी सलाह से चलें या किसी और की सलाह से चलें, इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि इस मामले में तो मेरी या अन्य किसीकी सलाह और सहायता के बिना भी आप विजयी बन सकेंगे । यों, मेरी या दूसरे लाखों आदमियों की मदद पाकर भी आप जीत नहीं सकते; क्योंकि आपकी जीत या फतह का आधार आपके ही ऊपर है, आपकी

ईमानदारी आपकी आस्था और श्रद्धा, तथा आपकी हिम्मत ही आपको विजयी बना सकती है। हम तो सिर्फ आपकी सहायता कर सकते है; आपको टेका या सहारा दे सकते हैं; लेकिन खड़ा तो ख़ुद आप ही को होना पड़ेगा। बिना लिखे और बिना बोले जो प्रतिज्ञा आपने की है, यदि आप उस पर डटे रहेंगे, तो यक़ीन रखिये कि जीत आपकी ही है।'

छठे दिन की पत्रिका मे यह बताया गया है कि प्रतिज्ञा-पालन के लिए जीवन में सत्य, निर्भयता, न्यायपरायणता, ईमान-दारी, सहिष्णुता, और ईश्वर-श्रद्धा आदि गुणो के विकास की जरूरत है।

इस पत्रिका का मर्म समझाते हुए गांधीजी ने कहा था:

'यदि आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाते, तो मुझे या अनसूयाबहन को आपके पास आने की कोई जरूरत न रह जाती। लेकिन आपने तो लड़ लेने का निश्चय किया है। और अब यह बात सारे हिंदुस्तान मे फैल गई है। आगे चलकर दुनिया देखेगी कि अहमदाबाद के मजदूरों ने ईश्वर को साक्षी रखकर इस बात की शपथ ली है कि जबतक उनकी अमुक माँग पूरी न होगी, वे काम पर नही लौटेंगे। भविष्य में आपके बालबच्चे इस पेड़ को देखकर कहेंगे कि इसीकी छाया में बैठकर हमारे मातापिताओ ने परमात्मा की साक्षी मे कठिन प्रतिज्ञायें की थीं। यदि आप उन प्रतिज्ञाओं का पालन न करेंगे, तो वे बच्चे आपके बारे में क्या सोचेंगे? आप पर आपके बाल-बच्चो की आशायें निर्भर करती हैं। मैं आपमें से हरएक को चेताता और कहता हूँ कि खबरदार! किसीके बहकाने या फुसलाने में आकर ली हुई टेक न छोड़ना; प्रतिज्ञा से मुँह न मोडना; उस पर चट्टान की तरह अडे रहना! आपको

भूखों मरना पड़े तो भी आप अपने बहकानेवालों से साफ कह दीजिये कि परमेश्वर को साक्षी रखकर जो प्रतिज्ञा आपने की है, उससे आपको कोई डिगा नहीं सकता। आपकी वह टेक गांधी के खातिर नहीं, खुदा के खातिर है। आप इस पर यकीन रखिये, क़ायम रहिये, और लड लीजिये। हिन्दुस्तान देखेगा कि मजदूर मर-मिटने को तैयार थे, क़सम छोडने को नहीं। आप इन पत्रि-काओं को वरज़बान कर लीजिये, और ली हुई प्रतिज्ञा पर सोच-समझ-कर डटे रहिये। मगर इन्हें खाली रट लेने से भी कोई फायदा नहीं। यों तो तोता रटन्त के ढग पर कइयों को कुरान शरीफ और गीता ज़बानी याद होती है, तुलसीदास की रामायण भी कइयों को कण्ठाग्र रहती है। लेकिन इतना ही काफी नहीं। इन्हें याद करके अगर आप इन पर अमल भी करेंगे, तो यकीन रखिये कि पैंतीस के पौने पैंतीस कोई आपको न देगा।'

सातवें दिन की पत्रिका में मज़दूरों को समय का सदुपयोग करने के वारे में कई मामूली लेकिन साफ-साफ और निश्चयात्मक बातें कही गई थीं। ये बातें इस खयाल से कही गई थीं कि मुमकिन है लडाई अर्सों तक चले और कइयों को उसमें भूखो मरने का मौका आये। ऐसे समय हो सकता है कि उनसे ऐसी कोई मजदूरी करानी पडे, जो उन्होंने पहले कभी न की हो। इसके लिए यह ज़रूरी था कि उनमें किसी भी तरह के काम के लिए इज़्जत के खयाल पैदा हों। 'जिन धन्धों की मनुष्य को अपने जीवन के लिए ज़रूरत है, उन धन्धों मे ऊँच-नीच का कोई भेद हो नहीं सकता। इसी तरह जिन धन्धों को हम जानते हैं, उनसे भिन्न दूसरे धन्धों को करने में शरमाने की कोई वजह नहीं हो सकती। हमारा विश्वास है कि कपडे वुनना, गिट्टी फोडना या पत्थर तोडना, लकडी

काटना या चीरना, अथवा खेतो मे मजदूरी करना, ये सभी ज़रूरी हैं, और सम्माननीय हैं।' पत्रिका के इन्हीं उद्‌गारों की व्याख्या करते हुए गांधीजी ने एक इतनी ही सच और सचोट बात अपने भाषण में कही थी, जो यहाँ उल्लेखनीय है: 'पत्थर तोडने से जो गरमी और ताक़त आती है, वह कलम पकडने से नहीं आ सकती।'

इस प्रकार साधारण व्यवहार की सूचनायें दे चुकने के बाद आठवें दिन की पत्रिका इस ख़याल से लिखी गई कि जिससे मज़दूरों की श्रद्धा अपने सलाहकारों में अटल रह सके। इस पत्रिका में यह बताया गया था कि कुछ शर्तों के साथ सलाहकार लोग मज़दूरो के लिए क्या-क्या करने को बँधे हुए हैं। प्रतिज्ञा संबंधी इस लेख को मज़दूरो तक पहुँचाने से पहले गांधीजी ने उनसे कहा था: 'अब तक हमने मज़दूरो की प्रतिज्ञा और मजदूरो के काम व कर्त्तव्य की चर्चा की है। अब हमें यह लिखकर देना है कि हमारी प्रतिज्ञा क्या है और हम क्या-क्या करनेवाले हैं। आज हम आपको यह बतायेंगे कि हमसे आप लोगो को क्या-क्या आशायें रखनी हैं, और परमात्मा को साक्षी रखकर हम आपके लिए क्या-क्या करते हैं। इस प्रतिज्ञा के आधार पर आपका काम होगा कि जब-जब आप हमें गलती करते हुए देखे, अथवा प्रतिज्ञा के पालन में कमजोरी दिखाते नजर आयें, तब-तब आप हमें अपने इन वचनो की याद दिलायें और उलाहना दें।' इस पत्रिका के विशेष उल्लेखनीय उद्‌गार ये हैं: 'हम मालिको का अहित न तो कर सकते है, न चाह सकते हैं। अतः हमारे प्रत्येक कार्य में उनके हित का विचार तो रहता ही है। मालिको के हित की रक्षा करके हम मज़दूरो का हित भी करें।' जब-जब ऐसे मौके मिले हैं, तब-तब गांधीजी ने मज़दूरों के दिल में यह ठँसाने की

कोशिश की है कि यह लड़ाई मालिकों को परेशान करने के लिए नहीं है, वलिक अपने हित के साथ-साथ उनका हित करने के लिए है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस प्रतिज्ञापत्र की प्रत्येक प्रतिज्ञा अक्षरशः पाली गई थी। इसकी नीचे लिखी प्रतिज्ञा तो इतिहास में सदा संस्मरणीय रहेगी' 'इस लड़ाई में जिन्हें भूखों मरने की नौवत आवेगी और जिनको कुछ काम न मिल सकेगा, उनको ओढ़ाकर हम ओढ़ेंगे, उन्हें खिलाकर हम खायेंगे।'

इसके वाद पत्रिकाओ का रूप वदलता है। अवतक यह खयाल था कि मिलमालिक कुछ दिनों तक मज़दूरो के धैर्य की परीक्षा करने के वाद उन्हें उन्हींकी शर्त पर पुनः काम पर वुला लेंगे, इसलिए जो मजदूर दूसरी मजदूरी की तलाश में आते थे, उन्हें सलाह दी जाती थी कि वे ज़रा धीरज से काम लें। उन्हे समझाया जाता था कि इस तरह दूसरा काम ढूँढने की अधीरता दिखाने से लोग यह मानेंगे कि मज़दूर फिर से मिलमालिकों की नौकरी करना ही नहीं चाहते, और समझेंगे कि मज़दूरों ने द्वेषवश मालिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया है। मज़दूर भी बेचारे चुपचाप वैठे थे और शान्ति-पालन सम्वन्धी सूचनाओं का अक्षरशः अमल करते थे। इसी समय यह प्रतीति होने लगा कि मिल-मालिक ३५ फीसदी इज़ाफा दे सकने की अपनी असमर्थता के कारण नहीं, वल्कि केवल हठवश मज़दूरो की माँग मंजूर नहीं कर रहे हैं। वे इस खयाल से हठ कर रहे थे कि अगर इस वार मज़दूर कामयाव हो गये, तो वे हमेशा के लिए उन्हें सताने लगेंगे और उनके सलाहकारों का काँटा हमेशा मालिकों के पैर में चुभता रहेगा। इस हठ की जड में रहे हुए भ्रम अथवा भय का निवारण नवे दिन की पत्रिका में बड़ी सुन्दरता के साथ किया गया

है । 'मालिक डरते हैं कि मजदूरो को मुँहमाँगा देने से वे गुस्ताख या उद्धत बन जायँगे । यह डर बेबुनियाद है । अगर मजदूर आज दब भी गये, तो यह असभव नहीं कि मौक़ा पाकर वे फिर सिर उठायें । हो सकता है कि इस तरह दबे हुए मजदूर मन में वैरभाव रक्खें । दुनिया का इतिहास कहता है कि, जहाँ-जहाँ मजदूर दबाये गये हैं, वहां-वहां उन्होने बगावत की है । मालिकों का यह खयाल है कि मज़दूरों की मांग को मंजूर कर लेने से उन पर उनके सलाहकारों का प्रभाव बढ़ जायगा । अगर सलाहकारों की दलीलें सच होंगी और वे मेहनती होगे तो मजदूर हारे या जीतें, वे अपने सलाहकारो को कभी न छोडेंगे । इससे भी बढ़कर ध्यान देने की बात तो यह है कि सलाहकार मजदूरो का साथ न छोडेंगे। **जिन्होंने सेवाधर्म को अपनाया है, वे अपने स्वामी का विरोध रहते हुए भी उस धर्म को छोड़ नहीं सकते। ज्यों-ज्यों वे निराश होंगे, त्यों-त्यों अधिक सेवापरायण बनते चलेंगे। अतएव मालिक कितनी ही कोशिश क्यों न करें, वे सलाहकारों को मज़दूरों के सहवास से दूर नहीं हटा सकेंगे**' । मालिकों को इस प्रकार सलाहकारों और मजदूरों के बीच के चिरस्थायी सम्बन्ध की चेतावनी देने के बाद आगे की पत्रिका मे गांधीजी मालिकों की स्थिति का विवेचन शुरू करते हैं। यह और इसके बाद की कुछ पत्रिकायें केवल मजदूरों के लिए ही नहीं, मिलमालिको के लिए भी लिखी गई हैं । इन पत्रिकाओं का हेतु केवल मिलमजदूरो को सिखाना ही नहीं, बल्कि हो सके तो मिलमालिको की बुद्धि में परिवर्तन करना भी रहा है ।

कई बरस पहले गांधीजी ने अपने 'इंडियन ओपीनियन' में रस्किन की Unto This Last पुस्तक के आधार पर

शाम को सभा में आते, उनका वे उत्साहपूर्वक स्वागत करते, हजारो की भीड के बीच से उन्हें शातिपूर्वक जाने-आने देते; जब गांधीजी भाषण करते या पत्रिका पढ़ते, तब सभी अपूर्व शान्ति के साथ उनकी बातों को सुनते और भाषण के अन्त में प्रतिदिन अपना निश्चय ऐसे मनोहर ढँग से प्रकट करते कि दिन-ब-दिन इन सभाओं को देखने आनेवाले बाहरी लोगों की संख्या बढने लगी। जिन बच्चों ने और बडों ने इन सभाओं को देखा है, वे इन्हें कभी भूल नहीं सकते। अनपढ होते हुए भी अधिकतर मजदूरों के हृदय से नये-नये समयानुकूल दोहों और गजलों आदि का जो प्रवाह प्रतिदिन प्रकट होने लगा था वह आदमी को आश्चर्य में डालनेवाला था। कोई कह सकता है कि उनमें से कई तो कुछ सामयिक बातों को लक्ष्य करके रची हुई तुकबन्दियाँ ही थीं। सच है, लेकिन उन तुकबन्दियों मे पाई जानेवाली उच्च भावनाओ, आग्रह, निश्चय एवं कृतज्ञता के बारे में दो मत हो नहीं सकते। इन तुकबन्दियो मे से एक इस लेख के आरभ में दी गई है। मुसलमान मज़दूरो के कुछ भावपूर्ण उद्गारों का प्रभाव भी मामूली न रहा होगा: 'ऐसा इत्तफाक आइंदा न कभी होगा, न कभी हुआ था। महात्मा गाधी वह पेड हैं, जिसकी शाखें सारे हिन्दुस्तान मे फैली हुई हैं। अपनी पाबन्दी, अपनी इज्जत, आनबान पर कायम रहिये। जहां तक मुमकिन हो, इत्तफाक कभी मत तोडिये, तोडने का खयाल भी मन में न लाइये। जो हमारे खैरख्वाह बने हैं, उनका दामन कभी न छोडिये। हमारे जो सरताज हमारे सुखदु ख मे शामिल हैं, यानी हमसे हमदर्दी रखते हैं, उनके नाम को धब्बा न लगना चाहिए। बिना अपने सरताज के काम पर जाना नहीं। अगर वे फर्मावें कि मुफ्त में काम

करो, तो मुफ्त में काम करना। इससे किसीकी बेइज़्ज़ती नहीं होगी। हमारे जिन सरताजो ने हमारी हमदर्दी पर कमर बाँधी है, उनको मानना।' कुछ दिनों के अन्दर ही मजदूरों के कई उद्गार तो कहावतो की तरह चल पडे: 'अरे, डरो मत, ग़ैबी मददगार है यहाँ।' 'अगर मरें भूखों मर ही जाना जान से; लाज़िम है न बदले अपने ईमान से।' आदि कुछ फिक़रे तो आज भी लोग भूल नही पाये हैं। मज़दूरों के ये सभी उद्गार इस बात को साबित करते हैं कि रस्किन जिसे roots of honour कहता है, और जिसे गांधीजी ने 'सर्वोदय' में 'सच्चाई की जड़' कहा है, उस सच्चाई की जडे इन गरीबों में दूसरे वर्गों की अपेक्षा बहुत गहरी हैं।

यहाँ प्रसंगोपात्त यह कह देना जरूरी मालूम होता है, कि जब सारा काम यो शान्त और सरल रीति से चल रहा था, तब भी गांधीजी इस बात की बडी चिन्ता रखते थे कि जाने-अनजाने भी ऐसी कोई बात कही या की न जाय, जिससे विपक्षियो को थोड़ा भी बुरा लगे। एक बार एक आशुकवि मज़दूर ने बहुत उत्साह मे आकर अपने दोहो में मिल के यंत्रों की हंसी उड़ाई, और मिलमालिको का ख़ूब मज़ाक उड़ाया, जो कुछ हद तक तिरस्कारयुक्त भी था। इस पर गांधीजी ने यो कहा था: 'आप यंत्रो को 'निरे ढांचे' कहकर उनका मजाक उडाते हैं, यह उचित नहीं है। बेचारे यंत्रो ने आपका कोई नुकसान नही किया है। अभी कल आप उन्हींकी मदद से अपनी रोज़ी कमाते थे। अतएव अपने कवियो से मैं निवेदन करूँगा कि वे कडुई बातें न कहें; मालिको पर किसी तरह के आक्षेप न करें। इस कहने मे कोई सार नहीं, कि हमारी वजह से मालिक मोटरों में सैर करते

हैं । ऐसी बातों से हमारी कीमत घटती है । मैं तो यह कहता हूँ कि सम्राट जॉर्ज भी हमारे प्रताप से अपना राज्य चलाते हैं । लेकिन इन बातों से हमारी कोई कीमत रहती नहीं । यह कहकर कि अमुक आदमी बुरा है, हम अच्छे नहीं बन जाते । बुरे की बुराई को देखनेवाला ऊपर बैठा हुआ है । वह उसे सज़ा देता है । हम न्याय करनेवाले होते कौन हैं? हम तो सिर्फ यही कहें कि मिलमालिक हमे ३५ प्रतिशत भत्ता नहीं देते, यह उनकी भूल है ।'

जब एक ओर यह हवा बह रही थी, दूसरी ओर से इसे रोकने की तैयारियाँ भी कम न हो रही थीं । थोडे में यही कहा जा सकता है कि मालिकों की ओर से मजदूरो को बहकाने और फुसलाने की अनेक चालें चली जा रही थीं । मज़दूरों में से जिन पर इस तरह के दबाव का तुरन्त असर पडता था, वे भी अपने मन की उलझन को मिटाने के लिए सलाहकारों से मिलने आते थे, और बिना सोचे-समझे कोई काम न करते थे । इन लोगों को और भी मजबूत बनाने के लिए गाधीजी ने बारहवें दिन की पत्रिका मे कुछ आधुनिक सत्याग्रहियो के उदाहरण दिये हैं । इस तरह जिन मजदूरों को कभी दक्षिण आफ्रीका के सत्याग्रह का किस्सा मालूम न हो पाता, उन्हें भी अनायास ही वहाँ के सत्याग्रही वीरों का परिचय प्राप्त हो गया । इन वीरो के पराक्रमो का वर्णन ऐसे प्रभावशाली ढंग से किया जाता था कि कोई भी विचारशील श्रोता इनके दृष्टान्त को कभी भूल नहीं सकता था । हरबतसिंह, काछलिया और वालियामा के बारे मे पत्रिका मे जो कुछ लिखा है, उसके सिवा अपने भाषण में उनका जिक्र करते हुए गाधीजी

ने कहा था: 'ये तीनों जब जेल गये और सरकार से लडे, तब इन्हे न तो तनख्वाह लेनी थी, न भत्ता लेना था। इन तीनो को कर भी नहीं देना था। काछलिया बडे व्यापारी थे। उन्हें कर नहीं देना पडता था। हरबतसिह कर का क़ायदा बनने से पहले आये थे, इसलिए कर के बोझ से वे भी बरी थे। वालियामा जिस जगह रहती थी, वहाँ कर का यह कायदा उस वक़्त तक जारी नही हुआ था। फिर भी टेक के खातिर ये लोग सबके साथ लडाई में शामिल हुए थे। आपकी लडाई तो स्वार्थ की है। इसलिए आपका इस पर डटे रहना अधिक आसान है। मैं चाहता हूँ कि यह विचार आपको बल दे और दृढ़ बनाये।' तेरहवे दिन की पत्रिका मे उन मुसीबतो का दिल दहलानेवाला बयान दिया गया था, जिनका सामना इन वीरो ने किया था: '२०,००० मज़दूर करीब तीन महीनो तक बिना घरबार के और बिना तनख़्वाह के रहे थे। कइयोने अपनी जमापूँजी भी बेच डाली थी। झोंपडे खाली कर दिये थे। खाट, गादी-गदेले, मवेशी वगैरा बेच डाले थे, और कूच पर चल पडे थे। उनमे से सैकडो ने कई दिनों तक बीस-बीस मील की लंबी मजिलें तय की थीं और सिर्फ डेढ़ पाव आटे की रोटियाँ एवं ढ़ाई तोला शकर पर दिन बिताये थे। इनमें हिन्दू भी थे, मुसलमान भी थे। . . . . इसी लडाई मे जिन स्त्रियों ने कभी मजदूरी नहीं की थी, वे भी घर-घर फेरीवाली बनकर घूमी थी और जेल में उन्होंने धोबिन तक का काम किया था। इन उदाहरणों का खयाल करते हुए हममें ऐसा कौन मजदूर होगा, जो अपनी टेक के लिए मामूली मुसीबते उठाने को भी तैयार न हो?' इस तरह सीधी-सादी भाषा में मजदूरो के सामने दक्षिण आफ्रीका का इतिहास दुहराया जाता था, और

अप्रत्यक्ष रीति से पत्रिका के सर्वसाधारण पाठकों की ज्ञानसमृद्धि में वृद्धि भी होती थी ।

मजदूरों की तकलीफें बराबर बढ़ रही थीं । उनमें कई तो नई मजदूरी पाने के लिए उतावले हो रहे थे । उनकी परेशानियों को देखकर अक्सर कई मित्रों को यह खयाल हो आता था कि मज़दूरों को यथेच्छ आर्थिक सहायता दी जाय । बाहर के मित्रों से भी मजदूरो के लिए कोई फण्ड शुरू करने की चिट्ठियाँ आने लगी थीं । कइयोंने पैसा भेजने की तत्परता भी दिखाई थी । लेकिन गाधीजी ने इनको बढ़ावा न दिया । कारण स्पष्ट था । गाधीजी इन सब हितैषियो को बार-बार कहते थे : 'अगर मजदूर इस आशा से सत्याग्रह में शामिल हुए हो कि आप पैसे-टके से मदद करके सत्याग्रह करायेंगे, अथवा अपनी आर्थिक मदद से उनको इस लड़ाई में टिकाये रक्खेंगे, तो फिर सत्याग्रह का अर्थ ही क्या हुआ? उसका महत्त्व क्या रहा? सत्याग्रह की ख़ूबी तो इसमे है कि सत्याग्रही सब तरह के दु:खों को राजी-ख़ुशी से सहन करें । वे जितना अधिक दु ख सहते हैं, उतनी ही अधिक उनकी परीक्षा होती है ।' मजदूरों को रोज-रोज सभाओ मे और बाहर भी समझाया जाता था : 'आपने अबतक अपने पसीने का पैसा कमाया है, इसलिए अब मुफ्त मे किसीसे पैसा माँगने के लिए हाथ न पसारिये । इसमें आपकी कोई इज्जत नहीं; उलटे लोग यह कहकर आपका मजाक उडायेंगे कि आप पराये पैसों के बल पर लड़े हैं ।' मजदूर भी इस बात को समझते थे, पर उनमे कइयोंको तो भूखों मरने की नौबत आ लगी थी, अतएव उनकी मदद करना जरूरी हो गया था । ऐसों के लिए कुछ काम ढूँढे गये । साबरमती के किनारे गांधीजी का आश्रम बन रहा था।

जो मज़दूर वहां जाते थे, उन्हें ईंटें उठाने और रेत वग़ैरा ढोने का काम वताया जाता था। शुरू में मज़दूरो को थोड़ी झिझक-सी मालूम होती, वे इस तरह की मज़दूरी करने में अपनी हेठी समझते, लेकिन बाद मे वे समझ गये कि अपनी मेहनत से कमा-कर खाने में ही इज्ज़त है।

इधर शहर में भी कुछ खलबली-सी पैदा हो गई थी। लोग सोचने लगे थे: 'आखिर इस लडाई का नतीजा क्या होगा? दोनो अपने हठ पर डटे हुए हैं।' फलतः कई सज्जन तरह-तरह के सन्धि प्रस्ताव लेकर आते। कोई कहता, 'अभी २० प्रतिशत ले लीजिये, फिर १५ प्रतिशत तुरन्त ही बढ़ा दिये जायँगे'। कोई कहता, 'मज़दूरो को २० सैकडा वेतन पर भत्ते के और १५ सैकडा मँहगाई के अनाज या दाने के रूप में लेने चाहिएँ'। कोई कहता, 'मज़दूरो की प्रतिज्ञा ही क्या? आप उन्हें सलाह देंगे, तो वे प्रतिज्ञा को भूलकर २० सैकड़ा ले लेंगे। अगर मालिक अपना हठ नहीं छोडते, तो मजदूरो को छोडना चाहिए। नहीं, इससे आखिर सारे मिल-उद्योग की ही हानि है'। ऐसी अनेक सूचनायें आने लगी थीं। एक दिन श्री० जीवणलाल बैरिस्टर ऐसी ही एक सूचना लेकर आये। गांधीजी ने दूसरे दिन उन्हें नीचे लिखा पत्र भेजा·

'विज्ञ बन्धु,

मुझको समझाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या आपको शक़ है कि मुझसे हो सकता, और मैं आपकी न सुनता? मैं हठ कर ही नही सकता। दुनिया धोखा खा सकती है। आप नहीं खा सकते। करुणा मेरे रोम-रोम से उमड़ रही है। यह 'लॉक आउट' मेरे लिए विनोद नहीं है। मैं अपनी कोशिश भर यत्न करता

रहता हूँ। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति मे और सभी कामों मे मेरी यही वृत्ति रहती है कि यह चीज जल्दी से जल्दी खतम हो, लेकिन कुछ मित्र इसे बढ़ा रहे हैं। मुझे समझाना निरर्थक समझकर आप मालिको को समझायें तो? मालिकों के सामने पराजय-जैसी कोई चीज नहीं। मजदूरों को पराजित करके कौन सुखी होगा? विश्वास रखिये कि अन्त मे शिक्षितो और धनिकों के बीच कोई कडुवाहट न रह जायगी। हम झगडा करना ही नहीं चाहते।'

उसी दिन गाधीजी ने सेठ मगलदास गिरधरदास के नाम नीचे लिखा पत्र भेजा था। सेठजी मिलमालिको के दल मे शामिल नहीं हुए थे। उन्होने हडताल के दिनो मे भी मजदूरो को पुराना बोनस देकर अपनी मिल चालू रक्खी थी।

'कई मित्र मुझसे मिलने आते हैं और मुझे समझाते हैं कि किसी भी तरह मुझको मज़दूरों और मालिकों का यह झगडा खतम करा देना चाहिए। मैं इसे अपने प्राण देकर भी खत्म कर सकूँ, तो करना चाहता हूँ। लेकिन इस तरह यह खत्म होगा नहीं। इसे मिटाना मालिको के हाथ में है। इस हठ का मतलब क्या कि मजदूर मांगते हैं, इसलिए ३५ सैकड़ा न देगे? यह क्यो मान लिया जाता है कि मैं मजदूरों को सभी कुछ समझा सकता हूँ? मैं कहता हूँ कि जिन उपायों से मैंने काम लिया है, उन्हीं के कारण अबतक मजदूर हाथ में रह सके हैं। अब मैं उनकी प्रतिज्ञा तुडवाने के उपाय करूँ? उस हालत में क्या उन्हे यह हक न होगा कि वे मेरा सिर धड पर न रहने दे? सुनता हूँ कि मालिको को मुझसे कई शिकायतें है। मगर मैं निश्चिन्त हूँ। किसी दिन वे खुद स्वीकार करेंगे कि मेरा कोई कसूर न था। उनसे मेरा ज़रा भी मनमुटाव न होगा, क्योंकि मैं उसमे भाग

ही न लूँगा। खटाई के लिए भी तो जामन की ज़रूरत होती है न? मुझसे उन्हें जामन नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसमे आगे क्यो नहीं वढ़ते? आप यों दर्शक वनकर इस जंगी लड़ाई को दूर से कैसे देख सकते है?'

लेकिन इस सवका कोई नतीजा न निकला। इधर गांधीजी की पत्रिकायें निकलती थीं, तो उधर मिलवालो की ओर से भी महज पत्रिका निकालने के खयाल से पत्रिकायें निकलने लगी थीं। इन पत्रिकाओ मे सत्य से विपरीत जो वातें छपती थीं और जैसी अशोभन भाषा में छपती थी, यहाँ उसका उल्लेख करके उन पत्रिकाओ को चिरस्थायी रूप देनें की ज़रूरत नही मालूम होती। गांधीजी ने भी उनकी अवहेलना ही की है। मजदूरो को काम पर बुलाने की और उनसे उनकी प्रतिज्ञा तुड़वाने की कई कोशिशें होती रहती थीं; भूख-प्यास के कष्टो की भयकरता वढ़ाचढ़ाकर सामने रक्खी जाती थी, लेकिन वे अपने सलाहकारों से मिलकर इन सव वातो की चर्चा कर जाते और तुरन्त ही अपने मन को स्वस्थ वनाकर वापस लौट जाते। ता० १२ मार्च के दिन स्थिति कुछ वदली। अवतक मिलमालिको ने 'लॉक आउट' का ऐलान कर रक्खा था, इसलिए मजदूर किसी भी प्रकार काम पर जा ही न सकते थे। १२ तारीख को 'लॉक आउट' रद किया गया और कहा गया कि, जो मजदूर २० सैकडा भत्ता लेकर काम पर आने को तैयार हों, उनके लिए मिले खुली हैं। उस दिन से गाधीजी ने रोज़ सवेरे सभायें करने का निश्चय किया। हेतु इसका यही था कि सुवह का समय काम पर जाने का होता है, कहीं ऐसा न हो कि उस समय कच्चे दिल के नासमझ मजदूर किसीकी फुसलाहट में आकर काम पर

चले जायें । जिस दिन 'लॉक आउट', खत्म हुआ और मज़दूरों की हडताल शुरू हुई, उस दिन की पत्रिका में जहां दो बातें नसीहत की मजदूरों के लिए हैं, तहां मालिको के लिए भी कुछ सूचनायें साफ शब्दों में दी गई हैं. 'मज़दूरों के सामने काम पर चढ़ने का एक ही तरीका है, और वह यह कि वे अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहें । हमारा विश्वास है कि आज की हालत में मिल-मालिकों की उन्नति भी इसीमें है कि मजदूर अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ रहें । जो लोग अपनी टेक को निभा नहीं सकते, उनसे मजदूरी कराकर भी आख़िर मालिकों को कोई फ़ायदा न होगा । धर्मप्राण आदमी दूसरों से उनकी प्रतिज्ञा तुडवाकर कभी खुश न होगा, न प्रतिज्ञा तुडाने में भाग ही लेगा।' जब सामनेवाले मज़दूरों को काम पर बुलाने की कोशिश करने लग गये, तो मजदूरों की ओर से भी उनको अपनी टेक पर कायम रखने के प्रयत्न होने लगे । इन्हीं दिनों गांधीजी के पास यह शिकायत आई कि कुछ अति उत्साही मज़दूर कच्चे-पोचे मज़दूरों को डरा-धमकाकर काम पर जाने से रोकते हैं । गांधीजी इस चीज़ को कभी सह नहीं सकते थे । वे तो शुरू से कहते आये थे कि मजदूरों के हृदय को, उनकी भावनाओं को, प्रभावित करके उन्हें अपनी आन पर अडे रहने को कहो, ज़ोर-ज़बर्दस्ती या जुल्म करके नहीं । दूसरे दिन तुरन्त ही निरी प्रामाणिकता से छलकती हुई एक पत्रिका निकाली गई: 'मजदूरो की लडाई का सारा आधार उनकी न्यायोचित मांग और न्यायपूर्ण कार्य पर है । अगर मांग अनुचित है, तो मजदूर कभी जीत नहीं सकते । मांग के उचित होने पर भी अगर उसकी पूर्ति के लिए वे अन्याय का उपयोग करेंगे, झूठ बोलेंगे, दंगा-फसाद मचायेंगे, दूसरों को

दवायेंगे या आलस्य से काम लेंगे, और इस तरह परेशान होंगे, तो भी अन्त में जीत नहीं पायेंगे।'

लेकिन कुछ तो इस पत्रिका के कारण, और कुछ रोज़-रोज़ निर्माण होनेवाली परिस्थितियो के कारण एक अनसोचा-सा परिणाम पक रहा था। अति उत्साही लोगो पर इस पत्रिका का प्रभाव कुछ उलटा ही पड़ा। कइयोंको आशा थी कि मज़दूरो को रोक रखने की जो कोशिशें उन्होंने की हैं, वे सराही जायँगी। ऐसों-को इस पत्रिका से कुछ निराशा हुई। दरअसल नासमझ होने के कारण भी कुछ लोगो को इस सीधी-सच्ची सलाह से बुरा लगा। वे कच्चे-कमजोर मज़दूरों से कहने लगे कि जिन्हें जाना हो, जाओ। रास्ता खुला है, कोई रोकनेवाला नहीं है। जो नैतिक दवाव से काम ले रहे थे, वे भी उस दबाव को शिथिल करने लगे। इससे कई मजदूरो के दिल बदल गये, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ। सर्वश्री अनसूयावहन, शंकरलाल बैंकर और छगनलाल गांधी मज़दूरों से उनके मुहल्लो, में मिलने के लिए रोज़ नियम-पूर्वक जाते ही थे। जो मजदूर मज़दूरी करना चाहते थे, वे आश्रम में आकर काम करते और मजदूरी पाते थे। लेकिन मजदूरों में कुछ खोटे सिक्के भी थे। वे अपने मन में सोचा करते: 'हम नाहक परेशान हो रहे हैं। प्रतिज्ञा से कुछ होगा-जायगा नहीं। ये सब हवाई बातें हैं। खाने-पीने की साँसत बढ़ रही है; मज़दूरी हो नहीं पाती, मुफ़्त की सलाह देनेवालों को कोई तकलीफ़ है? तकलीफ तो हमें है।' उधर मिलमालिक अपने दिल को वज्र से भी अधिक कठोर बनाने लगे। किसी भी दशा में ३५ प्रतिशत भत्ता न देने का उनका आग्रह दृढ़ से दृढ़तर होता जाता था, और मज़दूरो को उनकी टेक से डिगाने के लिए उन्होंने

अपने कई आदमी छोड़ रक्खे थे । इस तरह बाईस दिन बीत गये । भूख-प्यास का कष्ट और मिलमालिकों के जासूस अपना काम कर रहे थे, और शैतान उनके कान में गुनगुना रहा था : ‘ दुनिया मे दीनबन्धु परमेश्वर नाम की कोई हस्ती नहीं है, और प्रतिज्ञायें तो निराशो के आँसू पोंछने को हैं।’ एक दिन जब भाई छगनलाल, जुगलदास की चाल में रहनेवाले मजदूरों से सुबह की सभा मे आने की प्रार्थना कर रहे थे, मज़दूरों ने कुछ इसी तरह की बातों से उनका स्वागत किया था ‘ गाधीजी को और अनसूयाबहन को क्या तकलीफ है ? वे मोटर मे आते हैं, मोटर में जाते हैं। अच्छा खाते-पीते हैं। यहाँ तो मारे भूख के जान निकल रही है । सभा में आने से हमारी भूख थोडे ही मिट जायगी ।’ ये बातें गाधीजी तक पहुँचीं । वैसे गाधीजी पर किसीकी टीका का असर नहीं होता, निन्दा से भी वे नहीं घबराते, लेकिन वस्तुस्थिति की सूचक इन कडवी बातो से उनका हृदय विदीर्ण हो उठा । वे दूसरे दिन सुबह सभा में गये । वहाँ उन्होंने क्या देखा ? उनके खिन्न हृदय और उनकी करुणार्द्र दृष्टि को वहाँ क्या दिखाई पडा ? उन्हीं-के शब्दों में सुनिये : ‘ अविचल आत्मनिश्चय की प्रभा से चमकनेवाले दस-पाँच हजार मजदूरों के प्रफुल्ल चेहरो के बदले निराशा से खिन्न मुखवाले कोई एकाध हजार आदमी मैंने देखे ।’ कुछ ही समय पहले जुगलदास की चाल मे कही गई बातें उन तक पहुँची थीं । ‘ मैंने देखा कि मज़दूरों का उलाहना वाजिब है । मै परमात्मा की सत्ता मे उतना ही विश्वास रखता हूँ. जितना यह पत्र लिखते समय अपनी सत्ता में रखता हूँ । मैं उन लोगों में हूँ, जो मानते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिज्ञा का पालन हर हालत में, सब प्रकार के कष्ट उठाकर भी करना चाहिए। मैं यह

भी जानता था कि मेरे सामने बैठे हुए लोग परमात्मा से डरने-वालों में हैं, लेकिन यह अनसोचा लम्बा 'लॉकआउट' उनकी हद से ज्यादा परीक्षा कर रहा है। हिन्दुस्तान की अपनी लम्बी-चौडी यात्राओं में मैंने सैकडों ऐसे लोगो को देखा है, जो इधर प्रतिज्ञा लेते हैं और उधर उसे तोड़ देते हैं। मैं अपने इस अनुभव की भी कभी उपेक्षा नहीं कर पाया हूँ। मुझे यह भी मालूम था कि हममें से अच्छे-अच्छो को आत्मवल में और परमात्मा में एक अस्पष्ट-सी और अनिश्चयात्मक श्रद्धा है। मैंने अनुभव किया कि मेरे लिए तो यह एक शुभ घड़ी है; इससे मेरी श्रद्धा की परीक्षा हो रही है। मैं तुरन्त ही उठा और उपस्थित लोगो से कह दिया कि 'मैं इस वात को एक क्षण के लिए भी सह नहीं सकता कि आप अपनी प्रतिज्ञा से टलें। जब-तक आपको ३५ टका भत्ता नहीं मिलता, अथवा आप सब हार नहीं जाते, तवतक मैं न खाना खाऊँगा और न मोटर का ही उपयोग करूँगा'।

इस प्रतिज्ञा का उच्चारण होते ही सभा में जो कुछ हुआ, उसका वर्णन करने के लिए किसी कवि की लेखनी चाहिए। सभा में वैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की आँख से चौधार आंसू वहने लगे। हरएक ने अपने मन में यह महसूस-सा किया कि कोई वड़ी (गंभीर) ग़लती हो गई है। गाधीजी को हमारी किसी कमजोरी या कसूर से भारी सदमा पहुँचा है, और इसीलिए वे उस कमजोरी या कसूर का प्रायश्चित्त करने को तैयार हुए हैं। वात की वात में लोग परिस्थिति को ताड गये और फिर एक के वाद एक उठकर कहने लगे: 'हम अपनी प्रतिज्ञा से कभी नहीं डिगेंगे। कुछ ही क्यो न हो जाय, चाहे असंभव संभव वन जाय, पर हम अपनी

टेक न छोड़ेंगे । हममें जो कमज़ोर हैं, उन्हे हम घर-घर जाकर समझायेंगे और कैसी भी हालत में पीछे न हटने देंगे । आप अपनी इस भीषण प्रतिज्ञा को छोड दीजिये । ' यह प्रभाव लोगों की इन वातों तक ही सीमित न रहा । दुपहर होते-होते तो दल के दल मजदूर आश्रम में आने लगे और गाधीजी से दीन व करुण शब्दों में प्रतिज्ञा छोड देने की प्रार्थना करने लगे । कुछ मज़दूर उत्साहपूर्वक मजदूरी मांगने लगे, कुछ मुफ्त में मज़दूरी करके अपनी कमाई के पैसे उन मज़दूरों को देने के लिए तैयार हो गये, जो खुद मजदूरी नहीं करते थे, या करने में असमर्थ थे । आश्रम के लिए भी वह एक वडा धन्य दिवस था । मज़दूरों का उत्साह बढाने के लिए, श्री० शकरलाल वैंकर जैसे, जिन्होने कभी धूप तक वर्दाश्त नहीं की थी, ईंट, रेत, वग़ैरा ढोने लगे थे । आज तो अनसूयावहन भी इसमें शामिल हुईं । आश्रम के भाई-वहनों के सिवा वहां के बालक भी इस काम में वडी उमंग से हाथ बँटाने लगे । इस सवका कुछ अवर्णनीय प्रभाव पडा । मज़दूरों के उत्साह और उमग का पार न रहा । जो लोग पहले भिन्नाते हुए और झीखते हुए काम पर आते थे, जो वदन चुरा कर सुस्ती से काम करते थे, वे लोग भी पहले से दुगना काम दुगने जोर से करने लगे ।

एक ओर जब यह सव हो रहा था, तभी दूसरी ओर, गाधीजी के सामने सैकडों मज़दूर गाधीजी को उलाहना देनेवाले जुगलदास की चाल के मज़दूरों को लेकर अपना पश्चात्ताप प्रकट करने और गांधीजी से उनकी प्रतिज्ञा छुडवाने का प्रयत्न कर रहे थे । ' हडताल महीनों चली, तो भी हम पीछे न हटेंगे । मिलों को छोडकर जो मिल जायगा, वही धन्धा करेंगे । महेनत-मज़दूरी

से अपना गुज़र करेंगे, भीख मांगेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा न तोड़ेंगे।' सब इसी आशय का विश्वास दिलाने लगे। कुछ लोगो की भावनायें तो इतनी उत्तेजित हो उठी थीं कि उन्होंने गांधीजी से कह दिया कि अगर अनसूयाबहन, जिन्होने उसी सभा में निराहार रहने की प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को वापस न लौटा लेंगी, तो वे कुछ अनहोनी-सी कर डालेंगे। एक भाई तो अपनी कमर में खंजर खोसकर लाये थे। उन्होने आत्महत्या की धमकी दी। यह मीठा और करुण कलह इतनी देर तक चला कि आखिर अनसूयाबहन को आहार लेना स्वीकार करना पड़ा।

शाम को पांच बजे मजदूरों की सभा रक्खी गई थी। आज की पत्रिका का विषय था: 'मज़दूरी'। मज़दूरी के महत्त्व और उसकी पवित्रता के बारे में इतनी सरल और दिल को हिलाने-वाली गुजराती में यह पहली ही चीज लिखी गई थी। 'मज़दूर का मजदूरी न करना, शकर का अपनी मिठास छोड़ देना है। यदि समुद्र अपना खारीपन छोड़ दे, तो हमें नमक कैसे मिले? मजदूर मज़दूरी छोड़ दे, तो यह दुनिया रसातल में चली जाय। शीरीं के लिए फरहाद ने पत्थर तोड़े थे; मज़दूरों की शीरीं उनकी प्रतिज्ञा है, उसके लिए मज़दूर पत्थर क्यो न तोडे? सत्य के लिए हरिश्चन्द्र बिके। अपने सत्य की रक्षा के लिए मज़दूर मज़दूरी के तमाम कष्टों को, यदि वे कष्ट हैं, क्यों न सहें? अपनी आन के लिए हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने अज़हद तकलीफें उठाईं; हम अपनी आन के लिए मरने को क्यों न तैयार रहें?'

उस दिन की शामवाली सभा में गांधीजी ने मज़दूरों को इन उद्गारों का महत्त्व समझाने के साथ ही नई उत्पन्न परिस्थिति

पर प्रकाश डालने के लिए एक बहुत ही सुन्दर भाषण किया था। उस भाषण के कुछ महत्त्वपूर्ण अंश नीचे दिये जाते हैं :

'आप लोगों को पता चला होगा कि आज सुबह की सभा में क्या-क्या काम हुआ। कइयों को बडा सदमा-सा पहुँचा, कई रो पडे! मैं नहीं समझता कि सुबह जो कुछ हुआ वह गलत हुआ या शरमाने-जैसा हुआ। जुगलदास की चालवालो ने जो टीका की, उससे मुझे गुस्सा नहीं आया, उलटे उससे तो मुझे, अथवा जिन्हें हिन्दुस्तान की कुछ सेवा करनी है उनको, बहुत कुछ समझ लेना है। मैं मानता हूँ कि अगर हमारी तपश्चर्या, यानी ज्ञानपूर्वक दु ख सहने की शक्ति, सच्ची है, तो वह कभी निष्फल हो नहीं सकती—उसके सुफल फलकर ही रहेंगे। मैंने आपको एक ही सलाह दी। आपने उसके अनुसार प्रतिज्ञा ली। इस युग में प्रतिज्ञा का मूल्य, टेक की कीमत, नष्ट हो गई है। लोग जब चाहते हैं और जिस तरह चाहते हैं, ली हुई प्रतिज्ञा तोड देते हैं, और इस तरह प्रतिज्ञा का पानी उतार देने से मुझे दु ख होता है। साधारण आदमी को बाँधने के लिए प्रतिज्ञा से बढकर दूसरी कोई डोर नहीं। दुनिया में हम जिस परमात्मा को मानते हैं, उसको अपना साक्षी बनाकर जब हम किसी काम को करने के लिए तैयार होते हैं, तो वही हमारी प्रतिज्ञा हो जाती है। जो उन्नत हैं वे बिना प्रतिज्ञा के भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन हमारे समान अवनत या पिछडे हुए लोग वैसा नहीं कर सकते। हम लोगो के लिए, जो जीवन में हजारों बार गिरते हैं, इस तरह की प्रतिज्ञाओं के बिना ऊपर चढ़ना असभव है। आप मजूर करेंगे कि अगर हमने प्रतिज्ञा न ली होती, और रात-दिन उसका रटन न किया होता, तो हममें से बहुतेरे कभी के

फिसल चुके होते। आप लोगों ने ही मुझसे कहा है कि इससे पहले इतनी शक्ति के साथ चलनेवाली कोई हड़ताल आपने नहीं देखी। फिसलने या हारने का कारण पेट की आग है। मेरी सलाह है कि आप लोगो को पेट की इस आँच को सहकर भी अपनी टेक पर कायम रहना चाहिए। इसके साथ ही मेरी और मेरे साथ काम करनेवाले भाई-बहनो की भी यह प्रतिज्ञा है कि किसी भी दशा मे हम आपको भूखों न मरने देंगे। अगर हम अपने सामने आपको भूखो मरने दें, तो आपका फिसलना—पीछे हटना—स्वाभाविक है। इस तरह की दुहेरी सलाह के साथ एक तीसरी चीज़ और रह जाती है। वह यह कि हम आपको भूखो न मारें, बल्कि आपसे भीख मँगवायें। अगर हम ऐसा करते हैं, तो भगवान के सामने गुनहगार ठहरते हैं, चोर साबित होते है। लेकिन यह मैं आपको किस तरह समझाऊँ कि आप मजदूरी करके अपना पेट भरिये! मैं मज़दूरी कर सकता हूँ; मैंने मज़दूरी की है, आज भी करना चाहता हूँ; पर मुझे मौक़ा नहीं मिलता। मुझे अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए सिर्फ कसरत के तौर पर थोड़ी मज़दूरी कर लेता हूँ। अगर आप मुझसे यह कहें कि हमने तो कर्घे की मजदूरी की है, दूसरी मजदूरी हम नही कर सकते, तो क्या यह कहना आपको शोभेगा? हिन्दुस्तान में इस तरह का वहम घुस गया है। उसूलन् यह ठीक है कि एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए, लेकिन जब इसका उपयोग बचाव के तौर पर किया जाता है, तो बात बिगड़ जाती है। मैंने इस मसले पर बहुत सोचा है। जब मुझ पर दो एक सीधे हमले हुए तो मैंने सोचा कि अगर मुझे आप लोगों से आपका अपना धर्म पलवाना हो, प्रतिज्ञा और मजदूरी की क़ीमत

आपको समझानी हो, तो मुझे आपके सामने इसका कोई जीता-जागता सबूत पेश करना चाहिए। आपके साथ हम लोग कोई खिलवाड नहीं कर रहे हैं, कोई नाटक नहीं दिखा रहे हैं। जो बातें हम आपसे कहते हैं, उन्हें हम स्वय भी पालने को तैयार हैं, यह मैं आपको कैसे समझाऊँ? मैं कोई परमात्मा या खुदा नहीं हूँ कि किसी दूसरे तरीके से यह सब आपको दिखा दूँ। मैं तो आपके सामने कुछ ऐसा कर दिखाना चाहता हूँ, जिससे आप भी समझ जायँ कि इन्सान के साथ तो साफ-साफ बातें ही करनी होंगी, नाटक-चेटक से काम नहीं चलेगा। 'दूसरी कोई लालच या धमकी देकर भी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करवाया जा सकता। लालच तो धन-दौलत की ही दी जा सकती है। जिसे अपना धरम प्यारा है, टेक प्यारी है, देश प्यारा है, वही अपनी टेक पर कायम रह सकता है, इसे आप समझ सकते हैं।'

ऊपर के अवतरण में गाधीजी ने 'प्रतिज्ञा' का तात्त्विक रहस्य और अपनी प्रतिज्ञा का उद्देश्य बडे सरल ढ़ग से और पर्याप्त विस्तार के साथ समझाया है, अतएव विस्तारभय का जोखिम उठाकर भी वह यहाँ अक्षरशः दिया गया है। इस प्रतिज्ञा के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई, वह इतनी तो जिज्ञासा, टीका और चर्चा का विषय बनी थी कि उसके सबध में कुछ कहने से पहले भिन्न-भिन्न अवसरो पर स्वय गाधीजी ने इस सम्बन्ध में जो कुछ कहा था, उसका उल्लेख कर देना ज़रूरी है। उनके भाषण के कुछ और वाक्य यहाँ देने लायक हैं। भाषण के सिलसिले में एक जगह उन्होंने कहा था 'मुझे इस तरह की प्रतिज्ञायें लेने की आदत है, लेकिन इस डर से कि कहीं लोग उनकी झूठी नकल न करें, मैं प्रतिज्ञा करना ही छोड देता हूँ। किन्तु मुझे तो

करोड़ों मज़दूरों के सम्पर्क में आना है, अतएव उसके लिए मुझे अपनी आत्मा के साथ खुलासा कर लेने की ज़रूरत रहती है। मैं आपको यह दिखाना चाहता था कि आप लोगों के साथ मुझे खिलवाड़ नहीं करना है।' आगे इसी सिलसिले में फिर कहा था: '**मैंने आपको अपने कार्य द्वारा यह दिखाने की कोशिश की है कि प्रतिज्ञा का जो मूल्य मैं आँकता हूँ, वही आप भी आँकें।** आपने एक काम कर दिखाया है। आपके दिल में यह खयाल आ सकता था: 'हमें आपकी प्रतिज्ञा से क्या संबंध? हम बाहर नहीं रहेंगे। हम तो काम पर जायँगे।' लेकिन आपने यह नहीं सोचा। आपने हमारी सेवा को पसंद किया। और मैंने आपकी बहुत क़ीमत आँकी। आपके साथ मरना मुझे सुन्दर लगा; आपके साथ तरना भी मुझे सुन्दर प्रतीत हुआ।'

इस पहलू पर इतना सोच लेने के बाद अब हम देखें कि प्रतिज्ञा के संबंध में लोकचर्चा किस तरह की हुई। उन दिन तक हिन्दुस्तान ने अपने लोकनेताओं को लोकसेवा के लिए उपवास की प्रतिज्ञा के प्रयोग करते देखा-सुना नहीं था। लेकिन गांधीजी का तो यह एक सिद्धान्त ही है कि मनुष्य के अध:पतन के समय की गई भीषण प्रतिज्ञायें उसे अध:पात से बचा सकती हैं। दक्षिण आफ्रिका में गाधीजी अपने इस सिद्धान्त पर कई बार अमल भी कर चुके थे। यहांवालों को यह एक नया ही प्रयोग मालूम हुआ। जो लोग मानते थे कि गांधीजी कभी विवेक न छोड़ेंगे, उनकी जिज्ञासा सतेज हुई। जो इसमें विश्वास नहीं रखते थे, वे सोचने लगे कि गांधीजी ने घबराकर मिलमालिकों को दबाने के लिए यह प्रपन्च रचा है। प्रोफेसर आनंदशंकर ध्रुव ने पहले ही दिन आकर

पूछा था . "मैं जानता हूँ कि आपने जो उग्र निश्चय किया है, सो अपने समूचे जीवन मे ओतप्रोत किसी सूत्र के अनुसार ही किया होगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह किसलिए किया गया है।" इसको लेकर प्रतिज्ञा के आध्यात्मिक रहस्य पर जो चर्चा चली, यहाँ उसके विवरण में उतरने का विचार नहीं है।

इस सम्बन्ध में यही कहना काफी होगा कि इस सारी चर्चा के दरम्यान प्रो० आनन्दशकर का खयाल यह था, कि इस प्रकार की प्रतिज्ञा से कुछ समय के लिए मनुष्य का बाह्य आचरण चाहे बदल जाय, लेकिन मनुष्य का हृदय नही बदल सकता। गाधीजी उन्हें समझाने की खूब कोशिश करते थे, किन्तु उससे प्रो० आनन्दशंकर को सन्तोष होता नज़र नहीं आता था। यों, मिल-मज़दूरों का जो सवाल अब तक एक सकुचित सवाल था, अब व्यापक बन गया। गाधीजी की भीषण प्रतिज्ञा के कारण नगर के तटस्थ सज्जनों को भी अपनी तटस्थता का त्याग करना पडा। इसी सिलसिले में धीरे-धीरे प्रो० आनन्दशकर के साथ गाधीजी का सम्बन्ध बढ़ना शुरू हुआ। बाहर के — हिन्दुस्तान के विभिन्न स्थानो के — लोक-नेता भी बहुत चिन्तित हो उठे, और सब यही मनाने लगे कि किसी तरह इस झगडे का निपटारा हो जाय तो अच्छा।

हम नहीं कह सकते कि मिलमालिको पर इसका कोई असर ही न हुआ हो। अलबत्ता, उनमें से कइयो का यह खयाल ज़रूर था कि गाधीजी ने मालिकों को दबाने के लिए ही यह ढोंग या प्रपच रचा है। लेकिन श्री० अम्बालालभाई को, जिन्होंने अब तक अपने कठोर आग्रह के कारण अपने मालिक भाइयों को

दृढ रक्खा था, इस घटना से घनी पीडा हुई। वे घण्टो गांधीजी के पास आकर बैठने लगे, और उनसे प्रतिज्ञा छोड देने की प्रार्थना करने लगे। तीसरे दिन तो उनके साथ दूसरे कई मिल-मालिक भी आये। सबका यह आग्रह तो था कि गांधीजी अपना उपवास छोड़ दें, लेकिन मज़दूरों की प्रतिज्ञा की रक्षा के बारे में वे उतने आग्रही न थे। गांधीजी को भी यह ख़याल तो बराबर था कि प्रतिज्ञा का अप्रत्यक्ष प्रभाव मिलमालिकों पर दबाव डालेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में वे मालिकों को बार-बार समझाने लगे। अपने प्रत्येक भाषण में उन्होने बार-बार यह बताया कि मालिकों पर पडनेवाले दबाव के कारण प्रतिज्ञा कुछ दूषित ज़रूर होती है, तथापि उसका मूल उद्देश्य तो मजदूरों को यह समझाना है कि उनकी प्रतिज्ञा का कितना महत्त्व है और क्यों उन्हें अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहना चाहिए।

कई मिल-मालिक गांधीजी से कहते: 'इस बार आपके ख़ातिर हम मजदूरो को ३५ प्रतिशत दे देंगे।' इस पर गांधीजी साफ इन्कार करते हुए कहते: 'मुझ पर दया करके नहीं, बल्कि मजदूरो की प्रतिज्ञा का आदर करके, उनके साथ न्याय करने के लिए, उन्हें ३५ प्रतिशत दीजिये।' उपवास की प्रतिज्ञा के बाद तीसरे दिन शाम को उन्होंने कहा था: "मिल-मालिको ने आकर मुझसे कहा: 'आपके ख़ातिर हम ३५ प्रतिशत दे देंगे।' लेकिन उनका मेरे ख़ातिर ३५ प्रतिशत देना मुझे तलवार की धार की तरह खटकता है। मैं इस चीज़ को जानता था, फिर भी मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सका, क्योंकि मैंने दूसरी तरफ यह सोचा कि १०,००० आदमियों का अपनी प्रतिज्ञा से मुँह मोडना एक ईश्वरी प्रकोप ही होगा। मेरे

लिए तो यह वहुत ही शरम की वात है कि **मेरे ख़ातिर** आपको ३५ प्रतिशत मिले।"

यों चर्चायें होती रहती थीं और उपवास के दिन वढ़ते जाते थे। उपवास से गाधीजी के शरीर में शिथिलता उत्पन्न होने के वदले, एक प्रकार की स्फूर्ति-सी वढ़ रही थी। उन्हें समझाने और उनके उपवास की प्रतिज्ञा छुडवाने की कोशिशें चारो ओर से वरावर जारी थीं। ऊपर कहा जा चुका है कि श्री० अंवालालभाई को इस प्रतिज्ञा से वडा आघात पहुँचा था, अतएव गाधीजी को समझाने की उनकी कोशिशें भी हद दर्जे की थीं। अपने पक्ष के विषय में उनकी मुख्य दलील यह थी: 'मजदूर इस प्रकार वार-वार, मनमाने ढंग से, हमारा विरोध करें, और इसमें उनको वाहर से प्रोत्साहन भी मिले, तो इस चीज को हम सह नहीं सकते। अगर यही सिलसिला ज़ारी रहा तो मजदूरों में विनय नाम की कोई चीज रह न जायगी। इस तरह तो हमारे और मजदूरों के वीच जव-जव झगडा होगा, तव-तव हमेशा हमें किसी तीसरे पक्ष को पच वनाना पडेगा, जो हमारे लिए शोभास्पद नहीं होगा। उससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। हां, अगर आप भविष्य में हमारे और मज़दूरो के सवालों को हमीं तक रहने दें और खुद हमेशा के लिए उनसे हाथ धो लें, तो हम तुरन्त ३५ प्रतिशत दे दें।' यह कोई मामूली माँग न थी। अन्याय, अनीति और अत्याचार का आन्तरिक प्रेरणा से विरोध करनेवाले गाधीजी यों मज़दूरो की सेवा के दरवाज़ों को अपने हाथों हमेशा के लिए वंद कर दें, यह कभी हो नहीं सकता था। अतएव सेवावृत्ति को हमेशा के लिए ताक पर रखने की मज़ूरी देकर मज़दूरों के लिए ३५ प्रतिशत प्राप्त करने और उपवास छोड देने की वात जव

न सकी। इसके बाद समझौते की बातचीत ने दूसरा रूप धारण किया। मालिको की ओर से यह दलील पेश की गई: 'किसी भी तरह मालिकों का आग्रह भी सिद्धान्त के रूप में माना जाना चाहिए। आप ही की तरह मिलमालिको की भी अपनी प्रतिज्ञा है।' गांधीजी ने नीचे लिखे प्रतिप्रश्न द्वारा मालिकों की इस दलील का थोथापन सिद्ध कर दिखाया: "क्या कोई राजा यह प्रतिज्ञा कर सकता है: 'मैं अपनी प्रजा पर भारी-भारी कर लादूँगा, और उसकी दाद-फरियाद कभी न सुनकर उसे हैरान करूँगा'?" फिर भी इस सारे ऊहापोह के बीच गांधीजी के मन से यह बात दूर नहीं हो रही थी कि उपवास के कारण मालिकों पर दबाव पड़ता है। अतएव मालिको की प्रतिज्ञा को सुरक्षित रखने के लिए वे कृत्रिम उपायों से काम लेने को राजी हो गये। लड़ाई छिड़ने से पहले दोनों पक्षो ने पच के जिस उसूल को माना था, वह गांधीजी को भी मजूर था। इसलिए गांधीजी ने यह मान लिया कि 'अगर मजदूरों की प्रतिज्ञा के शब्दों की रक्षा हो जाय, तो और बातों में पंच जो कहेंगे उसे मज़दूर कबूल रक्खेंगे।' इससे समझौते का रास्ता बहुत कुछ खुल गया। फलतः मज़दूरो की प्रतिज्ञा को निभाने के लिए पहले दिन ३५ प्रतिशत भत्ता देने, और मालिकों की प्रतिज्ञा को निभाने की गरज से दूसरे दिन २० प्रतिशत भत्ता देने, एवं तीसरे दिन मज़दूरों और मालिको द्वारा नियुक्त पंच जो फैसला कर दें, उतने प्रतिशत देने का एक प्रस्ताव समझौते के आधाररूप में पेश हुआ। लेकिन बाद मे दोनो पक्षों ने यह माना कि पच न तो तीसरे दिन अपना फैसला दे सकेंगे, और न ही अमुक प्रतिशत दिला सकेंगे, अतएवं उन्हें जांच-पड़ताल के लिए पूरा समय मिलना चाहिए। यह भी तय हुआ कि इसके लिए

उन्हें तीन महीनों की मुद्दत मिलनी चाहिए। अब सवाल यह उठा कि पंच का फैसला होने तक मजदूरों को भत्ता किस हिसाब से दिया जाय? इस सवाल को दोनो पक्षो ने नरमी-गरमी से हल किया। मज़दूर दल ने अपनी मांग को ७॥ टका घटाया, मालिकों ने ७॥ टका बढ़ाना कबूल किया और यह तय हुआ कि बीच के समय मे, यानी पचों का फैसला मिलने तक मजदूरो को २७॥ टका भत्ता दिया जाय। प्रो० आनन्दशकर ध्रुव को दोनों पक्षों ने एकमत से पच नियुक्त किया। चूँकि उपवास की प्रतिज्ञा के दिन से ही प्रो० आनन्दशंकर ने इस झगडे में सक्रिय रस लिया था, इसमें अपनी अमली दिलचस्पी दिखाई थी, इसलिए सहज ही पच का दायित्व भी उन पर आ पडा और उन्होंने उसे सहर्ष स्वीकार किया। अब तो कुछ करने को न रहा था। दूसरे दिन सवेरे ही मजदूरों को पता चल गया कि झगडा मिट चुका है, इसलिए वे हजारों की तादाद में शाहपुर दरवाजे के पास पेड के नीचे आकर बैठ गये थे, और यह जानने को उत्सुक व आतुर थे कि फैसला क्या हुआ और किस तरह हुआ। आज की सभा में कमिश्नर साहब को भी निमन्त्रित किया गया था, और उन्होने उस निमत्रण को आग्रहपूर्वक स्वीकारा था। शहर के अन्य अनेक प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुष भी सभा में उपस्थित थे। ग्यारह बजे गांधीजी आये और उन्होंने समझौते की हकीकत मज़दूरो के सामने पेश की। यह हकीकत गाधीजी के शब्दो में ही नीचे दी जाती है 'जिस समझौते की बात मै आपके सामने पेश करनेवाला हूँ, उसमें सिवा इसके कि मज़दूरों की सिर्फ टेक कायम रह जाती है, और कोई बात नहीं है। मैने मालिकों को अपनी शक्तिभर समझाया, हमेशा के लिए ३५ प्रतिशत देने को कहा। परन्तु यह बात उन्हें

बहुत भारी मालूम हुई। अब मैं आपसे एक बात कह दूँ। यह कि हमारी माँग एकतर्फा थी। लड़ाई से पहले हमने मालिकों का पक्ष जानने की माँग पेश की थी, परन्तु तब उन्होंने उसे माना नहीं था। अब वे पंच के प्रस्ताव को मजूर करते हैं। मैं भी कहता हूँ कि यह झगड़ा पंच के सामने भले जाय। पंच से मैं ३५ प्रतिशत ले सकूँगा। अगर पंच कुछ कम देने का निर्णय देंगे, तो मैं मान लूँगा कि हमने माँगने में ही भूल की थी। मालिकों ने मुझसे कहा कि जैसी मेरी प्रतिज्ञा है, वैसी उनकी भी प्रतिज्ञा है। मैंने उन्हें कहा है कि ऐसी प्रतिज्ञा करने का उन्हें अधिकार नहीं। लेकिन उनका आग्रह रहा कि उनकी प्रतिज्ञा भी सच है। मैंने दोनो की प्रतिज्ञा पर विचार किया। मेरे उपवास मार्ग में बाधक बने। मैं इनसे यह तो नहीं कह सकता था कि मुझे मुँहमांगा दोगे, तभी मैं उपवास तोड़ूँगा, यह तो नामर्दी की बात होती। अतएव मैंने मान लिया कि फिलहाल तो दोनों पक्षों की प्रतिज्ञायें रहें. और बाद में पंच जो फैसला दे दें, सो सही। अतः थोड़े में हमारे समझौते का सार यह है कि पहले दिन हमें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ३५ प्रतिशत भत्ता मिले, दूसरे दिन मालिकों की प्रतिज्ञा के अनुसार २० प्रतिशत मिले, और तीसरे दिन से पंच का फैसला होने तक २७।। प्रतिशत मिले। बाद में पंच ३५ प्रतिशत का फैसला दें, तो मालिक ७।। टका हमें ज्यादा दें और २७।। से कम का फैसला दें तो उतनी रकम हम मालिकों को लौटा दें।' मजदूरों ने इस घोषणा का बड़े हर्ष के साथ स्वागत किया। लेकिन उन्हें केवल हर्ष-समाचार सुनाना ही काफी न था। दो बातें नसीहत की भी कहनी थीं। गांधीजी ने इस मौके पर वे बातें भी कह दीं :- 'हमने आपस मे मिलकर

सारी मसलहत की है, अब हमसे विना मिले आप कोई प्रतिज्ञा न कर बैठना । जिसे अनुभव नहीं, जिसने कुछ किया-धरा नहीं, वह प्रतिज्ञा का भी अधिकारी नहीं । बीस वर्षों के अनुभव के बाद मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि प्रतिज्ञा लेने का अधिकार मुझे है । मैंने देखा है कि आप अभी प्रतिज्ञा के लायक नहीं बने । अतएव अपने बुजुर्गों से पूछे बिना प्रतिज्ञा न लेना । प्रतिज्ञा लेनी ही पडे, तो हमसे आकर मिलना। जब ऐसा समय आयेगा, तो विश्वास रखिये कि आज की तरह तब भी हम आपके लिए मरने को तैयार रहेंगे । लेकिन याद रखिये कि जो प्रतिज्ञा आप हमारे सामने लेंगे, उसीके लिए हम आपकी मदद कर सकेंगे । भूल से की जानेवाली प्रतिज्ञा तोडी भी जा सकती है । आपको तो अभी यह सीखना है कि प्रतिज्ञा कब और किस तरह लेनी चाहिए ।'

इसके बाद गाधीजी ने बताया कि इस समझौते की ख़ुशी में मिलमालिक मजदूरों में मिठाई बांटना चाहते हैं । उन्होंने मज़दूरों को समझाया कि वे मालिकों की इस माँग को सहर्ष मंजूर करें । मज़दूरों ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया । यह दिखाने को कि समझौते की शर्तें सबको मजूर हैं, मज़दूरो में से अलग-अलग खातो के अगुआ मज़दूर मंच पर आये और अपने संक्षिप्त एव सामयिक भाषणों द्वारा उन्होंने अपना हर्ष और अपनी कृतज्ञता प्रकट की । इसके बाद मज़दूरों और मित्रो के आग्रह से गाधीजी ने वहीं पारणा किया । उत्तरी विभाग के तत्कालीन कमिश्नर मिस्टर प्रैट इस अवसर पर अपने हर्ष को छिपा न सके । वे उठे और दोनों दलों का अभिनंदन करते हुए उन्होंने एक सक्षिप्त भाषण किया : 'आपके बीच समझौता हो

रहा है, यह देखकर मुझे बड़ी ख़ुशी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि जबतक आप मिस्टर गांधी की सलाह लेते रहेंगे और उनका कहा करेंगे, आपका भला ही होगा और आपको इन्साफ़ ही मिलेगा। आपको याद रखना चाहिए कि आपके लिए मिस्टर गांधी ने और उनके सहायक भाई-बहनों ने बहुत कष्ट उठाये हैं, बड़ी मुसीबतें झेली हैं, और आपके साथ प्रेम व दया का व्यवहार किया है। मुझे आशा है, कि यह बात आपको हमेशा याद रहेगी।'*

उसी दिन शाम को श्री० अंबालालभाई के बंगले के सामने वाले विशाल आँगन में सभी मज़दूर इकट्ठा हुए और मिलमालिकों ने उन्हें मिठाई बाँटी। इस अवसर पर गांधीजी ने और श्री० अंबालालभाई ने जो विचार प्रकट किये थे, वे इस बात को भली-भाँति सिद्ध करनेवाले थे कि मालिकों और मज़दूरों के बीच की यह लड़ाई कितने सीधे-सच्चे ढंग से लड़ी गई थी और अन्त में कितनी मिठास के साथ दोनों दलों में समझौता हुआ था। यहाँ श्री० अंबालालभाई के दो-चार वाक्य ही पर्याप्त होंगे: 'आज २२ दिन के बाद मजदूरों ने बुनाई विभाग को खोलने और

*इस संबध की एक उल्लेखनीय बात यह है कि जिन दिनों खेडा सत्याग्रह की लड़ाई अपने पूरे जोर पर थी, तब इन्हीं कमिश्नर साहब ने रोषवश ऐसी-ऐसी बातें कही थीं, जो इन बातो के बिलकुल खिलाफ़ पड़ती थीं—अत्यन्त अशोभन थीं; लेकिन चूँकि गांधीजी उनका सुन्दर जवाब दे चुके हैं, इसलिए यहां उसकी तफसील में उतरना जरूरी नहीं मालूम होता। हां, इससे यह ज़रूर साबित होता है कि अच्छे से अच्छे अधिकारी भी प्रतिष्ठा के भूलभरे विचारों के कारण विवेक का परित्याग करने में नहीं चूकते। —ले०

काम पर हाज़िर होने का जो निश्चय किया है, उससे मुझे बहुत आनन्द हो रहा है। मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहता, फिर भी इतना तो कहूँगा ही कि अगर कारीगर गाधीजी को पूज्य समझते है, तो मिलमालिक भी उनको किसी प्रकार कम पूज्य नहीं मानते, बल्कि अधिक पूज्य ही मानते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच परस्पर हमेशा प्रेम बना रहे।'

गाधीजी के विचार भी यहाँ देने लायक हैः 'मैं मानता हूँ कि जैसे-जैसे दिन बीतते जायँगे, वैसे-वैसे अहमदाबाद तो ठीक, सारा हिन्दुस्तान इन २२ दिनों की लडाई के लिए गर्व का अनुभव करेगा, और हिन्दुस्तानवाले यह मानेंगे कि जहाँ इस तरह की लडाई चल सकती है, वहाँ आशा की बहुत कुछ गुंजाइश है। इस लडाई में वैर-भाव को कोई स्थान नहीं रहा है। मैने ऐसी लडाई का अभीतक अनुभव नहीं किया था। वैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से कई लडाइयों का अनुभव मुझे है, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं याद पडती कि जिसमें दुश्मनी या कडुवाहट इतनी कम रही हो। आशा है, जैसी शाति आपने लडाई के दिनों में रक्खी थी, वैसी आप हमेशा बनाये रक्खेंगे।' इसी कारण जब कुछ मज़दूरों ने यह आग्रह किया कि समझौते की शर्तों में एक शर्त यह भी होनी चाहिए कि मिलमालिक लॉक आउट के समय की तनख्वाह उन्हें दे, तो गाधीजी ने फौरन ही उनको समझाकर चुप कर दिया। समझौते सबन्धी पत्रिका में तो गाधीजी ने इस आग्रह को ही नहीं, बल्कि इसके विचार-मात्र को हेय माना है। 'लॉक आउट के समय की तनख्वाह माँगना, मालिकों के पैसे से लडने के समान है। मजदूरों के लिए इसका विचार भी शर्मनाक है। लडवैये अपनी ताक़त पर ही लड सकते हैं। फिर मालिक मजदूरों को

तनख़्वाह दे चुके हैं। इसलिए अब तो यह भी कहा जा सकता है कि मजदूर नये सिरे से नौकरी पर जाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को लोक आउट के समय की तनख़्वाह लेने का विचार छोड देना चाहिए।'[१]

उस दिन शाम को गांधीजी का जो भाषण हुआ उसके कुछ उद्गार तो मिलमालिको के दिलों को हिलानेवाले और उन्हें जीवन पर्यंत याद रह जानेवाले थे: 'मैं आपकी (मज़दूरो की) ओर से मालिको से क्षमा मांगता हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुःख दिया है। मेरी प्रतिज्ञा तो आपके लिए थी, लेकिन दुनिया में हमेशा हर चीज़ के दो पहलू रहते आये हैं; इसी कारण मेरी प्रतिज्ञा का प्रभाव मालिको पर भी पडा है। मैं दीनतापूर्वक उनसे क्षमा चाहता हूँ। **मैं जितना मज़दूरों का सेवक हूँ उतना ही आपका (मालिकों का) सेवक भी हूँ। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप मेरी सेवाओं का ठीक-ठीक उपयोग कीजियेगा।**'

दूसरे दिन गांधीजी के प्रति और उनके साथ इस लडाई में भाग लेनेवाले भाई-बहनो के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मजदूरो ने जो हर्ष-सभायें और हर्ष-यात्रायें कीं उनका तो यहां उल्लेख-मात्र किया जा सकता है। जिन्होंने उन दृश्यो को देखा है, वे कहते हैं कि अहमदाबाद के लिए तो वे अद्भुत थे, अपूर्व थे।

---

[१] मिलों के खुलने पर इस तनख्वाह के संबंध में कुछ छुटपुट झगडे हुए थे; पर इन झगडों के लिए मज़दूर जितने जिम्मेदार थे, उतने ही मिलमालिक भी ज़िम्मेदार थे।

लडाई के दरम्यान गाधीजी ने अनशन की जो प्रतिज्ञा की थी, और लडाई के वाद जो समझौता हुआ, उस पर उन दिनों अनेक प्रकार की टीका-टिप्पणियाँ हुई। इन टीकाओं के औचित्य अथवा अनौचित्य पर यहाँ कुछ लिखने का विचार नहीं है। स्वय गाधीजी ने इन दोनों वावतो में अपनी आत्मा की कैसी कडी परीक्षा की है, उसका थोडा परिचय इन टीकाकारों के लिए यहाँ देना अप्रासगिक न होगा। समझौते के एक दिन पहले समझौते की शर्तों के वारे में श्री० अवालालभाई को अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था "मुझे जिमाने की इच्छा के वदले आप अपनी न्याय-वृत्ति का अधिक खयाल रखियेगा। मेरा उपवास मेरे लिए तो अतिशय आनददायक है। अतएव मित्रों को उससे दुखी होने की कोई वजह मैं नही देखता। मजदूरों को जो न्यायपूर्वक मिलेगा, वही अच्छी तरह हज़म होगा — अधिक निभेगा। ३५ प्रतिशत, २० प्रतिशत और पच — ऐसी मूर्खता अपने धर्म और गर्व की रक्षा के लिए हम कह सकते हैं, सह सकते हैं। मज़दूर इसे प्रपच मानेंगे, क्योंकि वे सरल हैं। इसलिए मुझे अधिक अच्छा तो तव मालूम होगा, जव दूसरा कोई वेहतर रास्ता मिले। आप ऊपर की शर्तें मंज़ूर कराना चाहेंगे, तो मैं उन्हें भी मंज़ूर करूँगा, पर जल्दवाजी न होने दूँगा। पच मिलकर तुरन्त ही फैसला कर डालें और उन्हीं भावों का हम ऐलान करें, यानी पहले दिन ३५, दूसरे दिन २० और तीसरे दिन पच-फैसले के मुताविक। इसमें भी मूर्खता तो है, लेकिन चौकसाई भी है। तीसरे दिन की रकम का ऐलान आज ही करना होगा।"

समझौते के दिन सुवह की सभा में वोलते हुए इसी सवंध में उन्होंने कहा था· "आपके लिए मैं जो कुछ लाया हूँ, वह

हमारी प्रतिज्ञा के अक्षरों की पूर्ति के लिए काफी होगा, आत्मा के लिए नहीं। आत्मावाले अभी हम है नहीं, इसलिए अक्षर से ही हमें संतोष करना होगा।" लेकिन इससे भी अधिक गहरे और कठोर आत्मनिरीक्षणवाले कुछ उद्गार तो अभी वाकी हैं। उपवास सबंधी कुछ उद्गार ऊपर दिये जा चुके हैं। नीचे के कुछ और उद्गार उपवास की प्रतिज्ञा पर और समझौते पर सविशेष प्रकाश डालते हैं। समझौते के दिन सुबह गाधीजी ने अपने आश्रमवासियो से जो वाते इस वारे में कही थी वे यहाँ उनकी आज्ञा से दी जाती हैं: 'आशा है कि आज दस वजे से पहले समझौता हो जायगा। इस समझौते को मैं अपनी प्रमादरहित स्थिति मे देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि यह ऐसा हुआ है, जिसे मैं कभी स्वीकार न करता। लेकिन इसमें दोप मेरी अनशन संबंधी प्रतिज्ञा का है। मेरी इस प्रतिज्ञा में कई दोष हैं। इसका यह मतलव नहीं कि दोष अधिक हैं, और गुण कम; लेकिन जिस प्रकार वह वहुतेरे गुणो से युक्त है, उसी प्रकार उसमें दोष भी वहुत हैं। जहाँ तक मजदूरो से संवंध है, वह अत्यधिक गुणयुक्त है और उसके परिणाम भी उसी तरह सुन्दर प्रकट हुए हैं। किन्तु जहाँतक मालिकों का सम्बन्ध है, प्रतिज्ञा दोषपूर्ण है, और इसीलिए उस हद तक मुझे झुकना पडा है। मैं कितना ही इनकार क्यों न करूँ, तो भी लोगों को यह अनुभव हुए विना न रहेगा कि मेरे उपवास के कारण मिलमालिको पर दवाव पडता है, और दुनिया भी एकाएक मेरी वात को मानेगी नहीं। मेरी इस कनिष्ठ दशा के कारण मालिक स्वतंत्र नहीं रह पाये हैं। मैं मानता हूँ कि जव कोई आदमी किसी दवाव मे पडा हो, तव उससे कुछ लिखा लेना,

कुछ शर्तें मनवा लेना या कुछ ले लेना न्यायोचित नहीं है। सत्याग्रही का यह तरीका ही नहीं, इसीलिए मुझे इस मामले मे झुकना पडा है। शरम में पडा हुआ आदमी और क्या कर सकता है? मैं थोडी-थोडी करके अपनी माँगें पेश करता गया, **और मालिकों ने उनमें से जितनी स्वेच्छा से मान लीं, उतनी से मुझे संतोष करना पड़ा**। मैं चाहूँ तो अपनी तमाम माँगें उनसे पूरी करा सकता हूँ, लेकिन उनको ऐसे मकट में डालकर मैं उनसे अपनी वे माँगें कभी पूरी नहीं करा सकता। मेरे लिए तो यह व्रत तोडकर विष्टा खाने के बरावर होगा। समय पाकर अमृतपान करनेवाला मैं विष्टा कैसे खा सकता हूँ?'

इसके वाद भी किसी स्पष्टीकरण की जरूरत रह जाती है क्या? अथवा किसी टीका-टिप्पणी की गुजाइश रहती है क्या? फिर भी जो जानते नहीं, उनकी जानकारी के लिए यह कह देना जरूरी है कि पच-फैसले के अनुसार भत्ते की रकम को कबूल रखने में प्रतिज्ञा का तनिक भी भग नहीं हुआ था, क्योकि समझौते के पहले लडाई के दिनों में भी मजदूरों की ओर से तो पच की ही माँग पेश की गई थी, पर उस समय मालिको ने उस माग को मजूर करना ठीक न समझा था। अगर पंच का सिद्धान्त मान लिया जाता, तो मज़दूरों का अपना कोई स्वतंत्र आग्रह था ही नहीं। और समझौते मे पच का यही सिद्धान्त मान लिया गया था।*

---

* अन्तिम पत्रिका में इस विषय का सुन्दर विवेचन किया गया है। फिर भी यह कहना जरा कठिन ही है कि मजदूरों के सामने ३५ प्रतिशत की वृद्धि अथवा पच के उसूल का स्वीकार, ये दोनों ध्येय थे।

यह कहना भी गलत ही है कि चूँकि मिलमालिको ने गांधीजी के प्रति दयार्द्र होकर उनकी माँगें मंज़ूर कर ली थीं, इसलिए मजदूरों की लडाई नीरस वन गई थी। समझौते से पहले मिल-मालिको ने जो दलीलें पेश कीं, और इन दलीलों को पेश करने मे उन्होने जितने दिन विताये, उससे साफ मालूम होता है कि मालिको ने विना सोचे-समझे केवल अपने मन की मौज के खातिर मज़दूरों की माँग नामंज़ूर कर दी थी। फिर श्री० आनन्दशंकरभाई का फैसला मालूम होने से पहले ही कई मिलों में मज़दूरों को ३५ प्रतिशत और कई जगह ३५ से भी अधिक भत्ता मिलने लग गया था। इससे भी सावित होता है कि मालिको के सामने अवेर-सवेर कम से कम ३५ प्रतिशत देने के सिवा और कोई चारा न था। मिलमालिकों की ओर से प्रकाशित कुछ पत्रिकाओं मे से अन्तिम पत्रिका में श्री० अंवालालभाई के नाम भेजा गया श्रीमती एनी वेसेण्ट का तार — 'For India's sake, try persuade owners' yield and save Gandhi's life' — उद्धृत करके मालिको ने अपनी उदारतावश गाधीजी को मौत से वचा लेने का दावा किया है। इस पर क्या कहा जाय? पाठको को हमारी सलाह है कि वे मालिको की इस पत्रिका को मजदूर पक्ष की अन्तिम पत्रिका के साथ रखकर पढ़ें। शायद ही कोई जानता हो कि उसी दिन गांधीजी को जो अनेक तार मिले थे, उनमें मिस फरिंग नामक एक डेनिश साध्वी की ओर से नीचे लिखा तार आया था: 'Greater love knoweth no man than that he layeth down his life for the sake of his fellowmen.'

इस इतिहास के वाद और कुछ लिखने को रह नहीं जाता।

मजदूरों और मिल-मालिकों की ओर से चुने गये पच श्री० आनदशकर ध्रुव के सामने दोनों पक्षो की तरफ से जो बातें, जो हकीकते पेश की गई थीं, वे अक्षरश परिशिष्ट मे दी है, और परिशिष्ट में ही पच का निर्णय भी दिया है, अतएव यहाँ उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं मालूम होती। मिलमालिकों ने मजदूर पक्ष की एक भी हकीकत का जवाव देने की जरूरत नहीं समझी। उलटे मिलउद्योग के दो वडे दलों के बीच जो सबध है, तथा होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने अपने कुछ सकुचित विचार ही पेश किये। अतएव आश्चर्य नहीं कि पच महोदय को उनके वक्तव्य मे से तथ्य की कोई बात न मिली हो। उन्होंने स्वय यह भी अनुभव किया कि पहले की बनिस्वत छ गुना और तीन गुना मुनाफा कमानेवाले मिल-मालिक बाध्य किये जाने पर मजदूरो को मनचाहा इजाफा दे सकते है, अतएव उन्होने **व्यावहारिक न्याय** के रूप मे यह फैसला सुना दिया कि 'मिलमालिको को चाहिए कि वे कारीगरों को झगडे से सबंध रखनेवाले शेष सारे समय का वेतन ३५ प्रतिशत वृद्धि के साथ दे — यानी २७॥ टका दे चुकने पर शेप रही हुई रकम वे कारीगरों को दें।' इस प्रकार जिस निश्चय के साथ गाधीजी ने मज़दूरों से कहा था कि: 'पच से हम ३५ प्रतिशत ले सकेंगे,' उनका वह निश्चय अक्षरश सच साबित हुआ।

गाधीजी के पुण्य-प्रताप से अहमदावाद को और अहमदावाद के निमित्त से सारे हिन्दुस्तान को इस सीधी, सुन्दर और निर्दोष लडाई का सुख लूटने को मिला। इससे पहले हिन्दुस्तान मे कई वार अलग-अलग जगहों में मालिको और मजदूरों के बीच लडाई-झगडे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस लडाई की तरह पवित्र साधनों से, धन के नहीं, बल्कि निरे सकल्प के बल पर

और संपूर्ण मिठास के साथ नहीं लड़ी गई; किसी भी लड़ाई का परिणाम इस लड़ाई के परिणाम के समान दोनों दलों के लिए हितकारक और उन्नतिप्रद नहीं हुआ, और इस लड़ाई के कारण भविष्य में किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना अथवा उसके फलस्वरूप किसी गंभीर परिस्थिति के उत्पन्न होने की आशंका इतनी कम हो गई है कि आज उसकी कल्पना करना भी कठिन है।

लड़ाई के दिनों में प्रकाशित पत्रिकायें

१

ता० २२ फरवरी से यह लोक आउट शुरू है, और उसी दिन से बुनाई विभाग के कारीगरों के पास कोई काम नहीं है। जब मिलमालिकों ने महामारी के कारण दिये जानेवाले भत्ते को बन्द करने की सूचना निकाली और उसके सम्बन्ध में गलत-फहमियाँ खडी हुईं, तो मालिकों की ओर से यह कहा गया था कि मजदूरो और मालिकों के आपसी झगडे का फैसला पच द्वारा करा लिया जाय। यह मान लिया गया था कि मज़दूर भी इससे सहमत ही होंगे। आखिर ता० १४–२–'१८ के दिन मिलमालिको ने तय किया कि महामारी के भत्ते के बदले में महँगाई का कितना अधिक भत्ता देना उचित होगा, इसका फैसला पंचों द्वारा करा लिया जाय। फलत मज़दूरों की ओर से महात्मा गाधीजी, श्री० शकरलाल बैंकर और श्री० वल्लभभाई पटेल, और मालिकों की ओर से सेठ अंबालाल साराभाई, सेठ जगाभाई दलपतभाई और सेठ चदुलाल पच नियुक्त किये गये और कलेक्टर साहब इस पच-समिति के सभापति बनाये गये। इसके बाद ही किन्हीं गलत-फहमियों की वजह से मज़दूरों ने हडताल कर दी। यह मज़दूरों की भूल थी। मज़दूर अपनी भूल सुधारने को तैयार भी हुए। पर मालिकों ने सोचा कि जब मज़दूरों ने पचो के फैसले से पहले

ही हड़ताल करने की गलती की है, तो अब वे अपने पंच सम्बन्धी प्रस्ताव को रद कर सकते हैं, और उन्होंने वह प्रस्ताव रद कर दिया। इसके साथ उन्होंने यह भी तय किया कि मजदूरों को उनकी चढ़ी हुई तनख्वाह चुका दी जाय, और अगर २० प्रतिशत भत्ते से उन्हें संतोष न हो तो उनको रुखसत दे दी जाय। बुनकरों को संतोष न हुआ, वे बाहर निकल आये, और मालिकों का 'लॉक आउट' शुरू हुआ। मज़दूर पक्ष के पंचों ने जब अपनी ज़िम्मेदारी का विचार किया, तो वे इस नतीजे पर पहुँचे कि उन्हें मजदूरो को कुछ न कुछ सलाह तो देनी ही चाहिए और उनको यह भी बताना चाहिए कि वे उचित रूप से कितना इज़ाफा माँग सकते हैं। अतः इस सम्बन्ध में उन्होने चर्चा चलाई, मालिको और मजदूरो के हित का विचार किया, आसपास की परिस्थिति की जाँच की, और यह तय किया कि ३५ फीसदी इजाफे की माँग उचित है, अतएव मजदूरों को इतना इज़ाफा मांगने की सलाह देनी चाहिए। मज़दूरो को यह सलाह देने से पहले उन्होंने मालिको को अपने इस निर्णय से सूचित किया और लिखा कि यदि उन्हें इसके विरोध में कुछ कहना हो, तो उस पर विचार किया जायगा। पर मालिकों ने इस सबंध में अपना कोई विचार प्रकट नही किया। मजदूरों की अपनी मांग ५० प्रतिशत की थी, उसे कम करके उन्होने ३५ प्रतिशत माँगने का निश्चय किया।

मज़दूरों की प्रतिज्ञा

मज़दूरो ने नीचे लिखा निश्चय किया है:

१. जुलाई के वेतन पर जबतक ३५ प्रतिशत इज़ाफा न मिलेगा, वे काम पर न जायेंगे।

२ लोक आउट के दिनों में किसी भी प्रकार का उपद्रव न करेंगे, मारपीट से बचेंगे, लूटपाट से दूर रहेंगे, मालिको की सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचायेंगे, गालीगलौज से बचेंगे और शान्तिपूर्वक रहेंगे । मजदूर अपनी इस प्रतिज्ञा को किस प्रकार पूर्ण कर सकते हैं, इसका विचार पत्रिका के अगले अक मे किया जायगा ।

मजदूरों को मेरी सलाह है कि उन्हे जो कुछ भी कहना हो, वे किसी भी समय मेरे बगले पर आकर मुझसे कह सकते हैं।

२

कल के अंक मे हम देख चुके हैं कि मज़दूरों की प्रतिज्ञा क्या है । अब हमें यह देखना है कि उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे किया जाय। हम जानते हैं कि मालिको के पास करोडों रुपये हैं, और मज़दूरों के पास कुछ भी नहीं । यद्यपि मज़दरो के पास पैसा नहीं है, तो भी उनके पास काम कर सकने योग्य हाथ पैर हैं । और, दुनिया का कोई हिस्सा ऐसा नहीं, जहां मजदूरो के विना काम चल सकता हो । इसलिए अगर मजदूर समझ ले, तो उसे सहज ही पता चल जाय कि सच्ची सत्ता तो उसीको है । विना मजदूर के पैसा असहाय-सा बन जाता है । अगर मज़दूर इस बात को समझ जाय, तो उसे यह विश्वास भी हो जाय कि विजय उसीकी होगी । लेकिन इस तरह की सत्ता धारण करनेवाले मज़दूर में कुछ गुण होने चाहिएँ । अगर उसके पास ये गुण नहीं हैं, तो वह कुछ कर नहीं सकता । अब हम देखें कि ये गुण क्या हो सकते हैं ।

१. मज़दूर को सत्यवादी होना चाहिए। उसके लिए झूठ बोलने का कोई कारण ही नही रहता। लेकिन अगर वह झूठ बोलता है तो उसे मुँहमांगी मजदूरी नहीं मिल सकती। सच बोलनेवाला हमेशा अपनी बात पर कायम रहता है, और जो अपनी बात पर कायम रहता है, वह कभी हारता नही।

२. हरएक में हिम्मत होनी चाहिए। 'मेरी नौकरी गई, अब मेरा क्या होगा?' इस तरह की झूठी दहशत के कारण हममें से कइयों को हमेशा गुलामी करनी पडती है।

३. हममे न्यायबुद्धि होनी चाहिए। अगर हम अपनी योग्यता से अधिक मांँगेंगे, तो हमे बहुत थोडे मालिक मिलेगे, और शायद न भी मिलें। हमने अपनी इस लडाई में जिस इजाफे की मांग की है, वह मुनासिब ही है इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि देर मे या जल्दी ही हमें इन्साफ मिलेगा और जरूर मिलेगा।

४ मालिकों पर हमे किसी तरह की नाराज़ी न रखनी चाहिए, और न उनके लिए दिल मे दुश्मनी के कोई खयाल आने देने चाहिएँ। आखिर हमें नौकरी तो उन्ही के यहां करनी है। ग़लती हरएक आदमी से होती है। हमारा अपना खयाल है कि मांगा हुआ इजाफा न देकर मिलमालिक ग़लती कर रहे हैं। अगर हम अन्ततक अपनी टेक पर सचाई के साथ क़ायम रहे, तो मालिक अपनी भूल ज़रूर सुधार लेंगे। इस समय तो वे गुस्से में हैं। उनके दिल मे यह शक भी पैदा हो चुका है कि अगर वे आज मजदूरो की मांगे मंज़ूर कर लेंगे तो फिर मजदूर उन्हें हमेशा परेशान किया करेंगे। इस शक को मिटाने के लिए हमें अपने आचरण द्वारा मालिकों को अधिक से अधिक विश्वास

दिलाना चाहिए । इस सम्बन्ध मे हमारा पहला काम तो यह होना चाहिए कि हम उन्हें अपना दुश्मन न समझें'।

५. हरएक मज़दूर को यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए कि इस जगी लडाई मे मुसीवतो का सामना तो करना ही पडेगा । लेकिन जो मुसीवतें जानवूझ कर उठाई जाती हैं, वे अन्त मे सुख देनेवाली होती हैं । यह दु ख की वात है कि हमे पेटभर खाने को भी नहीं मिलता । फिर भी अपनी नासमझ के कारण हम इस दु ख को सहते हैं, और जैसे-तैसे जिन्दगी के दिन विता देते हैं । इस दु ख को मिटाने के लिए हमने एक तरीका अख्तियार किया है : हम मालिको के सामने अपनी यह मांग पेश कर चुके हैं, कि जो इजाफा हम चाहते हैं, उसके विना हम अपना पेट भली-भाँति पाल नहीं सकते । अगर रोज-रोज की इस भूख को मिटाने के लिए माँगा हुआ इज़ाफा हमें न मिले, तो हमें जानवूझकर आज ही भूख के दुःख को सह लेना चाहिए । आखिर मालिक भी कवतक कठोर वने रहेंगे ?

६ आख़िरी वात यह है कि गरीवों का रक्षक भगवान है । हमे समझ लेना चाहिए कि तदुवीर करना हमारा काम है, फल हमें अपनी तकदीर के अनुसार मिल ही जायगा। यह समझ-कर हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और जव तक हमारी दरखास्त मंजूर नहीं होती, हमें शान्तिपूर्वक अपनी वात पर मज़बूती के साथ डटे रहना चाहिए ।

जो मजदूर इस तरह का आचरण करेंगे, उन्हें अपनी प्रतिज्ञा के पालन में कभी कठिनाई न आयेगी ।

लॉक आउट के दिनों में मजदूर अपना समय किस प्रकार वितायें, इसका विचार कल की पत्रिका में किया जायगा ।

हमने मज़दूरो की प्रतिज्ञा पर लिखा और यह भी सोच लिया कि वह प्रतिज्ञा किस प्रकार पाली जाय । अब आज हम यह देखें कि मज़दूर लॉक आउट के दिनों में अपना समय किस प्रकार बितायें । कहावत है कि बेकार के सिर पर शैतान सवार रहता है । इसलिए अहमदाबाद में दस हजार आदमियो क़ा बेकार रहना कभी अच्छा हो ही नहीं सकता । हम जो कुछ चाहते हैं, उसे पाने के लिए आज की चर्चा का विषय बहुत ही महत्त्व का है । समय के सदुपयोग की चर्चा करने से पहले यह बता देना ज़रूरी है कि बेकारी के इन दिनो में मज़दूरों को क्या-क्या नहीं करना चाहिए :

१. जुआ खेलने मे समय न गँवाना चाहिए ।

२ दिन में सोकर समय न खोना चाहिए ।

३ सारा दिन मिलमालिको की और लॉक आउट की ही बातें करने में समय न बिताना चाहिए ।

४. कइयों को चाय की दूकानो में जाकर बैठने, वहाँ फजूल की गपशप लडाने और अनावश्यक चीज़े खाने-पीने की आदत पड जाती है । मजदूरों को ऐसे स्थानों का बिलकुल त्याग करना चाहिए ।

५. जबतक लॉक आउट जारी है, मजदूरों को मिलो में न जाना चाहिए ।

अब हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए

१. बहुतेरे मज़दूरों के घर और उनके घर के आस-पास की जगह गन्दी पाई जाती है । काम के दिनों मे आदमी इन

बातों की ओर ध्यान नहीं दे सकता। अब चूँकि लाजिमी तौर पर घर रहने का मौका मिला है, मजदूर अपना कुछ समय अपने घर और आँगन की सफाई मे और घरों की मरम्मत करने मे बिता सकते, है।

२ जो पढे-लिखे है, उन्हें पुस्तकें पढने और अपना अभ्यास बढाने में समय बिताना चाहिए। वे अनपढों को पढा भी सकते है। इस तरह मज़दूर एक-दूसरे की मदद करना सीख सकेंगे। जिन्हें पढने का शौक है, उनको चाहिए कि वे दादाभाई पुस्तकालय और वाचनालय मे, अथवा ऐसी दूसरी सस्थाओ मे, जहाँ मुफ्त में पढ़ने को मिलता है, जायें और वहाँ अपना समय बितायें।

३ जिन्हें छोटी-मोटी दस्तकारियों का ज्ञान है, यानी जो दर्ज़ी का, बढई का या नक्काशी वगैरा का नफीस का काम जानते हैं, वे खुद अपने लिए काम तलाश कर सकते हैं, और न मिलने पर हमसे भी इसमें मदद ले सकते है।

४. जिस धन्धे से आदमी की अपनी जीविका चलती है, उसके सिवा भी उसे किसी दूसरे धन्धे का थोडा-बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। इस तरह मज़दूर चाहें, तो कुछ नये और आसान धन्धों को सीखने मे भी वे अपना समय बिता सकते है, और इस काम में भी वे हमसे मदद पा सकते है।

हिन्दुस्तान मे एक धन्धा करनेवाला आदमी दूसरे धन्धे को अपनाने में हीनता का अनुभव करता है; कुछ धन्धे यहाँ अपने आप में हलके माने जाते हैं। ये दोनो विचार गलत हैं। जिन धन्धों की आदमी को अपने जीवन के लिए जरूरत है, उन धन्धो में नीच-ऊँच का कोई भेद होता ही नहीं। इसी तरह

अपने जाने हुए धन्धे के सिवा दूसरा धन्धा करने मे भी शर्म की कोई वात नहीं । हम मानते हैं कि कपड़ा बुनने, पत्थर फोडने, लकडी काटने या चीरने, अथवा खेतो मे मज़दूरी वग़ैरा करने के सभी धन्धे ज़रूरी हैं, और सम्मान योग्य हैं । अतएव आशा की जाती है कि मजदूर निकम्मे बैठकर वक्त गँवाने के बदले ऊपर लिखे अच्छे कामों मे लगकर अपना समय वितायेंगे ।

मज़दूरो के कर्त्तव्यों का विचार करने के वाद अब यह वता देना भी जरूरी है कि मजदूर मुझसे क्या आशा रख सकते हैं । अगली पत्रिका मे हम इसीका विचार करेंगे ।

४

हमने यह तो देख लिया कि मज़दूर अपनी प्रतिज्ञा किस तरह पालें और लॉक आउट के दिनो में अपना समय किस प्रकार वितायें । अव इस पत्रिका में यह वताना है कि हम उनकी क्या मदद करेंगे । मजदूरो को हमारी प्रतिज्ञा जानने का अधिकार है । और हमारा कर्त्तव्य है कि हम उन्हें अपनी प्रतिज्ञा वतायें ।

पहले हम यह देख लें कि हमसे क्या नहीं हो सकेगा:

१. हम मजदूरो को उनकी किसी बुराई में मदद नही पहुँचायेंगे ।

२. अगर मजदूर कोई बुरा रास्ता पकड़ते हैं, उचित से अधिक माँगते हैं, या किसी भी तरह का उपद्रव करते हैं, तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उनका त्याग करें, और उनको मदद पहुँचाना बन्द कर दें ।

३. हम मालिकों की बुराई कभी चाह नही सकते; **हमारे प्रत्येक कार्य में उनके हित का विचार भी रहता ही है।** मालिकों के हित की रक्षा करके हम मजदूरों का हित साधेंगे ।

अब हम क्या करेंगे सो देखिये :

१. मज़दूरों ने जैसा सुन्दर व्यवहार आजतक किया है, वैसा ही जवतक वे कायम रक्खेंगे, हम बराबर उनका साथ देंगे।

२. उन्हें ३५ फीसदी की वढोती दिलाने के लिए हम अपनी शक्तिभर कोशिश करेंगे।

३ फिलहाल तो हम मालिको से ही प्रार्थना कर रहे हैं। सर्वसाधारण की सहानुभूति प्राप्त करने और लोकमत को जगाने की कोशिश अभी हमने की नहीं है। लेकिन अवसर आने पर हम सारे हिन्दुस्तान के सामने मजदूरों की स्थिति रखने को तैयार हैं, और हमे आशा है कि हम आम जनता की सहानुभूति अपनी ओर आकर्षित कर सकेंगे।

४ जवतक मजदूरों को उनका अधिकार प्राप्त न हो जायगा. हम चैन नहीं लेंगे।

५ मज़दूरों की आर्थिक, नैतिक और शिक्षा-सबधी स्थिति को जानने का प्रयत्न हम कर रहे है। हम उन्हें यह बताने की कोशिश करेंगे कि उनकी माली हालत कैसे सुधरे, उनमें नैतिकता का विकास किस प्रकार हो, अगर वे गन्दे रहते हैं, तो उनमें सफाई का खयाल कैसे पैदा हो, और अगर वे अज्ञान हैं, तो उन्हें ज्ञान कैसे मिले। हम इसके लिए हरतरह की मेहनत करेंगे, तरह-तरह के जरूरी उपाय सोचेंगे और जितना हो सकेगा, प्रबंध करेंगे।

६ इस लडाई में जिनको परिस्थितिवश भूखों मरना पडेगा, या काम न मिल सकने के कारण बेकार रहना पड़ेगा, उनको खिलाकर हम खायेंगे और ओढाकर हम ओढेंगे।

७. बीमार मज़दूरो की सार-संभाल करेंगे· डॉक्टरो और वैद्यों की मदद लेंगे ।

८ हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर इस काम में पडे हैं । हम मज़दूरो की माँग को बिलकुल उचित समझते हैं और मानते हैं कि उसकी पूर्ति करने से मालिकों का कोई नुकसान नहीं, बल्कि अन्त मे लाभ ही होगा । इसीलिए हमने इस काम को अपने हाथ में लिया है ।

अगले अंक मे हम मालिको की स्थिति का विचार करेंगे।

५

हम अपनी स्थिति का विचार कर चुके । मालिको की स्थिति पर विचार करना कठिन है ।

मज़दूरों की हलचल के दो परिणाम हो सकते हैं :

१. मज़दूरो को ३५ प्रतिशत इजाफा मिले ।

२. मज़दूरों को बिना इजाफ़े के काम पर जाना पडे ।

बढा हुआ पगार मिलने से मज़दूरों का कल्याण होगा, और मालिकों को यश मिलेगा । अगर मज़दूरों को बिना इज़ाफे के काम पर जाना पडा, तो वे बुजदिल और ग़ुलाम बनकर मालिकों की शरण जायेंगे । अतएव बढ़ा हुआ भत्ता या इजाफा मिलने से दोनो दलों को लाभ होगा । मज़दूरो के लिए उनकी हार बहुत हानिकर होगी ।

मालिकों की हलचल के भी दो परिणाम हो सकते हैं :

१. मालिक मज़दूरों को इज़ाफा दें ।

२. मालिक मज़दूरो को इज़ाफा न दें ।

अगर मालिक मज़दूरों को इजाफा देंगे, तो मजदूर सन्तुष्ट होंगे, उन्हें न्याय मिलेगा। मालिकों को डर है कि मजदूरों को मुँहमांगा देने से वे उद्धत बन जायेंगे। यह डर बेबुनियाद है। मुमकिन है कि मजदूर आज दब जायँ, पर यह नामुमकिन नहीं कि वे मौका पाकर फिर सिर उठायें। यह भी मुमकिन है कि दबे हुए मज़दूर मन में दुश्मनी रक्खें। दुनिया का इतिहास कहता है कि जहां जहां मजदूर दबाये गये हैं, वहां वहां उन्होंने मौका पाकर मुखालिफत की है। मालिको का ख़याल है कि मजदूरो की मांग को मजूर कर लेने से उन पर उनके सलाहकारों का प्रभाव बढ जायगा। अगर सलाहकारो की दलीलें सच है, और वे मेहनती हैं, तो मजदूर हारें या जीतें, वे अपने सलाहकारों को न छोडेंगे, इससे भी बढकर ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि सलाहकार कभी मजदरो को न छोडेंगे। जिन्होंने सेवाधर्म को अंगीकार किया है, वे तो अपने उस धर्म को सामनेवालों का विरोध होने पर भी न तजेंगे। ज्यो-ज्यों वे निराश होंगे, त्यों-त्यो अधिक सेवापरायण बनते जायँगे। अतएव मालिक कितनी ही कोशिश क्यो न करें, वे सलाहकारों को मजदूरों के सम्पर्क से दूर नहीं रख सकेंगे। ऐसी दशा मे मजदूरों को हराकर वे क्या पायेंगे? मज़दूरों के असन्तोष को छोड और कुछ उनके पल्ले न पडेगा। दबे हुए मज़दूरों को मालिक हमेशा शक की निगाह से देखेंगे।

मजदूरों को मुँहमांगा इजाफा देकर मालिक उन्हें खुश कर सकेंगे। अगर मजदूर अपने कर्त्तव्य में चूकेंगे, तो मालिक हमेशा उनके सलाहकारों की मदद पा सकेंगे, और इस समय दोनों दलों की जो हानि हो रही है, उसे रोक सकेंगे। अगर

है। दुश्मन को किसी भी तरह दवाने मे मर्यादा की कोई जरूरत नही समझी जाती। पुराने जमाने मे भी ऐसी लड़ाइयां तो हुई होगी। लेकिन उसमें प्रजा शरीक नही होती थी। इष्ट यह है कि हम हिन्दुस्तान में इस अघोर न्याय को न अपनायें। जिस दिन अपने वल के बूते, मालिको का विचार किये विना, मज़दूर अपनी मांगें पेश करेंगे, उस दिन माना जायगा कि उन्होने आधुनिक राक्षसी न्याय को अपनाया है। मज़दूरो के मुक़ाबिले मे मालिको का सगठन चींटियों के खिलाफ हाथियों का दल खडा करने के समान है। अगर मालिक धर्म का विचार करें, तो उन्हें मजदूरों का विरोध करते हुए कांपना चाहिए। हमारी जान में पहले हिन्दुस्तान मे लोगो ने कभी ज्ञानपूर्वक इस तरह का न्याय अपनाया नहीं था कि मजदूरों की भूख मालिको का सुख है। न्याय वही हो सकता है, जिससे किसीका कभी कोई नुकसान न हो। हमें दृढ़ आशा है कि गौरवशाली गुजरात की इस राजधानी के श्रावक अथवा वैष्णवधर्मी मालिक मजदूरों को झुकाने में या हठपूर्वक उन्हें कम पगार देने में कभी अपनी जीत न समझेगे। हमें विश्वास है कि पश्चिम का यह ववण्डर जितनी तेज़ी से उठा है, उतनी ही तेजी से बैठ भी जायगा। वह वैठे या न वैठे, हम अपने मजदूरों को आज पश्चिम की इस प्रवृत्ति का पाठ पढ़ाना नहीं चाहते। हम तो उनसे अपने देश का पुराना न्याय, जैसा हमने उसे जाना और समझा है, पालना और पलवाना चाहते हैं, और उनके अधिकार को सिद्ध करने में उनकी मदद करने के इच्छुक हैं।

इस पश्चिमी न्याय के कुछ बुरे परिणामो के उदाहरणो पर हम अगले अंक में विचार करेंगे।

आदमी का या पच का काम क्वचित् ही पडता है। मालिक और नौकर अपने आपसी झगडों का फैसला आपस में मिलकर कर लेते हैं। एक-दूसरे की ज़रूरत या गरज को देखकर तनख्वाह घटाने या बढ़ाने की कोई बात इसमे थी नहीं। नौकरो की कमी, का खयाल रखकर न तो नौकर ज्यादा तनख्वाह मांगते थे, और न नौकरों की विपुलता देखकर मालिक 'पगार' घटाते थे। इस नीति मे आपस के सद्भावो का, मर्यादा, विनय और प्रेम का, प्राधान्य रहता था, और यह धर्म अव्यावहारिक नहीं माना जाता था, बल्कि आमतौर पर सबके ऊपर इसकी सत्ता चलती थी। आज हमारे पास इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद हैं कि इस शुद्ध न्याय के अनुसार चलनेवाली हमारी प्रजा के अन्दर अब तक सैकडों भगीरथ काम हो चुके हैं। यह पूर्व का अथवा प्राचीन न्याय है।

पश्चिम में आजकल ठीक इससे उलटा काम चल रहा है। कोई यह न सोचे कि वहां के सब लोगों को यह आधुनिक न्याय पसन्द है। पश्चिम में ऐसे बहुतेरे साधु पुरुष पडे हैं, जो प्राचीन नीति को अपनाकर निर्दोष भाव से अपना जीवन बिताते हैं। फिर भी पश्चिम की खास हलचलो मे आजकल दया-माया को कोई स्थान नहीं है। अगर मालिक अपना सुभीता देखकर वेतन की नीति ठहराता है, तो वह न्याय्य माना जाता है। नौकर की ज़रूरतों का विचार करने की कोई आवश्यकता ही नही मानी जाती। इसी तरह मज़दूर भी अपनी इच्छानुसार मालिक के धन्धे का विचार किये बिना तनख्वाह मांग सकता है, और वह न्यायोचित माना जाता है। वहां न्याय यह है कि सब अपनी-अपनी फिकर कर लें, दूसरा कोई किसीकी फिकर करने को बँधा हुआ नहीं है। इसी नीति के अनुसार यूरोप में आजकल यह लडाई चल रही

है। हम सरकार को परेशान करने के लिए नहीं लड रहे। इस-लिए जब तक आप लडते हैं, हम अपनी लडाई मुल्तवी रक्खेगे।' यों कहकर हमारे मजदूरो ने हडताल तोड दी। इसे हम शुद्ध न्याय कह सकते हैं। आखिर हमारे मजदूरों की जीत हुई, और उसमे सरकार का भी नाम हुआ; क्योकि हमारी मांग को मंजूर करने में न्याय था। हमारे मजदूरो ने सहानुभूति से काम लिया; विपक्षी के संकट को अपने लाभ का अवसर न माना। लडाई के अन्त में सरकार और प्रजा के बीच शत्रुता बढने के बदले मित्रता बढ़ी, प्रेम बढ़ा, और हमारे मान की वृद्धि हुई। इस प्रकार शुद्ध न्याय के साथ लडी जानेवाली लडाई दोनों पक्षो के लिए लाभदायक साबित होती है।

इसी प्रकार यदि हम न्यायपूर्वक अपनी लडाई का संचालन करेंगे, मालिको से शत्रुता न रक्खेंगे और सदा सचाई पर कायम रहेंगे, तो न सिर्फ हम जीतेंगे, बल्कि मालिको और मजदूरों के बीच प्रेम की वृद्धि होगी।

ऊपर के उदाहरण से जो दूसरी चीज हमे मिलती है, वह यह है कि सत्याग्रह के लिए दोनो पक्षों का सत्याग्रही होना जरूरी नहीं है। यदि एक पक्ष सत्याग्रही बना रहे, तो अन्त मे विजय सत्याग्रह की ही होती है। जो शुरू मे विषाक्त होकर लडता है, उसका विषैलापन भी सामने से विष न मिलने के कारण नष्ट हो जाता है। जब आदमी हवा में अपनी ताकत आजमाना चाहता है, तो उसकी सारी ताकत हवा हो जाती है। इसी तरह जहर तभी बढ़ता है, जब सामने से भी उसे जहर मिलता है।

अतएव अब हम इस बात को भलीभाँति समझ सकते हैं कि अगर हम दृढतापूर्वक लडेंगे और हिम्मत न हारेंगे, तो अन्त मे जीत हमारी ही होगी।

दक्षिण आफ्रिका एक महान् अंग्रेजी उपनिवेश है। कोई चार सौ वर्षो से वहां अंग्रेजों की वस्ती है। उन्हें स्वराज्य का अधिकार प्राप्त है। वहां की रेलवे मे वहुतेरे गोरे मजदूर काम करते हैं। इन मजदूरों के साथ वेतन-संवधी कुछ अन्याय हो रहा था। इस पर मजदूरों ने केवल अपने वेतन का विचार करने के वदले समूची राज्यसत्ता हथियाने का विचार किया। यह अन्याय था, राक्षसी न्याय था। इसके परिणाम स्वरूप सरकार और मजदूरों के वीच कटुता वढी और दक्षिण आफ्रिका मे चहुँ ओर भय छा गया। उन दिनों वहां कोई भी अपने को सुरक्षित न समझता था। आखिर दिन-दहाडे दोनों दलों के वीच मार-काट मची, अनेक निर्दोष मनुष्य मारे गये। सारा प्रदेश फौजी सिपाहियों से घिर गया। दोनों दलों का काफी नुकसान हुआ। दोनों का इरादा एक-दूसरे को हराने का था। शुद्ध न्याय की किसीको पर्वाह न थी। दोनो एक-दूसरे की चर्चा वढा-चढाकर करते थे। किसीको आपसी सद्भाव की चिन्ता न थी।

जव यह सव हो रहा था, तभी हमारे मजदूर वहां शुद्ध न्याय का पालन कर रहे थे। जव गोरों की यह हडताल हुई, २०,००० भारतीय मजदूरों की हडताल चल रही थी। हम वहां की सरकार से शुद्ध न्याय के लिए लड रहे थे। सत्याग्रह हमारे मजदूरों का हथियार था। उन्हें सरकार से कोई दुश्मनी न थी, वे सरकार का अनिष्ट भी नहीं चाहते थे, न सरकार को पदभ्रष्ट करने का कोई लोभ उनके सामने था। गोरे मजदूर उनकी इस हडताल से लाभ उठाना चाहते थे। पर हमारे मजदूरों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा 'हमारी लडाई सत्याग्रह की लडाई

'जब आप सब अपने सम्मान के लिए इतना दु.ख उठा रहे हैं, तब अकेला मैं ही बाहर रहकर क्या करूँ? मैं इस जेलखाने मे मर भी जाऊँ तो क्या बुरा है?' और सचमुच हरवतसिह उसी जेलखाने मे मरा और अमर हो गया। वह जेल के बाहर मरता तो कोई उसका नाम भी न लेता। चूँकि वह जेल के अन्दर मरा था, इसलिए देशवासियों ने जेलवालो से उसकी लाश माँगी और सैकडो हिन्दुस्तानी उसकी लाश के पीछे स्मशान तक गये।

हरवतसिह की तरह ही ट्रान्सवाल के व्यापारी अहमद महमद काछलिया का नाम भी स्मरणीय है। ईश्वर की दया से वे अभी जीवित हैं, और हिंदुस्तानियो को संगठित रखकर उनकी प्रतिष्ठा को बनाए हुए हैं। वे दक्षिण आफ्रिका मे रहते हैं। जिस लडाई मे हरवतसिंह ने अपने प्राण दिये, उसीमे सेठ अहमद महमद काछलिया कई बार जेल गये। अपना सारा व्यापार उन्होने नष्ट होने दिया। आजकल वे गरीबी से रहते हैं, फिर भी वहाँ सब कोई उनका मान करते हैं। अनेक संकट सहकर भी वे अपनी टेक पर डटे रहे हैं।

जिस प्रकार एक बूढा मजदूर और अधेड उमर के एक प्रसिद्ध व्यापारी अपनी टेक के लिए जूझे और अनेक कष्टो मे से गुजरे, उसी प्रकार सत्रह वर्ष की एक नौजवान कुमारिका ने भी सब संकट सहे। नाम उसका वालियामा था। वह भी इस लडाई मे कौम की टेक के खातिर जेल गई थी। जेल जाते समय वह बीमार थी। उसे बुखार आता था। जेल में बुखार बढ़ गया। जेलर ने उससे जेल छोड देने को कहा। वालियामा ने जेल छोडने से इनकार किया और दृढ़तापूर्वक जेल की मीयाद पूरी की। जेल से रिहा होने के चौथे या पांचवें दिन वह मर गई।

अगली पत्रिका में हम कुछ सत्याग्रहियो के दृष्टातो का विचार करेंगे।

८

इस अंक मे हम ससारप्रसिद्ध सत्याग्रहियों का वर्णन नहीं करेंगे, वल्कि यह वताने की कोशिश करेंगे कि हमारे-आपके जैसे आदमी भी कितने दु ख उठा सके हैं। यह हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा, और हमें अधिक दृढ वना सकेगा। हजरत इमाम हसन और हुसैन अपने ज़माने के वडे धीर-वीर सत्याग्रही हो चुके हैं। हम उनके नाम की पूजा करते हैं, लेकिन उनके स्मरण से सत्याग्रही नहीं वनते। हम सोचते है, कि उनकी ताकत का हमारी ताकत से मुकावला क्या? ऐसा ही स्मरण करने योग्य नाम भक्त प्रह्लाद का है। लेकिन हम अकसर यह सोचकर रह जाते हैं कि उनकी-सी भक्ति, वैसी दृढ़ता, वह सत्य और शौर्य हम क़हां से लायें? फलत हम जैसे थे, वैसे ही वने रहते हैं। इसलिए आज हम यह देखें कि हमारे-आपके जैसे आदमियो ने क्या किया था। हरवतसिंह ऐसा ही एक सत्याग्रही था। वह ७५ वर्ष का एक वूढा आदमी था। वह सात रुपये माहवार पर पांच साल के लिए वँध कर दक्षिण आफ्रिका के खेतो में मज़दूरी करने पहुँचा था। पत्रिका के पिछले अक मे २०,००० भारतीयों की जिस हडताल का जिक्र आया है, उसमें हरवतसिंह भी शरीक हुआ था। कुछ हडताली कैद कर लिये गये थे, जिनमें वूढा हरवतसिंह भी था। उसके साथियों ने उसे समझाया। कहा. 'वावा, दुःख के इस दरिया में पडना तुम्हारा काम नहीं है। तुम जेल के लायक नही हो। अगर तुम इस लडाई में शामिल न भी हुए तो कोई तुम्हारी तरफ अँगुली नहीं उठा सकेगा।' जवाव में हरवतसिंह ने कहा·

की जुम्मा मसजिद के मुअज्जम के फ़रजंद (पुत्र) भी उनमें शामिल थे। उनका नाम इमाम साहब अब्दुल कादर बावज़ीर है। जिन्होने कभी मुसीबत का मुँह तक नहीं देखा था, उन्होने जेल की मुसीबते सहीं, और जेल के अन्दर रहकर रास्तों की सफाई करने, पत्थर तोडने वगैरह की मजदूरी की, और महीनो तक बहुत ही सादा और नीरस ख़ूराक पर रहे। आज उनके पास अपनी कहने को एक फूटी कौडी भी नही है। सूरत जिले के दादामियाँ काजी भी ऐसे ही लोगों में थे। सत्रह साल से कम उम्र के नारायण और नागप्पन नामक दो मद्रासी बालकों ने इसी लड़ाई में अपने प्राण खोये, उन्होने धूप सहन की, लेकिन पीछे न हटे।

हमें याद रखना चाहिए कि जिन स्त्रियो ने कभी मजदूरी नहीं की थी, वे इस लडाई मे फेरीवाली बनकर घूमीं, और जेल में उन्होने धोबिन का काम किया।

इन उदाहरणो का विचार करते हुए ऐसा कौन मजदूर हम-मे होगा, जो अपनी टेक को निवाहने के लिए मामूली तकलीफे उठाने को तैयार न हो ?

हम देखते हैं कि मालिको ने जो पर्चे निकाले हैं, उनमें क्रोध के आवेश मे आकर कुछ ऐसी वाते लिखी हैं, जो अशोभन हैं; कुछ वातो को जान में या अनजान में वढाकर लिखा है, और कुछ को तोड-मरोड कर लिखा गया है। हम गुस्से का जवाब गुस्से से तो दे ही नहीं सकते। उनमे दी गई अनुचित वातो को सुधारना भी ठीक नहीं मालूम होता। उनके संवध में सिर्फ यह कहना ही काफी होगा कि उनमे दी गई वातो के चक्कर मे न तो हम पडे, और न झल्लायें। मजदूरों के सलाहकारो के खिलाफ जो शिकायते की गई हैं, वे अगर सच होंगी, तो यहाँ

इन तीनों का यह शुद्ध सत्याग्रह था। तीनो ने दुःख सहे, तीनों जेल गये और अन्त तक अपनी टेक पर कायम रहे। हमारे सामने तो ऐसा कोई सकट नहीं है। हमें अपनी प्रतिज्ञा को निवाहने के लिए अधिक से अधिक जो सहन करना है, वह तो यही कि हम अपने मौजशौक को कुछ कम करें और अवतक जो तनख्वाह हमें मिलती थी उसके विना जैसे-तैसे अपना काम चलावें। यह कोई वहुत वडी वात नहीं है। जो काम इस ज़माने मे हमारे ही भाई-वहन कर सके हैं, वैसा ही कुछ करना हमारे लिए कठिन न होना चाहिए।

इसका थोडा अधिक विचार हम अगले अंक मे करेंगे।

९

कल हम तीन सत्याग्रहियो के दृष्टान्तों का विचार कर चुके हैं। लेकिन इसका यह मतलव नहीं कि इस लडाई में सिर्फ तीन ही सत्याग्रही थे। २०,००० आदमी एक साथ वेकार हो गये थे, और उनकी वह वेकारी दस-वारह दिन मे दूर नही हुई थी। यह लडाई पूरे सात साल तक चली थी, और इतने समय तक सैकडों आदमियों ने डावाँडोल स्थिति में रहकर अपनी टेक निभाई थी। करीव तीन महीनों तक २०,००० मज़दूर विना घरवार, विना पगार के रहे थे। कइयों ने अपने पास की थोडी वहुत सम्पत्ति वेच कर उससे अपना काम चलाया। उन्होंने अपनी झोंपडियाँ खाली कर दीं, ओढने–विछाने का सामान, चारपाई, और चौपाये वगैरह वेच डाले और कूच पर निकल पडे। उनमें से सैकडों ने कई दिन तक वीस-वीस मील की मंजिलें तय कीं और सिर्फ डेढ पाव आटे की रोटी और ढाई तोला चीनी पर अपने दिन गुज़ारे। उनमें हिन्दू भी थे, और मुसलमान भी थे। वंवई

देते हैं। यह एक रोमांचकारी बात है। जो आदमी एक बार भी इस तरह का व्याज देना कबूल करता है, उसका इसके चंगुल से छूटना बहुत मुश्किल है। कैसे, सो देखिये। सोलह रुपयो पर फी रुपया एक आने के हिसाब से व्याज के सोलह आने हुए। इतना व्याज देनेवाला मूल धन के बराबर व्याज एक बरस और चार महीने में दे चुकता है। यह ७५ टके का व्याज हुआ। जहां बारह से सोलह टके का व्याज देना भी मुश्किल माना जाता है, तहां ७५ टके देनेवाला टिक कैसे सकता है? फिर रुपये पर चार आने का व्याज देनेवाले की तो बात ही क्या? ऐसे आदमी को सोलह रुपये पर महीने में चार रुपये देने पड़ते हैं, और चार महीनो में मूल धन के बराबर रकम दे देनी पड़ती है। यह ३०० टके का व्याज हुआ। ऐसे लोग हमेशा कर्ज़ में डूबे रहते हैं और कभी उससे उबर नही सकते। व्याज की यह मार पैगम्बर महम्मद साहब ने बुरी तरह महसूस की थी, यही वजह है कि कुरान-ए-शरीफ मे हमें सूद के बारे में सख्त आयतें पढ़ने को मिलती हैं। मालूम होता है कि इन्हीं कारणों से हिन्दू शास्त्रों में 'दामदुप्पट' के न्याय को स्थान मिला होगा। अगर इस लड़ाई के सिलसिले में क्या हिन्दू और क्या मुसलमान सभी मजदूर इतनी ऊँची दर का व्याज न देने की प्रतिज्ञा कर लें, तो उनके सिर का बहुत बड़ा बोझ उतर जाय। बारह फीसदी से ज्यादा व्याज किसीको नहीं देना चाहिए। कोई पूछेगा कि बात तो ठीक है, लेकिन जो रकम व्याज पर ली जा चुकी है, वह कैसे लौटाई जाय! वह तो अब जीवन के साथ जुड़ी हुई चीज है। इसका अच्छे से अच्छा इलाज तो यही है कि मज़दूरों के बीच ऐसी समितियां खड़ी की जायें, जिनसे उन्हें परस्पर पैसे की भी मदद

उनका जवाव देने से झूठ सावित न हो सकेंगी। हम जानते हैं कि वे अनुचित है। यहाँ जवाव देकर उनके अनौचित्य को सिद्ध करने की अपेक्षा हम यह ठीक समझते हैं कि हमारा भावी व्यवहार इसको सिद्ध करे।

अगली पत्रिका में इस प्रश्न पर कुछ और विचार करेंगे।

१०

अपनी इस स्थिति मे ऊपर के सवाल का विचार करना वहुत जरूरी है। 'लॉक आउट' को अभी करीव पद्रह दिन हुए हैं, इतने मे कुछ लोग कहने लगे हैं कि उनके पास खाने को नहीं हैं, कुछ कहते हैं कि वे मकान का किराया भी नहीं चुका सकते। वहुतेरे मजदूरो के घरों की हालत वहुत खराव पाई गई है। उनमें हवा और उजेले का अभाव रहता है। घर पुराने हो गये हैं। आसपास वहुत गन्दगी है। मजदूरो के वदन पर साफ कपडे भी नहीं पाये जाते। कुछ धोवी का खर्च न उठा सकने के कारण गन्दे कपडे पहनते है, और कुछ कहते हैं कि वे सावुन का खर्च भी वरदाश्त नहीं कर सकते। मज़दूरों के वालक मारे-मारे फिरते हैं। उन्हें अनपढ रहना पडता है। और कुछ मजदूर तो अपने सुकुमार वालकों का कमाई के कामों मे उपयोग करते हैं। यह घोर कंगालियत सचमुच शोकजनक है। अकेली ३५ टके की वढोतरी इसका कोई इलाज नहीं। तनख्वाह दुगनी हो जाने पर भी, अगर दूसरे उपाय न किये जायें, तो सभव है कि कगालियत जैसी की तैसी वनी रहे। इस कगालियत के अनेक कारण हैं। आज हम उनमें से कुछ का विचार करेंगे। मज़दूरों को पूछने से पता चलता है कि जब उनका हाथ तग होता है, वे फी रुपया एक आने से लेकर चार आने तक का व्याज हर महीने

कुछ मज़दूर गुजरात के बाहर के भी हैं। मुमकिन है कि वे हमारी शाम की सभाओ मे न आते हो। अगर वे भी २० टके का इजाफ़ा लेकर काम पर जाते हैं, तो हमे उस पर एतराज होना चाहिए। हमारा कर्त्तव्य सिर्फ इतना ही है कि हम ऐसे अज्ञान मज़दूरों का पता लगाकर उन्हें सच्ची हालत समझा दें। हममे से हरएक को याद रखना चाहिए कि हमारी ओर से इन लोगो पर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं पडना चाहिए।

मंगलवार को यानी कल सुवह ७॥ वजे हम अपने रोज के मुकाम पर मिलेंगे। मालिको की ओर से मिले चलाने की जो लालच दी जा रही है, उसमे फँसने से वचने का अच्छे से अच्छा रास्ता यही है कि हरएक मज़दूर रोज सुबह ७॥ वजे सभा के मुकाम पर ख़ुद हाजिर रहे, और जो लोग अवतक सभा मे नही आये हैं, ऐसे अज्ञान और परदेशी मजदूरों का पता लगाकर उन्हें सभा मे आने को कहे और सभा में लावे। लालच के इन दिनो में सवके दिल मे तरह-तरह के विचार उठेंगे। कामकाजी आदमी के लिए बेकार रहना वहुत दुःखदायक होता है। ऐसे सव लोगो को सभा मे आने से कुछ धैर्य मिलेगा। जिन्हे अपनी शक्ति का खयाल रहता है, उनके लिए बेकारी का कोई सवाल नहीं रहता। दर असल मजदूर इतना अधिक स्वतंत्र है कि अगर उसे अपनी दशा का ठीक-ठीक भान हो जाय, तो नौकरी के जाने से वह ज़रा भी न घवराये। धनवान के धन का अन्त हो सकता है, वह चुराया जा सकता है, बुरे कामों में खर्च होने पर देखते-देखते नष्ट हो सकता है, और कभी अन्दाज की भूल के कारण धनवान को अपना दिवाला भी निकालना पडता है। लेकिन मज़दूर का धन अखूट है, उसे कोई चुरा नही सकता,

मिल सके । कुछ मजदूरों की स्थिति ऐसी भी पाई गई है कि वे चाहें तो व्याज के वोझ तले दवे हुए अपने भाइयों को उसमे से छुडा सकते हैं । वाहरवाले इसमें ज्यादा दखल नहीं दे सकते । जिसे हम पर पूरा एतवार है, वही हमारी मदद कर सकता है । कैसे भी क्यो न हो, एक वार साहस के साथ मजदूरो को इस महादु ख से छूटना चाहिए । व्याज की ये भारी-भारी दरें गरीवी का एक वहुत वडा कारण है । दूसरे सव शायद इतने वडे न हों । उनका विचार आगे करेंगे ।

११

ज्यो-ज्यों दिन बीतते जाते हैं, मज़दूरो को गुमराह करनेवाली पत्रिकायें भी निकलती जाती हैं । यह भी सुना गया है कि मगलवार को लॅाक आउट खतम होगा, और जो मजदूर काम पर जायेंगे, उनसे काम लिया जायगा । इसके साथ यह भी सुनने मे आया है कि पांच या पांच से अधिक मजदूरो को अपने साथ लानेवाले मज़दूर को कुछ इनाम भी दिया जायगा । इन दोनों हलचलो के खिलाफ हमे कुछ करना नहीं है । दूसरे आदमियों को काम देकर मज़दूरों को फिरसे मिल में वुलाने का अधिकार मालिकों को है । लेकिन मज़दूरो का फर्ज क्या है ? मजदूरों ने कहा है कि २० टके का इजाफा उनके लिए काफी नहीं है । उन्होंने मालिकों को इसकी सूचना भी दी है । ३५ टके से कम इजाफा न लेने की प्रतिज्ञा भी वे कर चुके हैं । ऐसी हालत में कोई मज़दूर अपनी टेक, अपना नाम और अपनी मर्दानगी को छोडे विना तवतक वापस काम पर नहीं जा सकता, जवतक उसे ३५ टके का इज़ाफा न मिले । लेकिन मुमकिन है कि हरएक मजदूर की यह टेक न हो । प्रत्येक मजदूर ने ऐसी प्रतिज्ञा न भी की हो ।

उठानी पड़े, जब तक ३५ टके का इजाफा नहीं मिलता, वे काम पर नहीं लौट सकते। इसीमें उनका ईमान है। अगर वचन को लाखों के धन के साथ तौला जाय, तो उसमें वचन का पलडा ही भारी रहेगा। हमें विश्वास है कि मज़दूर इस बात को कभी न भूलेंगे। अपने वचन पर डटे रहने के सिवा मज़दूरों के लिए उन्नति का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और, हम तो मानते हैं कि अगर मिलमालिक समझें, तो उनकी उन्नति भी मजदूरों के प्रतिज्ञा-पालन ही में है। जो अपनी टेक को निबाह नहीं सकते, उन लोगों से काम लेकर आख़िर मालिक भी कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। धार्मिक वृत्तिवाला मनुष्य दूसरे की प्रतिज्ञा को तुडाने में कभी रस नहीं लेता : कभी हाथ नहीं बँटाता। लेकिन आज मालिकों के कर्त्तव्य का विचार करने की फ़ुरसत हमें नहीं है। वे अपना कर्त्तव्य समझते हैं। हम तो उनसे विनती ही कर सकते हैं; लेकिन मज़दूरो को इस समय अपना कर्त्तव्य पूरी तरह समझ लेने की ज़रूरत है। यह समय फिर लौटकर नहीं आयेगा।

अब हम देखे कि मज़दूर अपनी प्रतिज्ञा का भग करके क्या पा सकेंगे। आजकल हिन्दुस्तान में ईमानदार आदमी को होशियारी के साथ काम करने पर बीस-पचीस रुपये कहीं भी मिल सकते हैं। अतएव मज़दूरो की वडी से वडी हानि तो यही हो सकती है कि मालिक हमेशा के लिए उन्हें छोड़ दें, और उनको कहीं दूसरी जगह नौकरी करनी पडे। समझदार मज़दूर को जान लेना चाहिए कि कुछ दिनों की कोशिश से वह कहीं भी नौकरी पा सकेगा। लेकिन हम मानते हैं कि मालिक इस आख़िरी हद तक जाना नहीं चाहते हैं। अगर मज़दूर अपनी टेक पर डटे रहेंगे, तो कठोर से कठोर दिल भी एक दिन पिघलेगा।

और उस पर मनचाहा ब्याज हमेशा मिला करता है। उसके हाथ-पैर और मज़दूरी करने की उसकी शक्ति, उसकी एक अखूट पूँजी है। मेहनत पर जो महेनताना उसे मिलता है, वही उसका ब्याज है। यह एक सीधा-सच्चा न्याय है कि अधिक शक्ति का उपयोग करनेवाला मजदूर आसानी से अधिक ब्याज कमा सकता है। हाँ, जो आलसी है, उसे जरूर भूखों मरना पडता है। वह निराश भी होता है। उद्योगी को एक क्षण की भी चिन्ता करने का कोई कारण नहीं रहता। मगलवार को सुवह सव ठीक समय पर सभा मे आइये। सभा मे आने से आप अपनी इस स्वतंत्रता का कुछ अधिक खयाल लेकर जा सकेंगे।

१२

आज से नया अध्याय शुरू होता है। मालिकों ने लॉक आउट खत्म करने का निश्चय किया है और जो २० टके का इजाफा लेकर काम पर जाने को तैयार हैं, उन्हें लेने की इच्छा प्रकट की है। इसलिए आज से मालिको के लॉक आउट की जगह मजदूरों की हडताल शुरू होती है। मालिकों के इस निश्चय की आम सूचना आप सवने देखी है। उसमें वे लिखते हैं कि वहुत से मज़दूर काम पर आने को तैयार हैं। मगर लॉक आउट के कारण वे काम पर आ नहीं सके थे। मजदूरों की रोज-रोज होनेवाली सभाओ और उनकी प्रतिज्ञा के साथ मालिकों को मिली हुई यह खवर मेल नहीं खाती। या तो मालिकों के पास पहुँची हुई खवर सच है, या यह सच है कि मज़दूर रोज़-रोज सभाओं में हाज़िर होते है, और वे अपनी प्रतिज्ञा से वँधे हुए हैं। प्रतिज्ञा करने से पहले मज़दूरों ने आगा-पीछा सव सोच लिया है, अतएव अव उन्हें कितनी ही लालच क्यों न दी जाय, और कैसी ही मुसीवतें क्यों न

उनकी माँग पर और उनके कार्य की न्यायोचितता पर है। अगर माँग अनुचित है, तो मज़दूर जीत नहीं सकते। माँग के उचित होने पर भी अगर उसको पाने के लिए अन्याय से काम लिया जाय, झूठ बोला जाय, दंगा-फसाद किया जाय, दूसरो को दबाया जाय, आलस्य किया जाय, और फलतः संकट सहें जायें, तो भी वे जीत नहीं सकते। किसीको न दबाना और अपने गुज़ारे के लिए आवश्यक मजदूरी करना, ये इस लडाई की बहुत ही ज़रूरी शर्तें हैं।

१४

जैसे धन धनवान का हथियार है, वैसे ही मज़दूरी मज़दूर का हथियार है। अगर धनवान अपने धन का उपयोग न करे, तो भूखों मरे। इसी तरह मज़दूर अपने धन को — मजदूरी — को काम मे न लाये, वह मजदूरी न करे, तो उसे भूखो मरना पडे। जो मजदूरी नहीं करता, वह मज़दूर कैसा? जो मजदूर मजूरी करने में शरमाता है, उसे खाने का कोई अधिकार ही नही। इसलिए अगर मज़दूर इस महान् लडाई मे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहते हैं, तो उन्हें मज़दूरी करना सीख लेना होगा। चन्दा इकठ्ठा करके, और बेकार रहकर जो लोग चन्दे के पैसे से अपना पेट भरते हैं, उन्हें जीतने का कोई हक नहीं। मज़दूर यह लडाई अपनी टेक के लिए लड रहे हैं। कहना होगा कि जो बिना काम किये खाना चाहते हैं, वे नहीं जानते कि टेक क्या चीज है। जो हयादार है, और जिन्हें अपनी इज्ज़त प्यारी है, वेही टेक निवाहते हैं। जो सार्वजनिक चन्दो की रक़म से बिना हाथ-पैर हिलाये जीना चाहते हैं, उन्हें हयादार कौन कहेगा? इसलिए हमारा फर्ज है कि हम

मुमकिन है कि ग़ैर-गुजराती मजदूरो को (उत्तर भारत से और दक्षिण भारत से, यानी मद्रास से आये हुए मज़दूरों को) इस लडाई का पूरा खयाल न हो। हम अपने सार्वजनिक कामों में हिन्दू, मुसलमान, गुजराती, मद्रासी, पंजाबी, वगैरा का कोई भेद नहीं रखते, न रखना चाहते हैं। हम सब एक ही हैं, अथवा एक होना चाहते हैं। अतएव गुजरात के बाहर से आये हुए इन मज़दूरों को हमें सहानुभूतिपूर्वक इस लडाई का मर्म समझाना चाहिए, और उनको यह जॅचाना चाहिए कि हमारे साथ रहने मे उनका और दूसरे सबका भी हित है।

१३

हमारे पास अफवाह आई है कि बहुतेरे मज़दूर काम पर जाने को तैयार हैं, लेकिन दूसरे मज़दूर उन्हें ज़ोरोज़ुल्म के साथ, मार-पीट की धमकी देकर रोके हुए है। हरएक मजदूर को हमारी यह प्रतिज्ञा याद रखनी चाहिए कि अगर मजदूर दूसरो को दबाकर या धमकाकर काम पर जाने से रोकेंगे, तो हम उनकी मदद न कर सकेंगे। इस लडाई में जीत उसीकी होगी, जो अपनी टेक पर अडा रहेगा। टेक किसीसे जबर्दस्ती पलवाई नहीं जा सकती। यह चीज़ ही ऐसी है कि जबर्दस्ती हो नही सकती। अपनी टेक पर कायम रहकर ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आदमी मारे डर के कोई काम न करे, वह किस बल पर आगे बढ़ सकता है? उसके पास तो कुछ रहता ही नहीं। अतएव हर मज़दूर को यह याद रखना चाहिए कि वह किसी भी दूसरे मज़दूर पर किसी प्रकार का दबाव न डाले। अगर दाबादूबी से काम लिया गया तो सभव है कि सारी लडाई कमज़ोर पड जाय और एकदम बैठ जाय। मजदूरो की लडाई का सारा दारोमदार

मज़दूर अपनी टेक कभी छोड़ेंगे ही नहीं, तबतक उन्हें दया नहीं आयेगी और वे अपने मुनाफे से हाथ धोकर भी विरोधी बने रहेंगे। जिस दिन उन्हें विश्वास हो जायगा कि मज़दूर अपनी टेक किसी भी दशा में नहीं छोड़ेंगे, उस दिन वे जरूर पसीजेंगे और तब वे मजदूरों का स्वागत करेंगे। आज तो उनका यह खयाल है कि मज़दूर दूसरी मजदूरी करेंगे ही नही, और आज ही कल मे हाथ टेक देंगे। अगर मज़दूर दूसरो के पैसे पर अपने गुज़ारे का दम भरेगे, तो मालिक सोच लेंगे कि यह पैसा तो किसी न किसी दिन खत्म होने ही वाला है। इसलिए वे मज़दूरो को दाद न देंगे। जिन मज़दूरो के पास खानेपीने का जुगाड नहीं है, वे अगर मज़दूरी करने लग जायेंगे, तो मालिक भी समझ लेंगे कि जल्दी से ३५ टके का इज़ाफा न दिया, तो वे मज़दूरो को हाथ से खो बैठेंगे। इस तरह लडाई को बढ़ाने या घटानेवाले हमीं हैं। इस समय ज्यादा दुःख सहकर हम जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। अगर दुःख नही सहेंगे, तो लडाई जरूर आगे बढेगी। हमें आशा है कि इन सब बातो को सोचकर जो आज कच्चे पडे हैं, वे झट पक्के बन जायेंगे।

खास सूचना

कुछ मज़दूरो का यह खयाल हो गया है कि जो कमज़ोर पड़ गये हैं, उनको शहजोर बनाने के लिए समझाया नहीं जा सकता। यह खयाल बिलकुल अनुचित है। जो किसी भी कारण से कच्चे पड गये हैं, उनको विनयपूर्वक समझाना हममें से हरएक का काम है। जो लड़ाई से वाकिफ नही हैं, उन्हें समझाना भी हमारा काम है। हमारा कहना तो यह है कि हमे किसीको धमकाकर, झूठ बोलकर, मारकर या दूसरा कोई दबाव डालकर

किसी न किसी तरह की मज़दूरी करके अपना निर्वाह करें। मजदूर का मज़दूरी से जी चुराना, ऐसा ही है, जैसा शकर का मिठास छोड़ देना।

यह लड़ाई सिर्फ ३५ टके की बढ़ोतरी पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह साबित करने के लिए है कि मजदूर अपने हक के लिए मुसीबतें उठाने को तैयार हैं। यह लड़ाई अपनी टेक पर कायम रहने की लड़ाई है। हम अपनी तरक्क़ी के ख़याल से, यानी अच्छे बनने के लिए, इसे चला रहे हैं। अगर हम सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करते हैं, तो अच्छे बनने के बदले बिगड़ते हैं। अतएव हम किसी भी तरह सोचें, नतीजा यही निकलेगा कि हमें मज़दूरी करके ही अपना पोषण करना है। शीरीं के ख़ातिर फरहाद ने पत्थर तोड़े थे। मजदूरों की शीरीं उनकी टेक है, उसके लिए वे पत्थर क्यों न फोड़ें? सत्य के लिए हरिश्चन्द्र बिके। अगर मजदूरी करने में दुःख है, तो क्या अपने सत्य के लिए मजदूर उतना दुःख न सहेंगे? टेक के ख़ातिर हज़रत इमाम हसन और हुसैन ने बड़ी-बड़ी तकलीफें उठाईं। हम अपनी टेक निबाहने के लिए क्यों न मरने को तैयार रहें? हमें घर बैठे पैसे मिलें, और उन पर हम लड़ें, तो यह कहना ही गलत होगा कि हम लड़े। इसलिए हमें उम्मीद है कि हरएक मजदूर अपनी टेक की रक्षा के लिए मज़दूरी करके अपना पेट पालेगा और दृढ़ रहेगा। अगर यह लड़ाई देर तक चली, तो उसका कारण हमारी कमज़ोरी ही होगी। जबतक मिलमालिकों को यह ख़याल रहेगा कि मजदूर दूसरी मजदूरी नहीं करेंगे और आख़िर हार जायेंगे, तबतक वे पसीजेंगे भी नहीं और विरोध करते रहेंगे। जबतक उन्हें यह विश्वास न हो जायगा कि

साथ ही यह भी नहीं हो सकता कि गांधीजी के ऐसे कार्य का प्रभाव मालिकों पर बिलकुल ही न पड़े ।

जिस हद तक यह प्रभाव पड़ेगा, उसका उतना ही दुःख हमें रहेगा । किन्तु यदि गांधीजी के उपवास से दूसरे महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलते हों, तो हम उनका त्याग न करें ।

जिस हेतु की सिद्धि के लिए उपवास शुरू किया गया है, उस पर भी थोडा विचार कर लें । गांधीजी ने महसूस किया कि मज़दूरों के मन में प्रतिज्ञा का महत्त्व कम होने लगा है । अपनी कल्पित भूख के डर से उनमे से कुछ प्रतिज्ञा तोडने को तैयार हो गये थे । दस हजार आदमियो का अपनी प्रतिज्ञा से मुँह मोडना एक असह्य-सी वात है । प्रतिज्ञा का पालन न करने से आदमी कमजोर पडता है, और अन्त में अपनी मनुष्यता से हाथ धो वैठता है । इसलिए आज प्रतिज्ञा-पालन के काम में लोगों की भरसक मदद करना, यह हम सवका एक धर्म बन गया है । गाधीजी ने सोचा कि अगर वे उपवास करेंगे, तो यह सावित हो सकेगा कि वे स्वय प्रतिज्ञा को कितना महत्त्व देते हैं । फिर मजदूर भूखो मरने की वात कर रहे थे । गांधीजी का कथन है कि भूखों मरकर भी प्रतिज्ञा पालनी चाहिए । इसका पालन उन्हें तो सचमुच करना ही चाहिए । और यह तभी सच हो सकता है, जव वे ख़ुद भूखो मरने को तैयार हों । मजदूर कहने लगे कि वे मज़दूरी नहीं करेंगे, फिर भी उन्हें पैसे की मदद की जरूरत तो है । गांधीजी को यह चीज वहुत भयावनी मालूम हुई । मजदूरों के ऐसे व्यवहार से देश में जो अव्यवस्था उत्पन्न होगी, उसका कोई पार ही न रहेगा । मज़दूरी करने में जो कष्ट है, उसे सह लेने की वात लोगों को प्रभावशाली ढग से समझाने का गाधीजी के पास एक ही तरीका

रोकना नहीं है । जो समझाने पर भी न समझें और काम पर जाना चाहें, वे भले जायँ । हमें उससे बिलकुल निडर रहना है । इस तरह जबतक एक भी आदमी बाहर रहेगा, हम कभी उसका साथ नहीं छोड़ेंगे ।

१८

गांधीजी की प्रतिज्ञा का हेतु और अर्थ समझ लेना जरूरी है । पहली याद रखने योग्य बात यह है कि उन्होंने मालिकों पर असर डालने के लिए अपना व्रत शुरू नहीं किया है । अगर इस हेतु से व्रत लिया जाय, तो उससे हमारी लड़ाई को धक्का पहुँचे और हमारी बदनामी हो । मालिकों से हम इन्साफ चाहते हैं, महज़ दया नहीं चाहते । जितनी दया चाहते हैं, उतनी मजदूरों को मिले तो अच्छा । हम यह मानें कि मजदूरों पर दया करना मालिकों का फर्ज है । लेकिन गांधीजी पर दया करके वे मजदूरों को ३५ टका इज़ाफा दें, और मज़दूर उसे ले, तो उसमें हमारी ही हँसी होगी । मजदूर ऐसा इज़ाफा ले नहीं सकते । यदि गांधीजी मालिकों के अथवा सर्वसाधारण के साथ के अपने संबंध का ऐसा उपयोग करें, तो कहा जायगा कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है । इससे गांधीजी की प्रतिष्ठा घटेगी । गांधीजी के उपवास का मज़दूरों की तनख्वाह के साथ क्या सम्बन्ध हो सकता है ? अगर मजदूरों को ३५ टका पाने का हक न हो, और ५० आदमी मालिकों के घर जाकर अनशन करें, तो भी मालिक उन्हें ३५ टका क्योंकर दें ? अगर इस तरह हक हासिल करने का रिवाज चल पड़े, तो जन-समाज का काम चलना करीब-करीब असंभव हो जाय । गांधीजी के इस उपवास पर मिल-मालिक न तो ध्यान दे सकते हैं, न उन्हें ध्यान देना चाहिए ।

आज से दो दिन पहले हमारी स्थिति कुछ हद तक चिन्तातुर हो उठी थी। आपमें से कुछ भाई तंगी का अनुभव करने लगे थे, और उनके लिए यह डर पैदा हो गया था कि कहीं वे इस तंगी से मुक्त होने के लिए गांधीजी के आग्रह के अनुसार मजदूरी करने के बदले, प्रतिज्ञा तोडकर काम पर न चले जायें। लेकिन आज वह स्थिति रही नहीं है। गांधीजी की प्रतिज्ञा के कारण हमारे जड हृदयों में चैतन्य आ गया है, और हमें पता चला है कि हमारी प्रतिज्ञा कितनी गंभीर है। 'मर जायेंगे, पर टेक न छोड़ेंगे', यह बात अब महज सभाओं में बोलने की नहीं रही, बल्कि करके दिखाने की है, इसका विश्वास अब हमें हो गया है। इस बदली हुई परिस्थिति के प्रमाण-स्वरूप तंगदस्त भाइयों ने ख़ुशी-ख़ुशी मज़दूरी करना शुरू किया है, यही नहीं, बल्कि जिनकी स्थिति अच्छी है, उन्होंने दूसरों के सामने अपना उदाहरण रखकर और अपनी मजदूरी से मिलनेवाली मेहनताने की रकम दूसरों की मदद में खर्च करके हममें से फूट की संभावना को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया है। लेकिन यह काफी नहीं है। गांधीजी की प्रतिज्ञा के कारण हमारे सिर बड़ी भारी जिम्मेदारी आ पड़ी है। यदि इस ज़िम्मेदारी को हम अच्छी तरह समझते हैं, तो हमें इस लड़ाई को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए जी-जान से मेहनत करनी चाहिए, और जिन-जिन उपायों से हम अपनी टेक पर कायम रहकर लड़ाई को समेट सकते हों, उन सब उपायों का प्रयोग तुरन्त करना चाहिए। हमारी टेक ३५ टका लेने की है। और, हम जानते हैं कि मिलमालिकों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये ३५ टका देना मुश्किल नहीं है। लेकिन ३५ टका देने में जो डर उन्हें लगता है, वह यह है कि उनसे मजदूर

हो सकता है। यह कि वे खुद कष्ट उठावे। वे खुद मजदूरी तो करते थे, लेकिन उतना काफी न था। उपवास को उन्होने कई दृष्टियों से अर्थसाधक समझा और शुरू किया। अब यह उपवास तभी छूट सकता है, जब या तो मजदूरो को ३५ टके का इजाफा मिल जाय, या वे अपनी प्रतिज्ञा से टल जायॅ। परिणाम वही हुआ, जो सोचा था। जो लोग प्रतिज्ञा लेने के वक्त हाजिर थे, उन्होंने वह देखा भी। मज़दूर जागे, उन्होंने मजदूरी करना शुरू किया, उनका धर्म और उनका ईमान बचा।

मज़दूर अब यह समझ चुके हैं कि अगर वे अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहेंगे तो उन्हें इन्साफ मिलेगा। महात्मा गाधीजी की प्रतिज्ञा से उनका बल बढ़ा है। लेकिन जूझना तो उन्हें अपनी ही ताकत पर है। मजदूरों का उद्धार मजदूरों के हाथ में है।

१६
श्री० शकरलाल बैंकर की पत्रिका

आप लोगों के लिए मैं यह पहली ही पत्रिका लिख रहा हूँ। इसलिए मुझे यह तो कह ही देना चाहिए कि इसके लिए मेरा अधिकार नाम-मात्र का ही है। मैंने स्वय मजदूरी नहीं की। मज़दूरों को जैसे दु.ख सहने पडते हैं, वैसे मैंने नहीं सहे, इसी तरह उन दु खों को समझकर उन्हें दूर करने के लिए भी मैं कुछ कर नहीं सकता। अतएव इस अवसर पर जो कुछ भी सलाह देने की ज़रूरत मुझे मालूम हुई है, वह देते हुए मुझे सकोच तो होता ही है। यद्यपि अबतक मैंने आपके लिए कुछ किया नहीं है, तो भी आगे अपनी शक्ति के अनुसार आपके लिए कुछ न कुछ करने की मेरी तीव्र इच्छा है, और इस इच्छा के कारण ही मैं यह लिखता हूॅ।

मज़दूरों की प्रतिज्ञा पली है, इसलिए विजय दोनों पक्षों की हुई है। मालिकों ने प्रतिज्ञा की थी कि वे २० टके से ज्यादा नहीं देंगे; हमने उनकी इस प्रतिज्ञा का भी मान रक्खा है। मतलब यह कि दोनों की लाज रही है। अब हम देखें कि समझौता क्या हुआ है:

१. मजदूर कल, यानी तारीख २० को काम पर जायँ। ता० २० के दिन उन्हें ३५ टका इज़ाफ़ा मिले, और ता० २१ के दिन २० टका।

२ ता० २२ से आगे ३५ टके तक पञ्च जो फैसला देंगे, उसके अनुसार इजाफ़ा दिया जाय।

३. गुजरात के साक्षर शिरोमणि, साधुपुरुष, गुजरात कॉलेज के अध्यापक और वाइस प्रिन्सिपाल श्री आनन्दशंकर ध्रुव एम० ए०, एल एल० बी० पञ्च नियुक्त किये जायँ।

४ पंच महोदय का फैसला तीन महीने के अन्दर प्रकट हो जाय। इस बीच मजदूरों को २७॥ टका इजाफा दिया जाय। यानी आधी रकम मजदूर छोड़ें और आधी मालिक छोड़ें।

५ पञ्च फैसले के अनुसार २७॥ टके पर घट-बढ़ लेनी-देनी मानी जाय। यानी अगर पञ्च २७॥ टके से ज्यादा का फैसला दें, तो मालिक उतना इज़ाफ़ा मजदूरों को मुजरे दें; और अगर २७॥ से कम का फैसला दें, तो मजदूर उतनी रकम मालिकों को मुजरे दें।

इसमें दो तत्त्वों का निश्चय हुआ है। एक तो मजदूरों की प्रतिज्ञा क़ायम रही; दूसरे, यह तय हुआ कि दोनों पक्षों के बीच किसी महत्त्व के प्रश्न पर झगड़ा खड़ा हो, तो उसका निर्णय हड़ताल द्वारा न करके पंच द्वारा किया जाय। समझौते में यह

सिर पर चढ़ बैठेंगे, उद्धत बन जायँगे, बात-बात में बहाने बना कर रूठेंगे और छोटी-छोटी बातों पर हड़ताल करके उद्योग का नाश करेंगे। मुझे तो इस भय का कोई कारण नहीं मालूम होता। जिस उद्योग से मजदूरों को रोजी मिलती है, उसके नाश की इच्छा वे कभी कर ही नहीं सकते। फिर भी यदि मजदूर न्याय-अन्याय का विचार किये बिना मर्यादा छोड़कर चलें, तो जिस अनिष्ट का उल्लेख ऊपर किया है, वह हुए बिना न रहे। यदि हम इस बुरे परिणाम से बचना चाहते हों, तो हमें बाकायदा ईमानदारी के साथ काम करने का निश्चय करना चाहिए। हमें तय कर लेना चाहिए कि हम कोई अनुचित मांग पेश नहीं करेंगे, और न्याय के लिए भी हड़ताल-जैसी चीज़ का सहारा तबतक न लेंगे, जबतक दूसरे उपाय समाप्त न हो जायँ। लेकिन खाली ऐसा निश्चय कर लेने से भी हमारा काम नहीं बनता। हमें मालिकों से मिलना होगा, अपने इस निश्चय की बात उनसे कहनी होगी, और अपने लिए उनके मन मे विश्वास उत्पन्न करना होगा; जिस भय के कारण वे हमें ३५ टका देने से हिचकिचाते हैं, उनका वह भय दूर करना होगा। कारीगरों को मेरी यह आग्रह-भरी सलाह है कि वे इसके लिए आवश्यक कार्रवाई जल्दी ही करें।

१७

दोनों की जीत

पिछली पत्रिकाओं से हम यह जान चुके हैं कि सत्याग्रह में दोनों की जीत होती है। जो सत्य के लिए लड़ा और जिसने सत्य को प्राप्त किया, वह तो जीता ही है, लेकिन जिसने सत्य का विरोध किया और अन्त में सत्य को पहचाना और दिया वह भी जीता ही माना जाता है। इस विचार के अनुसार चूँकि

के लिए ३५ टका माँगने में शुद्ध न्याय है, और उतना पाने के लिए जिसके अन्दर अनन्त शौर्य हो, वह तो तभी अपनी प्रतिज्ञा सफल हुई समझेगा, जब उसे ३५ टका हमेशा के लिए मिलेंगे। लेकिन हमारा निश्चय ऐसा नहीं था। हम पंच से न्याय कराने को हमेशा तैयार थे। ३५ टके का निश्चय हमने एक तर्फा विचार करके किया था। ३५ टके की सलाह देने से पहले हम मालिको की बातें उन्हींसे सुन लेना चाहते थे। दुर्भाग्यवश वैसा न हो सका। इसलिए हमने जितना हो सका, उतना उनके पक्ष का विचार करके ३५ टके की सलाह दी। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि हमने जो ३५ टके ठहराये हैं, वे सही हैं। हमने ऐसा कभी कहा भी नहीं। अगर मालिक हमे हमारी भूल बतावें, तो जरूर ही हम कम इज़ाफा लेने की सलाह दें। यानी अगर पंच को कम इजाफा देना ठीक मालूम पड़े और उतना हम मंजूर कर लें, तो उससे हमारी टेक को जरा भी आँच नहीं आती। हमने पंच के उसूल को हमेशा से माना है। हमें आशा है कि ३५ टका ठहराने में हमने कोई भूल नहीं की है। इस लिए हमारा खयाल है कि उतने मिलेंगे। लेकिन अगर हमें अपनी भूल मालूम हो जाय, तो हम कम टके लेकर भी ख़ुश रहें।

तीन महीनों की मुद्दत ख़ास तौर पर हमारी ओर से ही मांगी गई है। मालिक तो पंद्रह दिन की मुद्दत मंजूर करने को तैयार थे। लेकिन हमे अपनी मांग को सही साबित करने के लिए बंबई में थोडी जाँच-पडताल करने की जरूरत है। पंच महोदय को यहाँ की स्थिति समझाने और मजदूरों की रहन-सहन की वाक़फियत देने की भी ज़रूरत है। जबतक वे इन सब बातों को न समझ लें, उन्हें परिस्थिति का पूरा ख़याल नहीं आ सकता।

शर्त तो नहीं है कि आगे दोनों पक्ष अपने आपसी झगडो का फैसला पच के मार्फत ही करायेंगे। लेकिन चूँकि समझौते मे पंच को मान्य रक्खा गया है, इसलिए माना जा सकता है कि ऐसे मौकों पर आगे भी पचो की नियुक्ति होगी। कोई यह न माने कि मामूली-मामूली बातो के लिए पच मुकर्रर किये जायेंगे। मालिको और मजदूरों के बीच खडे होनेवाले मतभेदों को मिटाने के लिए हमेशा किसी तीसरे पक्ष को बीच मे पडना पडे, यह दोनों के लिए शर्मनाक है। मालिक तो इसे बरदाश्त कर ही नहीं सकते। वे इस शर्त पर अपना धन्धा कभी न चलायेंगे। दुनिया सदा से लक्ष्मी का सम्मान करती आई है। और लक्ष्मी सदा सम्मान पायेगी। अतएव अगर मजदूर जरा-जरासी बातों के लिए मालिको को हैरान करेंगे, तो मालिकों से उनका कोई सम्बन्ध न रह सकेगा। हम मानते हैं कि मजदूर ऐसा कभी करेंगे ही नहीं। हम यह कह देना जरूरी समझते हैं कि मजदूर कभी बिना सोचे हडताल न करें। अगर वे हमसे बिना पूछे हडताल करेंगे, तो हम उनकी मदद न कर सकेंगे। पूछा गया है कि एक दिन ३५ टका लेकर बैठ जाने में प्रतिज्ञा का पालन क्या हुआ? यह तो बालकों को बहलाने-फुसलाने जैसी बात हुई। कुछ समझौतों में ऐसा हुआ है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। हमने जानबूझकर, समय का विचार करके, एक ही दिन के ३५ टका मजूर किये हैं। हम ३५ टका लिये बिना काम पर नहीं जायेंगे, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि हम किसी भी दशा मे ३५ टके से कम इजाफा मजूर नही करेंगे, दूसरा, यह कि हम ३५ टका लेकर काम पर जायेंगे, फिर वह एक दिन के लिए भी मिले तो काफी है। जिसने निश्चय किया हो कि हमेशा

पा सकेंगे और उनसे बहुत कुछ मदद ले सकेंगे। यह सोचना कि सब कुछ हमारे मार्फत ही मिल सकेगा, गलत होगा। किसी संकट विशेष के अवसर पर मजदूरों की सेवा करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन जहांतक हो सके, मालिको को माँ-बाप समझकर उन्ही-से सब कुछ लेने मे मजदूरो का हित है।

अब शान्ति की आवश्यकता है। छोटी-मोटी तकलीफें सहन कर लेनी हैं।

अगर आप इजाजत देंगे, तो आपमे से जिन्हें कुछ बुरी आदतें पडी हुई हैं, उनकी उन आदतों को सुधारने में कुछ मदद करने का हमारा इरादा है। हम आपको और आपके बालकों को तालीम देने की भी उम्मीद रखते हैं। हम चाहते हैं आपकी नैतिकता बढे, आपकी और आपके बच्चो की तन्दुरुस्ती बढ़े, और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरे। अगर आप इजाजत देंगे, तो हम इसके लिए आवश्यक काम शुरू करेंगे।

मजदूरों की बड़ी से बडी जीत तो यह है कि भगवान ने—खुदा ने—उनकी टेक या लाज रख ली है। जिसका ईमान रह गया, उसका सब कुछ रह गया। ईमान जाय और दुनिया का राज भी मिले, तो वह धूल के बराबर है।

इस तरह का सच्चा-पक्का काम कुछ दिनो में पूरा नहीं हो सकता। फिर भी जहांतक हो सकेगा काम जल्दी ही पूरा किया जायगा।

कुछ भाइयों ने लॉक आउट के दिनों की तनख्वाह लेने की इच्छा प्रकट की ह। हमें कहना चाहिए कि हम यह तनख्वाह मांग नहीं सकते। जव हमने २० टका लेने से इनकार किया, तो लॉक आउट या हड्ताल में से किसी एक की जरूरत खड़ी हुई। हमने २२ दिन तक जो तकलीफ उठाई, वह हमारे लिए कर्तव्यरूप थी और उसमें हमारा स्वार्थ था। इस दु.ख की कीमत हमने प्राप्त कर ली है। यह समझौता ही वह कीमत है। अव हम लॉक आउट की तनख्वाह कैसे मांग सकते हैं? लॉक आउट का पगार मांगने का मतलव यह होगा कि हम मालिकों के पैसे से लड़ाई लड़े। मजदूरों के लिए यह एक शरमानेवाला विचार है। लड़वैये अपनी ताकत पर ही लड सकते हैं। दूसरे, मालिक मजदूरों को तनख्वाह दे चुके हैं। अव तो यह भी कहा जा सकता है कि मजदूर नये सिरे से नौकरी शुरू करते हैं। इन सव वातों का विचार करते हुए मजदूरों को लॉक आउट के समय की तनख्वाह लेने का खयाल छोड देना चाहिए।

मजदूरों को तनख्वाह २० दिन वाद मिलेगी। इस वीच मजदूर क्या करें? वहुतों की जेवें विलकुल खाली होंगी। जिन्हें तनख्वाह मिलने के दिन से पहले मदद की जरूरत हो, उन्हें चाहिए कि वे मालिकों से नम्रतापूर्वक विनती करें, हमे विश्वास है कि मालिक उनकी इस प्रार्थना पर कुछ सहूलियत कर देंगे।

मजदूरों को याद रहे कि अवसे आगे की उनकी हालत का आधार उनके काम पर रहेगा। यदि वे सच्ची नीयत के साथ, नम्रता और उत्साहपूर्वक नौकरी करेंगे, तो मालिकों की मेहरवानी

हालत को क़ायम न रखकर उसे सुधारना चाहें – यानी यह चाहें कि कारीगर अधिक स्वस्थ, सुघड, शिक्षित और सुखी बनें – तब तो महँगाई के इस भत्ते के सिवा उनकी तनख्वाह में विशेष रूप से स्थायी वृद्धि होनी चाहिए। और अगर यह न हो, तो मिलो की तरफ से मजदूरो के लिए हवादार घरो, रात्रिशालाओं, वाचनालयों, अस्पतालो और क्लबों वग़ैरा की आवश्यक सहूलियतो का प्रबन्ध होना चाहिए।

नीचे लिखे विवरण से आपको विश्वास हो सकेगा कि महँगाई के कारण कारीगरो को उनके जुलाई के पगार पर कम से कम ५० टका इज़ाफ़ा मिलना ज़रूरी है:

कारीगरो को मिलनेवाले इज़ाफे का हिसाब सन्, १९१७ के जुलाई महीने में उन्हें मिले हुए वेतन पर किया जाता है, और भाईश्री अंबालाल सेठ की तरफ से यह कहा गया है कि उस महीने मे कारीगरों को औसतन रु० २२) मिले थे। अब कारीगरो के उसी महीने के खर्च के ब्यौरे की जाँच करने से मालूम होता है कि उस समय मे भी रु० २२) उनके गुज़ारे के लिए काफी न थे। उनके उस समय के आय-व्यय की तफसील में उतरने से पहले यह बता देना ज़रूरी है कि अधिकांश कारीगरो के परिवार संयुक्त और बडे हैं, और वे छ:-सात या उससे भी अधिक व्यक्तियो के होते हैं। लेकिन ऐसे परिवारो की आय व्यय की छानबीन करने से पहले कारीगरो की रहन-सहन को ठीक से समझने के लिए माँ, बाप, लडका और लडकी, यों चार व्यक्तियो के एक काल्पनिक परिवार के किफायतभरे खर्च का ब्यौरा नीचे दिया है:

बुनाई-विभाग का कारीगर: दो संचे चलानेवाला मुसलमान।

परिशिष्ट

मजदूर पक्ष की दलील

श्री० आनन्दशकरभाई,

अहमदाबाद की मिलों के बुनाई-विभाग के कारीगरो को उनकी तनख्वाह में जो इजाफा मिलना चाहिए, उसकी जांच के सिलसिले में मैं आपकी सेवा में नीचे लिखी हकीकत पेश करने की इजाजत चाहता हूँ।

बुनाई-विभाग के कारीगरों की तनख्वाह में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, उसका निर्णय करने में नीचे लिखी दो बातों का खास तौर पर विचार करने की जरूरत है· (१) कारीगरों को सादा किन्तु सन्तोषकारक जीवन बिता सकने के लिए क्या तनख्वाह मिलनी चाहिए? यानी उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा होना चाहिए? (२) मिलें यह इजाफा दे सकती हैं या नहीं? अगर पूरा-पूरा नहीं दे सकतीं, तो कितना दे सकती हैं?

१ कारीगरों को कितना इजाफा मिलना चाहिए?

इस सवाल के सिलसिले में हम पहले ही यह बता देना चाहते हैं कि कारीगरों की रहन-सहन की मौजूदा हालत सन्तोष-जनक नहीं है, लेकिन उसे सुधारने का थोडा भी विचार किये बिना, जो हालत आज है उसीको कायम रखना चाहें, तो भी महँगाई के कारण कारीगरों को जुलाई के वेतन की दरों पर कम से कम ५० टका वृद्धि मिलनी चाहिए, और अगर मौजूदा

	रु०आ०पा०		रु०आ०पा०
कोट नग ४	२—४—०	जूती	०—८—०
ओढ़नी	२—४—०	चूड़ी	२—०—०
पेशवाज नग १	४—८—०	साड़ियाँ नग ३	१–१४—०
इजार ,, ४	३—०—०		
कुर्ती ,, ४	३—०—०		५१–१३—०

वार्षिक खर्च रु० ५१–१३–० ÷ १२ = मासिक खर्च रु० ४–५-० अर्थात् कुल मासिक खर्च रु० २०–४–० + ४-५–० = रु० २४–९–० ।

इस हिसाब मे कुछ बातो का विचार नहीं किया गया है। लेकिन चूँकि वे बहुत ही महत्त्व की हैं, इसलिए उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना जरूरी समझता हूँ ।

१. **कारीगर की तनख्वाह**: ऊपर कारीगर की मासिक आय २२) मानी गई है । परन्तु कारीगर हमेशा इतना कमा नहा सकता । उसे दिन भर जैसी कडी मेहनत करनी पडती है, वैसी वह साल के बारहों महीने नही कर सकता । कमजोरी, बीमारी और कभी बेकारी के कारण भी दिन टूटते हैं, और औसतन उसका काम साल मे ११ महीने का ही हो पाता है । इसलिए दर असल तो उसकी आमदनी मासिक रु० २०) की ही मानी जानी चाहिए ।

२. **ब्याज** : ज्यादातर कारीगर कर्ज मे डूबे हुए हैं । उन सबको बहुत ज्यादा ब्याज देना पडता है । ऊपर के हिसाब में ब्याज की यह रकम गिनी नही गई है ।

मुसीबत के मारे मजदूर जब किसी साहूकार या पठान के पंजे मे फँस जाते हैं, तो उनकी हालत कितनी दर्दनाक हो उठती

परिवार. व्यक्ति ४ । १ पुरुष, १ स्त्री, १ लडका, एक लडकी । कमानेवाला. पुरुष १ ।-

मासिक खर्च

	रु०आ०पा०
चावल १ मन*	२-१२-०
दाल ०॥ मन	१-३-०
गेहूँ २ मन	४-८-०
मांस ४ सेर*	०-८-०
ईंधन ४ मन	१-४-०
	१०-३-०
साग-सब्जी रोज ०-१-०	१-१४-०
तेल - मसाला	१-०-०

	रु०आ०पा०
घी, गुड, शकर (वार-त्यौहार पर)	१-०-०
चाय-दूध	२-०-०
बालो मे डालने का तेल	०-३-०
साबुन	०-४-०
हजामत	०-६-०
पान-बीडी	१-८-०
किराया	१-८-०
किरासिन तीन बोतल	०-६-०
	२०-४-०

वार्षिक खर्च

	रु० आ० पा०
पतलून नग ४	४-०-०
कोट ,, ३	३-१२-०
कुर्त्ता ,, ४	३-४-०
कमीज ,, २	१-१४-०
साफा ,, १	१-१५-०

	रु० आ० पा०
बूट जोड ४	१२-०-०
छाता नग १	१-२-०
टोपी ,, १	२-६-०
सुरवाल ,, ४	२-०-०
कुर्ता ,, ४	३-०-०

* नोट — इस हिसाब में सब जगह ४० तोले का सेर और ४० पौंड का मन माना गया है । गुजरात में यही प्रचलित है । अनुवादक

४. **शादी-मौत :** परिवार में सगाई, ब्याह या मौत के अवसरों पर जो खर्च होता है, पर्व और त्यौहार के अवसरो पर दान-धर्म और दावत वग़ैरा मे जो ख़र्च होता है, और रिश्तेदारों के यहाँ या जात-बिरादरी में शादी वग़ैरा के मौक़ों पर राह-रस्म का जो खर्च होता है, वह भी ऊपर के हिसाब में आ सकता है। लेकिन इस हिसाब मे उसे भी गिना नहीं है।

५. **बीमा :** इस खर्च के सिवा, हरएक कारीगर को अपने और अपने परिवार के हित की दृष्टि से दुर्घटनाओं का और जीवन का बीमा कराना ही चाहिए, और उसे ऐसी सहूलियत मिलनी चाहिए, जिससे वह बीमे का प्रीमियम भर सके।

६. **शिक्षा :** कारीगरो को अपने लड़को और लड़कियो की पढ़ाई का भी प्रबन्ध करना चाहिए। कुछ कारीगर अपने बालको को स्कूल में भेजते हैं, परन्तु उनकी सख्या बहुत कम है। ऊपर के हिसाब मे इसका खर्च भी शामिल नहीं किया है।

अब इन अतिरिक्त बातों का विचार न भी करें, तो भी ऊपर दिये गये हिसाव के अनुसार एक छोटे परिवार का जुलाई महीने का खर्च रु० २४) माना जाना चाहिए, जब कि उसकी आमदनी तो सिर्फ रु० २२) ही वताई गई है। अतएव महँगी के पहले भी उसका निर्वाह तो मुश्किल ही से हो पाता होगा।

लेकिन कारीगरो के ऐसे छोटे परिवार तो अपेक्षाकृत कम ही हैं; आम तौर पर अधिकतर परिवार तो, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, छः-सात व्यक्तियों के ही होते हैं। अतएव अब यह देखने की जरूरत है कि ऐसे परिवार का खर्च क्या होता होगा।

है, इसका यथार्थ वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन इस संबंध में एक जानने योग्य उदाहरण यहाँ देता हूँ। प्रेमदरवाजे के बाहर जुगलदास की चाल में झगड़ू शेख नाम का एक बूढा मुसलमान कारीगर रहता है। उसकी स्त्री फातिमा के पास सीने की एक मशीन थी, जिस पर काम करके वह अपने खाविन्द की आमदनी में थोडा इजाफा कर लिया करती थी। लेकिन तगी की वजह से उसे अपनी मशीनपर कुछ रुपया उधार लेना पडा और मशीन रहन रखनी पडी। मशीन की कीमत रु० ८०) थी, लेकिन उस पर मगन दलसुख नाम के साहूकार ने रु० ७) उधार दिये और दुअन्नी रुपये का व्याज ठहराया। लेकिन फातिमा न तो व्याज दे सकी, न रुपये लौटा सकी, और अभी तो साल पूरा भी नहीं हुआ है, मगर मगनभाई ने व्याज वगैरा जोडकर उसके नाम २६) का कर्ज निकाला है। ऐसे दूसरे अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं, जिनसे यही साबित होता है कि तंगी की वजह से कर्ज में फँसे हुए कारीगरों की हालत अत्यन्त दयाजनक है, और उनको उससे ऊपर उठाने के लिए सगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है। इस सबध में आपसे यही प्रार्थना है कि आप मिल-मालिको का ध्यान इस ओर खींचेंगे और उचित प्रबन्ध के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे।

३ **दवा:** प्रसूति या बीमारी के अवसरों पर कारीगरों को दवा वगैरा के लिए खर्च करना पडता है। कभी-कभी मिल में काम करते हुए जो चोट वगैरा लग जाती है, उसके इलाज का खर्च भी अकसर उन्हींके सिर पडता है। ऊपर के हिसाब में इस खर्च की रकम भी शामिल नहीं है।

अब मौजूदा स्थिति को समझने के लिए हम यह देखें कि आज की हालत में कारीगरो का खर्च क्या है। किन्तु इस सम्बन्ध के हिसाब का विचार करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उनकी आवश्यकता की चीज़ों के भाव में कितना फ़र्क पड़ा है।

निर्ख़ अनाज

अनाज	जुलाई रु० आ० पा०			अप्रैल २० रु० आ० पा०			महँगी फीसदी
गेहूँ	१-०-०	सेर	१८	१-०-०	सेर	१०	८०
बाजरी	१-०-०	,,	२०	१-०-०	,,	१०	१००
चावल	१-०-०	,,	१५	१-०-०	,,	१०	५०
दाल	१-०-०	,,	१७	१-०-०	,,	१५	१३
मांस	०-२-०	,,	१	०-३-०	,,		५०
ईंधन	०-५-०	मन	१	०-८-०	मन	१	६०
तेल	०-३-६	सेर	१	०-४-०	सेर	१	१४
गुड	०-२-०	सेर	१	०-२-०	सेर	१	—
घी	१-०-०	सेर	१।≈	—	सेर	१।	१०
शकर	०-३-०	सेर	१	०-३-०	सेर	१	—
दूध	०-१-३	सेर	१	०-१-६	सेर	१	१२
नमक	०-०-६	सेर	१	०-१-०	सेर	१	१००
सिर में डालने का तेल	०-३-३	सेर	१	०-४-०	सेर	१	२३
किरासिन	०-१-९	बोतल	१	०-४-०	बोतल	१	१००

बुनाई-विभाग का कारीगर : २ सचे चलानेवाला : जात—मुसलमान। परिवार मे व्यक्तियो की सख्या ६ : १ पुरुष, २ स्त्रियाँ (१ बुढ़िया), ३ बालक। कमानेवाला १ पुरुष।

मासिक खर्च

	रु० आ० पा०		रु० आ० पा०
चावल १॥ मन	४-०-०	चाय-दूध	२-०-०
दाल ०।।। मन	१-१२-०	सिर में डालने का तेल	०-६-०
गेहूँ ३ मन	६-१२-०	साबुन	०-४-०
मास ४ शेर	०-८-०	हजामत	० ८-०
ईंधन ६ मन	१-१४-०	पान-बीडी	२-०-०
		किराया	२-०-०
	१४-१४-०	किरासिन. ३ बोतल	०-६-०
साग-सब्जी रोज़ ०-१-६	२-१२-०	मासिक	२७-१४-०
तेल-मसाला	१-४-०	कपडे-लत्ते वगैरा	६-०-०
घी, गुड, शकर (वार-त्यौहार पर)	१-८-०	कुल खर्च	३३-१४-०

इस हिसाब पर से कारीगरों की विडम्बना का कुछ पता चल सकेगा। प्लेग बोनस (जब करीब ५० से लेकर ७० टके तक मिलता था, कारीगरो की आमदनी रु० २२) के बदले रु० ३३) से ३७) तक पहुँचती थी) से पहले कारीगर को १२ घण्टो की मज़दूरी के बाद भी अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काफी नहीं मिलता था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ज़ लेना और पसारी तथा साहूकार का आश्रित बनना पडता था।

			रु० आ० पा०			रु० आ० पा०
गेहूँ	२	मन	८–०–०	कुर्ते	नग ४	४–४–०
मांस	४	सेर	८-१२-०	कमीज़	नग २	२–८–०
ईंधन	४	मन	२–०–०	साफा	नग १	१-१२-०
			१६–१–०	बूट	जोडी ४	१२–०–०
साग-सब्जी रोज का				छाता	नग १	१–८–०
		०–१–०	१-१४-०	टोपी	नग १	०–५–०
तेल-मसाला			१–०–०	सुरवाल	नग ४	३–०–०
घी, गुड़, शकर			१–०–०	कुर्ते	नग ४	३-१२-०
चाय			२–०–०	कोट	नग २	३–०–०
दूध			०–०–०	चादर	नग ३	३-१२-०
सिर में डालने का तेल			०–३–०	पेशवाज	नग १	६–०–०
साबुन			०–४–०	इजार	नग ४	५–०–०
हजामत			०–६–०	कुर्ती	नग ४	६–०–०
पान-बीड़ी			१–८–०	जूती		०–८–०
किराया			२–०–०	चूडी		२–०–०
किरासिन			०-१२-०	ओढ़नी	नग ३	३–०–०
			२७–०–०			६९–१–०

÷ १२ = मासिक ५–१२–१

रु० २७–०–० + ५–१२–१ = कुल मासिक खर्च रु० ३२–१२–१

६ आदमियों के परिवार का खर्च

			रु०आ०पा०		रु० आ पा०
चावल	१॥	मन	६–०–०	मसाला	२-१२-०
दाल	०॥	मन	२–०–०	तेल	१–४–०

कपड़े की दरें

किस्म कपड़ा	जुलाई रु० आ० पा०	अप्रैल, २० रु० आ० पा०	महँगी फीसदी
सेनो (पतलून के लिए)	०—५—० गज़ १	०—८—० गज १	६०
मलमल (कुर्तें के लिए)	०—५—० गज १	०—७—० गज १	४०
चेक (कमीज के लिए)	०—४—० गज १	०—६—० गज १	५०
वनियान	०—५—० नग १	०—६—० नग १	२०
टोपी	०—२—६ नग १	०—५—० नग १	१००
साफा	१—५—० नग १	१-१२-० नग १	४०
छतरी	१—२—० नग १	१—८—० नग १	३३
साडी	१—०—० नग १	१—८—० नग १	५०
ओढ़नी	०-१२-० नग १	१—४—० नग १	६६
छींट (घाघरे के लिए)	०—६—० गज १	०—९—० गज १	५०
नैनसुख (पेशवाज)	३—८—० थान	५—०—० थान	४२
छींट (इजार)	०—६—० गज़ १	०-१०-० गज १	६७
जाफर (चोली के लिए)	०—४—६ गज़ १	०—६—० गज १	३३
ओढनी	०-१०-० गज़ १	१—०—० गज़ १	६०
छींट (घाघरी के लिए)	०-१२-० गज १	१—०—० गज़ १	३३

इन दरों के हिसाब से ऊपर लिखे अनुसार चार और छः आदमियों के परिवार का खर्च इस प्रकार होगा :

४ आदमियों का परिवार

मासिक खर्च		रु० आ० पा०	वार्षिक खर्च		रु० आ० पा०
चावल	१ मन	४—०—०	पतलून	नग ४	५—८—०
दाल	०॥ मन	१—५—०	कोट	नग ३	५—४—०

हकीकतो से पता चलेगा कि आज की हालत में ५० टके की यह माँग किसी भी तरह ज्यादा नहीं है।

जुलाई महीने मे सूत का भाव फी रतल १२ आना और उसके साथ बुनाई का खर्च फी रतल छः आना था, अर्थात् एक रतल सूत का कपडा एक रुपया दो आने में तैयार होता था। इस कपडे का बाजार भाव फी रतल रु० १–५–० था। यानी मिलो को हर रतल पर ०–३–० का मुनाफा रहता था, और फी कर्घा १० रतल सूत के हिसाब से दो कर्घों पर उन्हें रु० ३–१२–० का मुनाफा मिलता था। इस अर्से मे प्लेग के कारण कारीगरों को ५० से लेकर ७० टके तक का इजाफा मिला है। रु० २२) पर इसका हिसाव वैठायें तो रोज़ के छः आने का हिसाव पडता है। और चूँकि दो कर्घों पर रोज़ का मुनाफा रु० ३.-१२–० होता था, इसलिए हर रोज मजदूरो को छ. आने देने के बाद भी रु० ३–६–० का मुनाफा वच रहता था।

मिलो की यह हालत आज कायम ही नहीं है, बल्कि वह वहुत सुधरी भी है। आज सूत का भाव फी रतल रु० १–४–० है, और उस पर ०–८–० का बुनाई-खर्च पडता है। यानी १ रतल सूत के कपडे की लागत रु० १–१२–० पडती है। इस कपडे का बाज़ारभाव आज रु० २–४–० है। अर्थात् मिलो को फी रतल ०–८–० का मुनाफा रहता है। मान लीजिये कि एक कर्घे पर रोज़ाना १०) रतल कपड़ा तैयार होता हो, तो दो कर्घों पर रु० १०) का मुनाफा हुआ। जब प्लेग के दिनों में रु० ३–१२–० के मुनाफे में से कारीगरो को ६ आने का इज़ाफा दिया जा सका, तो यह नही कहा जा सकता कि आज रु० १०) के मुनाफे मे से ६ आने देना मुश्किल है।

			रु० आ० पा०		रु० आ० पा०
गेहूँ	३	मन	१२—०—०	घी, गुड, शकर	१—८—०
मास	४	सेर	०-१२-०	चाय	२—०—०
ईंधन	६	मन	३—०—०	सिर में डालने का तेल	०—६—०
			२३—१२—०	हजामत	०—८—०
भाग-सब्जी रोज			०—१—६	किराया	२—०—०
साबुन			०—४—०		३७—२—०
पान-बीडी			२—०—०	+ मासिक कपडे-लत्ते	
किरासिन			०-१२-०	वगैरा	७—०—०
				= कुल मासिक खर्च	४४—२—०

इस तरह आज की घडी में चार आदमियो का मासिक खर्च रु० ३२) और छ का रु० ४४) होता है, अगर मजदूरो की आमदनी इतनी करनी हो, तो उन्हें जुलाई की दर पर कम से कम ५० टका और अधिक से अधिक सौ टका इजाफा मिलना चाहिए।

२ मिलें कितने टके दे सकती हैं ?

ऊपर दी गई हकीकतो से पता चलेगा कि कारीगरों को उनके गुजारे के लिए महँगाई के इस जमाने में जुलाई महीने की तनख्वाह पर ५० फीसदी इजाफा मिलना चाहिए। यानी जुलाई महीने की उनकी आमदनी रु० २२) मानी जाय, तो इस समय उन्हें कम से कम रुपये ३३) मिलने चाहिऍ। लेकिन यह भी एक सोचने की बात है कि मिलें इतना इजाफा दे सकती हैं या नहीं। क्योंकि जिस उद्योग की बदौलत कारीगरो को उनकी रोजी मिलती है, कारीगर उससे इतनी मज़दूरी तो नहीं माँग सकते, कि जिससे उस उद्योग मे कुछ दम ही न रह ज़ाय। लेकिन नीचे की

(३) रु० ३० से रु० ४४

(४) रु० ४२

इनमे कम से कम ३०) की रकम को लेने पर भी ४० टके का इजाफा उचित माना जा सकता है । किन्तु इस खयाल से कि कहीं मिलो का बोझ ज्यादा न बढ़ जाय, ३५ टका ही तय किया गया था । और मैं विश्वास-पूर्वक कह सकता हूँ कि इसमें से न्यायतः एक टका भी कम नहीं हो सकता ।

मजदूरो की पगार में बढ़ोतरी करने के बारे मे होनेवाली जांच के सिलसिले में आज तो मैं इतनी ही हकीकत पेश कर सका हूँ । मैंने इसकी नक़ल गांधीजी के पास भी भेजी है । अगर उन्होंने जरूरत समझी, तो वे इसमें कुछ बढ़ायेंगे ।

शंकरलाल घेलाभाई बेंकर

का सविनय वन्देमातरम्

२

मिल-एजण्टों का वक्तव्य

इस मामले मे मजदूरों के पक्ष में मि० बैंकर की सही से पेश हुई हकीकत हमने पढ़ी है ।

हम यह कहना चाहते हैं कि मि० बैंकर के वक्तव्य में प्रो० ध्रुव की सलाह मांगते हुए, जो बातें कही गई हैं, उन्हें छोड़कर जहां-जहां दूसरी हकीक़ते पेश की गई हैं, वे बेमोज़ूं हैं, और इस-लिए ध्यान देने लायक नहीं हैं । मि० बैंकर की इस कोशिश को देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य होता है । हमारा खयाल है कि इसमें उनका मक़सद पचों को भुलावे मे डालने का रहा है ।

मिलो की मौजूदा हालत वहुत अच्छी है। इसका एक सवूत इस वात मे है कि कुछ मिल-एजण्टों ने अपने कमीशन की दर में परिवर्तन किया है। पुरांने तरीके पर एजण्टों को फी रतल रु० ०-०-३ कमीशन मिलता था, उसके वदले अव उन्होने ३॥ टका कमीशन लेना शुरू किया है। हिसाव लगाने से यह पहले की अपेक्षा चौगुना होता है। क्योंकि अगर एक कर्घे की रोजाना पैदावार १६ रतल मानें, तो पहले की दरों के अनुसार एजण्टों को १६ पैसे यानी ४ आने मिलते थे। परन्तु ३॥ टके के हिसाव से सोलह रतल के रु० १-१२-० लेखे रु० २८ होते हैं, जिनपर कमीशन रु० १) के करीव होता है। अगर मिलों को आज गैरमामूली मुनाफा न मिलता होता, तो न एजण्ट इतना कमीशन माँगते, और न भागीदार इतना देना मजूर करते।

उपर दी गई हकीकतों से आपको यह विश्वास हो सकेगा कि महँगी के कारण कारीगरो को कम से कम ५० टका इजाफे की जरूरत है, और जव कि मिलें हर रोज दो कर्घों पर रु० १०) कमाती हैं, उनके लिए इतना इजाफा देना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस पर यह पूछा जा सकता है कि फिर गाधीजी ने ३५ टके का इजाफा मुनासिव क्यों समझा? इसका जवाव सिर्फ यही है कि पहले पंचनामे की एक शर्त यह थी कि अहमदावाद के वुनाई-विभाग के कारीगरो को वंवई की मिल के कारीगरों से ज्यादा न मिलना चाहिए। वंवई की मिलों में इस संवंध की जांच करने पर अलग-अलग चार मिलों की ओर से उनके कारीगरो को मिलनेवाली तनख्वाह के नीचे लिखें आंकडे प्राप्त हुए थे:

(१) रु० ३२-३-० से ३४-८-०

(२) रु० ३० (चार दिन हडताल रही)

१. एजण्टों के कमीशन की वृद्धि

सभी जानते हैं कि अहमदाबाद शहर में मिल के संचालकों और एजण्टों को विविध कमीशन मिलता है। एक तरीका यह है कि एक रतल तैयार माल के पीछे तीन पाई का कमीशन दिया जाता है। कई जगह यही तरीका चालू है। दूसरे तरीके में बिके हुए माल की कीमत पर ३ से ४ सैकड़ा कमीशन मिलता है। दर असल पहले इन दोनों तरीकों से बहुत अच्छी तरह काम चला था। क्योंकि जहां तक हिसाब का संबंध है, इन दोनों तरीकों से मिलनेवाले कमीशन में बहुत थोड़ा फर्क रहता था। पिछले वर्षों में तो इन दोनों तरीकों से कमीशन की रकम सरीखी ही मिलती थी। लेकिन लड़ाई शुरू हो जाने के बाद एक तो महीन कपड़ा तैयार करने की जरूरत के कारण और दूसरे भाव बढ़ जाने के कारण एजण्टों को पौण्ड के हिसाब से कमीशन बराबर कम मिलने लगा और साथ ही भागीदारों को मुनाफा ज्यादा मिलने लगा। इससे एजण्टों का नुकसान होने लगा। इसीलिए दूसरे तरीके से कमीशन देने का रिवाज चला है। फिर भी कम या ज्यादा कमीशन देने का अधिकार भागीदारों के हाथ में है, क्योंकि इससे उन्हीं के मुनाफे में घट-बढ़ होती है। इस मुद्दे का मौजूदा सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

२. मजदूरों के लिए स्कूल, अस्पताल, रात के स्कूल, बीमा-फण्ड वगैरा का प्रबन्ध करने के बारे में

ये सभी सहूलियतें बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन देखना यह है कि इन्हें व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है या नहीं। ये सहूलियतें सरकारी और मध्यम श्रेणी के लोगों को भी नहीं मिलतीं।

उनकी यह कोशिश अन्यायपूर्ण और कानून के ख़िलाफ़ है। इस मामले में जो मुद्दे सलाह के लिए पेश किये गये हैं, उनके सबध की वक्तव्यगत वातों पर हमारा जवाब इस प्रकार है.

अ (१) मि० वैंकर द्वारा पेश की गई सारी हकीकतें एक विलकुल गलत उसूल पर रची गई हैं। उनकी तमाम दलीलें इस उसूल पर वनी हैं कि सभी मिलें भूतदया और परोपकार के विचार से चलाई जाती हैं, और उनका उद्देश्य पूँजीपतियों और मज़दूरो के बीच समानता स्थापित करना है। हम कहा चाहते हैं कि ये उसूल विलकुल गलत हैं। सच पूछा जाय तो मिलें मालिको की अपनी निजी सम्पत्ति है। मिलें चलाने का असली और सच्चा हेतु मुनाफा कमाना है। इस हेतु को ध्यान मे रखकर ही मिलो में मज़दूरो को काम दिया जाता है। इसलिए मज़दूरो की कुशलता को ध्यान में रखते हुए उन्हें जिन शर्तों पर जो काम सौंपा जाता है, उसका सारा दारोमदार Supply and Demand अर्थात् पूर्ति और माँग की नीति पर रहता है, और वही होना भी चाहिए। हम यह कहा चाहते हैं कि सारी दुनिया में सभी जगह इस नीति से काम होता है। जहाँ तक हम जानते है, कहीं भी पूँजीपतियों और मज़दूरों का आपसी सम्बन्ध मि० वैकर के वक्तव्य में मूचित नीति के अनुसार निश्चित नहीं हुआ है, और स्पष्ट है कि बुद्धिमानी भी इसीमे है। उनके द्वारा सूचित नीति का स्वरूप स्वयं असभव, असाध्य, और स्वप्न तुल्य है। कुछ हद तक वह 'युटोपिया' की चीज़ है। वह इस ससार में, अथवा इस देश या शहर के लिए व्यावहारिक नहीं।

(२) दूसरे, उनका यह वक्तव्य ऐसे गलत तर्क पर रचा गया है कि उसे देखकर निराशा होती है। उदाहरणार्थ:

५. वहाँ का कोई भी मजदूर जब बिना नोटिस दिये या बिना छुट्टी लिये काम पर हाजिर नही रहता, तो उसे उस समय का पगार नही दिया जाता। (अहमदाबाद मे हमेशा नोटिस देने का रिवाज है।)

इन महत्त्व के भेदो का विचार किये बिना तुलना करने से ग़लती होने का सभव है। ऐसा करना न्याय विरुद्ध और अवास्तविक है। फिर प्रगतिशील बंबई में भी अभीतक बीमा-फण्ड या रात्रि-क्लब वगैरा का अभाव ही है। ऊपर की इस तुलना मे इस हकीकत का भी खयाल नहीं रक्खा गया है कि बंबई सरकार ने और रेलवे कंपनियों ने अपने नौकरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं।

ब. मि० बैकर के शेष वक्तव्य में इस एक मुद्दे को लेकर कि मजदूरो के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए, उनके पक्ष को सबल बनाने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन इसमे भी कुछ बाते गलत तरीक़े से पेश की गई हैं।

१. हमें विश्वास है कि वक्तव्य की नीचे लिखी बातें सही नहीं हैं:

अ. साधारण मजदूर के परिवार मे एक पुरुष, उसकी स्त्री और तीन चार बालक होते हैं।

पूरी जाँच-पड़ताल के बाद हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि औसतन एक मजदूर के परिवार मे माता-पिता के सिवा अकसर एक ही बालक होता है, और बहुत ही कम घरो में दो बालक होते हैं। अतएव स्पष्ट है कि उनके हिसाब का आधार ग़लत है।

आ. सारे परिवार का पोषण एक ही पुरुष करता है।

इस संबध में भी यह जानी हुई बात है कि कई घरों के लडके काम करते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर भी जोर देने की

मिल-मजदूरों के लिए तो ये अचरज की चीजें हैं। फिर इनमे से कई वातों के लिए तो सरकार और म्युनिसिपैलिटी का ध्यान खींचने की जरूरत है, क्योंकि इस दिशा में वही कुछ काम कर सकते हैं। इस मुकदमे के सिलसिले में इन सहूलियतों पर ज़ोर देना अन्यायपूर्ण और अयथार्थ है। इन सव कामों का सुन्दर श्रीगणेश और प्रवन्ध किया जाय, तो इन सवालो को जल्दी से जल्दी अमली रूप देने से वढ़कर स्वागत योग्य और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती; उस दशा में इनके लिए जो आवश्यक खर्च होगा उसकी पूर्त्ति में हम अपनी ओर से उचित मदद पूरी-पूरी ख़ुशी के साथ देंगे।

३. प्लेग के कारण दिया गया इज़ाफ़ा

यह इजाफा एक खास समय के लिए ही दिया गया था। अव चूँकि प्लेग नहीं रहा है, इसलिए हर वक्त या हमेशा के लिए उस पर भार देना अनुचित ही कहा जायगा।

४. वंबई के मज़दूर और उनको मिलनेवाले पगार की तुलना

इस तुलना में नीचे लिखी बातों का विचार नहीं किया गया है, इसलिए यह विलकुल गलत है।

१ ववई में मकान किराये सहित सभी खर्च ज़्यादा है।

२. वहां के मज़दूर ज़्यादा होशियार और निपुण हैं।

३. इसी कारण ववई की मिलों में अधिक सुन्दर और ख़ास ख़ूवीवाली बुनाई का काम हो सकता है।

४. वहां के मज़दूर प्राय: एक ही जगह स्थायी रूप से काम करते हैं।

को परस्पर लाभ है। इस मामले मे हमारे मजदूरो को अपने वंवई के मजदूर भाइयो का अनुकरण करना चाहिए।

उ. दूसरी ध्यान देने योग्य वात यह है कि मज़दूर वार-वार नौकरी वदलते हैं। मिलो मे होनेवाली इस फेर-वदली का पत्रक देखने से पता चलेगा कि मजदूर स्थिर रह नहीं सकते। इसके कारण मजदूरो का और मिलो का वहुत ही नुकसान होता है।

ऊ. इस संवध में हमारा नम्र निवेदन यह है कि आप केलिको मिल में वने माल का पत्रक देखने की कृपा करें। उस से साफ पता चलता है कि प्लेग का भत्ता देने अथवा पगार वढ़ाने से भी मिलो की कमाई मे कोई अच्छी तरक्की नही हुई है, वल्कि वह वहुत ही कम हो गई है। मज़दूरो को ज्यादा कमाने के जो मौके दिये गये हैं, उनका नतीजा यह हुआ है कि माल की पैदावार घटी है; इस स्थिति मे इसके कारण लाभ होने के वदले हमे व्यर्थ का वहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसी पत्रक से दूसरी वात यह भी मालूम हो सकेगी. कि जिस इजाफे की आज मजदूर मांग कर रहे हैं, वह इज़ाफा और उससे भी ज्यादा आमदनी वे पा सके होते, लेकिन जो मौक़े उन्हें दिये गये थे, उनसे उन लोगो ने लाभ नहीं उठाया। हम इसका कारण यह समझे हैं कि मजदूरो की आदतो मे और उनकी रहन-सहन मे आलस्य आदि की प्रधानता है। वे कुछ खास आमदनी और कुछ खास सहूलियतो को पाकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, और मुहर्रम वगैरा त्योहार के दिनो को छोडकर वाक़ी के सव दिनो मे ज्यादा कमाने के जो मौके उन्हे दिये जाते हैं, उनसे वे लाभ नहीं उठाते। इस संवध मे मजदूरों की कार्यशैली को देखकर हमारी

जरूरत नहीं । यह तो ज़ाहिर है कि मिलों मे वहुत से लडके काम पर आते हैं । और कहीं-कहीं तो औरते भी काम करती हैं । इसलिए ध्यान देने की वात तो यह है कि मिल-मजदूरो के परिवारो की कमाई वहुत ही ज्यादा है ।

इ. मासिक खर्च का आँकडा भी वहुत ही ज्यादा वताया गया है ।

ई. मज़दूरों को अपनी शक्ति से वाहर वहुत ही ज्यादा काम करना पडता है ।

यह चीज़ विलकुल गलत है । किसी भी मिल मे जाकर देखने से पता चलेगा कि वीडी पीने और पानी पीने के कमरों मे तथा मिल के अहातो में वहुतेरे मज़दूर मटरगश्ती करते और समय खोते हैं । हमारी यह राय वनी है कि अगर मजदूर अपने काम पर एकाग्र रहें तो उन्हें जो आमदनी हो, उसके मुकावले मे आज ऊपर की इन आदतो के कारण उन्हें वहुत ही कम मिलता हैं, यही नहीं, वल्कि इसकी वजह से मिलों को भी कई तरह का नुकसान होता है । मसलन्, माल कम तैयार होता है, और अकसर ग्राहकों को और कर्घों को वन्द करने की जरूरत पडती है । आलस्य मे समय गँवाने की इस आदत का मजदूरो मे न रहना हर तरह इष्ट है । हमने वार-वार इसे सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कामयावी नहीं मिली । मजदूर वर्ग का केस पेश करने और उसके साथ हमदर्दी दिखाने से मज़दूरों को जो लाभ होता है, उसके मुकावले अगर मजदूर अपने काम का अधिक खयाल रक्खें तो उनकी आमदनी वहुत ही वढ़ सकती है, और हालत सुधर सकती है, यही नहीं, वल्कि मिलो को भी वहुत मुनाफा हो सकता है । इसमे मजदूरो और पूँजीपतियों, दोनो

(३) हम पंच महोदय का ध्यान इस ओर खींचने की अनुमति चाहते हैं कि फैसले के सिलसिले में जिस इज़ाफे का निर्णय दिया जाय, वह तभी तक के लिए हो, जबतक आज की परिस्थिति कायम रहे। यह सच है कि आजकल महँगाई है, लेकिन उसका कारण मौजूदा लडाई है। अच्छे साल आने और लड़ाई बंद होने पर महँगाई न रह जायगी; और उसके साथ ही मिलो को जो मुनाफ़ा आज हो रहा है, वह वहुत ही कम हो जायगा। वहुत मुमकिन है कि वढे हुए करो के कारण, और लंकाशायर के साथ पुनः वहुत ही जोर से शुरू होनेवाली होड़ के कारण मिलो की हालत खराव हो जाय। इन दो बातों का मिल-उद्योग पर क्या प्रभाव पडेगा, आज उस पर तर्क करना व्यर्थ है; लेकिन पहले से यह समझ रखना अधिक लाभदायक होगा कि जो मुनाफा आज मिलता है, वह आगे चलकर नही मिलेगा। बंग-भंग के अच्छे सालों मे सन्, १९०० से १९०९ तक मिलो को वहुत ही अच्छा मुनाफा मिला था। लेकिन १९०९ से लडाई शुरू होने तक के समय में मिलों को वहुत ही नाजुक हालत मे से गुजरना पडा। उस समय सचमुच ही कई मिलो का दिवाला निकल गया था। इसलिए हम सच्चे दिल से यह आशा रखते हैं कि पूँजीपतियों और मजदूरो के सभी मित्र इस सभाव्य (और सच्ची) स्थिति का पूरी चिन्ता के साथ विचार करेंगे।

क. अब सोचने की सिर्फ एक बात यह रह जाती है कि मज़दूरों को क्या इज़ाफ़ा दिया जाय। उन्होंने अपनी ओर से ३५ टके की माँग पेश की है। हम बीस फीसदी इज़ाफा दे सके हैं। हमारा निवेदन यह है कि ऊपर वताई गई सव परिस्थितियो का और निकट भविष्य के समय का ध्यानपूर्वक विचार करने के

जो मजबूत राय वनी है, वह यह है कि अहमदावाद में मजदूरों को ज्यादा मज़दूरी देने से उनकी वास्तविक मासिक आमदनी में वहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होती। इसलिए हमारी सूचना यह है कि इस सबध में मजदूरों की आदते सुधारने की खास जरूरत है।

(२) ऊपर कही गई वातों से यह तो साफ है कि मि० वैंकर के वक्तव्य की खास विचारने योग्य वाते अव वहुत कम रही हैं। हिन्दुस्तान की आम जनता के सभी अंगो की और साथ ही मजदूर वर्ग की हालत को सुधारने और उत्तम वनाने की खास ज़रूरत है। हम यह भी मानते हैं कि यह काम वहुत जल्द होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मि० वैंकर सोचते हैं, उतने थोडे समय में न मनुष्य पूरी तरह सुधर सकते हैं, न उनके रिवाज ही सुधर सकते हैं। 'युटोपिया' एक दिन, एक वर्ष, या एक पीढी में सिद्ध नहीं हो सकता। मि० वैंकर ने मजदूरो के लिए जिस इजाफे की माँग पेश की है, वह मज़दूरों को सहज ही मिल सकता है, वशर्ते कि वे स्वय मेहनत करें और अपने काम मे अधिक नियमित और कम आलसी रहें। यह उपाय उनके अपने हाथ मे है। दयाभाव के कारण अच्छी तरह या हमेशा के लिए उन्हें यह लाभ मिल नहीं सकता। अपनी योग्यता और उद्योगप्रियता के वल पर ही वे अधिक अच्छी कमाई कर सकेंगे। इस सबध में हमारा निवेदन यह है कि मि० वैंकर और उनके मित्र अपने उत्साह का उपयोग मज़दूरों को उनकी वुरी आदतो का हानि-लाभ समझाने मे करेंगे तो वहुत ही फायदा होगा। इससे जिन लोगों का पक्ष लेकर वे खडे हुए हैं, उनको भी वे वेहद लाभ पहुँचा सकेंगे।

में विवाद खडा हो गया था, जिसके फलस्वरूप हडताल और लॉक आउट — ताले बाहर — की खेदजनक स्थिति उत्पन्न हुई थी। ता० २० मार्च, १९१८ के दिन दोनों पक्षों ने पंच का काम मुझे सौंपा और हडताल खुली। इसके वाद पच का काम शुरू हुआ। मैंने दोनो पक्षो को लिखा कि वे अपने-अपने वक्तव्य लिखकर भेजें। तदनुसार अनिवार्य अडचनो के कारण मिल-मालिक-मंडल का कोई वक्तव्य तीन महीनों के अन्दर मुझे मिला नहीं। एक पक्ष के वक्तव्य से संतुष्ट रहकर फैसला देना मुझे उचित नहीं मालूम हुआ, इसलिए मैंने उन्हें सूचित किया कि पंच के अधिकार को समाप्त करके दोनो पक्ष आपस में मिलकर समझौता कर लें, और इस काम में दोनो पक्षो के मित्र के नाते मेरी सहायता की आवश्यकता हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। किन्तु दोनों दलों की ओर से यह कहा गया कि ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने यह भी कहा कि दोनो ने मिलकर पंच के काम की मुद्दत बढ़ाने का निश्चय किया है। इसलिए मैंने पंच का काम जारी रक्खा। ता० २८ जून को मुझे मिल-मालिक-मण्डल का वक्तव्य मिला। उसके कारण कुछ महत्त्व के प्रश्न खडे हुए, जिनका खुलासा मैंने दोनों पक्षों की ओर से माँगा था। ता० ३ जुलाई तक कारीगर पक्ष की ओर से इस संवध में कुछ भी लिखकर नहीं आया। अधिकतर जिन ख़ुलासो और हकीकतो की मुझे ज़रूरत थी, वह मिलमालिको की ओर से मिलने को थी; उनकी ओर से एक 'खानगी' सूचना के साथ कुछ हक़ीक़त पेश की गई है। लेकिन उससे मेरे सभी सवालों का जवाब नहीं मिलता, और जो मिलता है, वह भी अपूर्ण रूप में मिलता है: और, कुछ हकीक़तो का उपयोग तो तभी हो सकता है, जव वे कई मिलो से इकट्ठा करके भेजी जायें।

वाद जो इज़ाफा हमने दिया है, वह वाजिव है। सच पूछा जाय तो वह भी जरूरत से ज्यादा है, फिर भी आज की नाज़ुक हालत को ध्यान में रखते हुए हमने इजाफा देना उचित समझा है। हम मानते हैं कि अगर अहमदावाद मे प्लेग न फैला होता, तो मज़दूर इस इजाफे से सन्तुष्ट रहते। इस समय तो अहमदावाद मे प्लेग है ही नहीं, अतएव जिन परिस्थितियों का विचार करके उन्हें प्लेग का भत्ता दिया गया था, उसपर मौजूदा सवाल के सिलसिले में कुछ भी न कहा जाना चाहिए। अगर मजदूर ज्यादा उद्योगी वनें और वार-वार नौकरी वदलने की अपनी आदत को छोडकर एक ही जगह स्थायी रूप से काम करें, तो अविक नहीं तो जितना इजाफा आज वे मांगते हैं, उतना तो वे ख़ुद कमा सकते हैं। वे ज्यादा काम करेंगे, तो हम उनको ज्यादा पगार वहुत ही ख़ुशी के साथ देंगे। उनके मौजूदा मित्रों से उन्हें जितना लाभ मिलेगा, उससे अधिक लाभ उनके अपने उद्योग के कारण उनका भी होगा और हमारा भी होगा।

अतएव अन्त मे हमारा निवेदन है कि जो इज़ाफा हम देना चाहते हैं, वह न्याययुक्त है।

गोरधनदास ई० पटेल
पेस्तनशा न० वकील
जॉइन्ट ऑनररी सेक्रेटरी
मिलएजण्ट ग्रूप

३
पंच का निर्णय

पिछली सर्दियों में अहमदावाद के मिलमालिक मडल और वुनाई विभाग के कारीगरों के दरम्यान कारीगरों के पगार के सम्बन्ध

८

उपवास के सम्बन्ध में गांधीजी का वक्तव्य

मैं समझता हूँ कि मुझे अपने पिछले उपवास के सम्बन्ध में जनता के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कुछ मित्र मेरे इस कार्य को मूर्खतापूर्ण समझते हैं, कुछ इसमें नामर्दी देखते हैं, और दूसरे कई इसे उससे भी खराव समझते हैं। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि अगर मैंने यह कदम वढ़ाया न होता तो मैं अपने सिरजनहार के प्रति और अपने अंगीकृत कार्य के प्रति वेवफा रहा होता।

कोई एक महीना पहले मैं वंवई गया था। वहाँ मुझसे यह कहा गया था कि महामारी के कारण अहमदावाद के मिल-मजदूरो को जो वोनस दिया जाता था, अगर वह वन्द किया गया तो खयाल किया जाता है कि मजदूर हडताल कर देंगे और उपद्रव मचायेंगे। मुझे मध्यस्थ वनने को कहा गया, और मैंने मंजूर किया।

पिछले अगस्त महीने से मज़दूरों को महामारी के कारण ७० फीसदी तक वोनस मिलता था। इस वोनस को वन्द करने की कोशिश के कारण मजदूरो मे ज़ोरदार असन्तोष फैला। मिल-मालिको ने विलकुल अन्त-अन्त में महामारी के कारण दिये जानेवाले वोनस के वदले वढ़ी-चढ़ी महँगाई के निमित्त से उनकी मजदूरी मे २० फीसदी इज़ाफ़ा कर देने की वात कही। परन्तु मजदूरो को इससे सन्तोष न हुआ। सारा सवाल पंच के सिपुर्द किया गया, और अहमदावाद के कलेक्टर मि० चेटफील्ड सरपंच नियुक्त किये गये। इस पर भी कुछ मिलों के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मालिकों ने सोचा कि मज़दूरो ने यह सव विना किसी उचित

परन्तु मालिकों की ओर से यह कहा गया है कि आज इस तरह की हकीकत इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है । ऐसी दशा मे मैं यह निर्णय नहीं कर सकता कि दोनो पक्षों के इस झगडे में **वास्तविक न्याय** क्या है । लेकिन चूँकि इस समय मिलमालिक विशेप हकीकतें दे नहीं सकते, और गरीव कारीगरों को पच का निर्णय जल्दी ही मिल जाना इष्ट है, इसलिए मुझे **व्यावहारिक न्याय** अर्थात् फैसले से काम लेना पडता है । पच के फैसले की राह न देखते हुए कुदरती तौर पर मिलमालिको और कारीगरो के बीच प्रस्तुत प्रश्न को लेकर जो वास्तविक स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसमें से मुझे इस व्यावहारिक न्याय का सूत्र मिल जाता है । कारीगरों की ओर से प्राप्त हकीकत से पता चलता है कि आजकल अधिकांश मिलों मे ३५ फीसदी इज़ाफा दिया जा चुका है और कुछ मिलों में तो इज़ाफे की यह रकम ५० फीसदी तक पहुँच चुकी है । अतएव इस विवाद से सम्वन्ध रखनेवाले शेष समय के लिए ३५ फीसदी का इज़ाफा देना उचित है । इस-लिए पच के नाते प्राप्त अपने अधिकार के साथ मैं यह घोपित करता हूँ कि मिलमालिक कारीगरों को विवाद-सम्वन्धी शेप समय के पगार में ३५ फीसदी इज़ाफा दें, अर्थात् २७॥ टका देने के वाद वची हुई रकम वे कारीगरो को दे ।

अन्त में मुझे यह लिखते हुए सतोप होता है कि दोनो पक्षों ने परस्पर सहिष्णुता और शान्ति के साथ काम किया है, और पंच का निर्णय प्राप्त होने मे जो विलम्ब हुआ, उस बीच दोनो ने परस्पर हिलमिलकर मिलों का काम चालू रक्खा है । मुझे आशा है कि दोनों पक्ष मिलकर काम करते रहेंगे ।

ता. १०–८–१९१८ आनंदशंकर वापुभाई ध्रुव

इज़ाफा मंजूर करेंगे। यहाँ यह ध्यान में रखने योग्य है कि मजदूरों को महामारी के निमित्त उनकी मज़दूरी पर ७० फीसदी इज़ाफा मिलता था, और उन्होने अपना यह इरादा जाहिर किया था कि बढ़ती हुई महँगी के कारण वे ५० टके से कम इज़ाफा मंजूर नहीं करेंगे। परन्तु उनसे कहा गया कि वे अपनी ५० टका और मिलमालिको की २० टका के बीच की दर को मंजूर करे। (बीच की दर स्वीकार करने का निर्णय बिलकुल आकस्मिक ही था।) थोडी गुनगुनाहट के बाद सभा ने ३५ टके का इज़ाफ़ा लेना स्वीकार किया; इसके साथ यह भी मान ही लिया गया था कि जिस क्षण मिलमालिक पच के मार्फत फैसला कराना स्वीकार कर ले, उसी क्षण मजदूर भी वैसा ही करें। इसके बाद प्रतिदिन हजारो आदमी गाँव के बाहर एक पेड़ की छाया तले इकट्ठा होते थे। उनमें से कई तो बडी दूर से पैदल चलकर आते थे, और सच्चे दिल से परमात्मा को साक्षी रखकर ३५ टके से एक पाई भी कम न लेने का अपना निश्चय मजबूत करते थे। उन्हें पैसे की कोई मदद नहीं दी जाती थी। अब यह तो हर कोई समझ सकता है कि ऐसी हालत में उनमे से कइयों को भूख का कष्ट उठाना पडता था, और जबतक वे बेकार थे, उन्हें कोई कर्ज़ भी न देता था। दूसरी तरफ, उनके सहायकों की हैसियत से हमने यह निश्चय किया कि अगर उनमे से शक्तिशाली लोग मेहनत-मजदूरी करके अपना गुज़ारा करने को तैयार न हो, और हम सार्वजनिक फण्ड इकट्ठा करके उसका उपयोग उनके भरण-पोषण मे करें, तो उससे हम उनको नुकसान ही पहुँचायेंगे। जिन लोगो ने संचो पर काम किया था, उनको रेत या ईंट की टोकरियां ढोने को समझाना बहुत कठिन था। वे यह काम करते तो थे, लेकिन बडी नाराजी के साथ।

कारण के किया है, इसलिए वे पंच प्रस्ताव से हट गये और उन्होंने 'लॉक आउट' का ऐलान कर दिया। उन्होने यह भी तय कर लिया कि जिस वीस फीसदी इजाफे का ऐलान उन्होंने किया है, जबतक मज़दूर उसको मंजूर करने के लिए थकथका कर विवश नहीं हो जाते, तबतक लॉक आउट जारी रक्खा जाय। मजदूरो की ओर से भाई शकरलाल वैंकर, भाई वल्लभभाई पटेल और मैं पच नियुक्त किये गये थे। हमने देखा कि अगर हम तावडतोड और मजबूती के साथ कोई कदम नहीं उठायेंगे, तो मज़दूर दवा दिये जायेंगे। इसलिए हमने इजाफे के सिलसिले में जाँच शुरु की। हमने मिलमालिकों की सहायता पाने की कोशिश की, किन्तु उन्होंने हमें कोई सहायता न दी। उनके मन मे तो यही धुन समाई हुई थी कि मिलमालिकों का सयुक्त वल मजदूरों के ऐक्य को किस प्रकार पराजित करे। अतएव एक दृष्टि से हमारी जाँचपडताल एकतर्फा थी। फिर भी हमने मालिकों के पक्ष को ध्यान मे रखने का यत्न किया, और हम इस निश्चय पर पहुँचे कि ३५ टके का इजाफा उचित माना जा सकता है। मजदूरों को अपना यह अंक वताने से पहले हमने अपनी जाँच का परिणाम मिलमालिको की तरफ भेजा और उनसे यह भी कहा कि अगर वे उसमें कोई भूल सुझायेंगे, तो हम उसे सुधार लेने को तैयार हैं। लेकिन उन्होंने हमारे साथ किसी प्रकार का समझौता करना पसन्द ही न किया। उन्होंने अपने जवाव मे यह वताया कि ववई के सेठों और सरकार की तरफ से जो दर दी जाती है, वह हमारे द्वारा निश्चित दर से वहुत कम है। मैंने महसूस किया कि उनके जवाव का यह हिस्सा अनावश्यक था, अतएव एक विराट् सभा मे मैंने ऐलान किया कि मिल-मज़दूर ३५ फीसदी

जितनी किसी प्रत्यक्ष वस्तु में होती है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी दशा में वचन का पालन करना आवश्यक है। मैं जानता था कि हमारे सामने खड़े हुए लोग परमात्मा से डरते हैं, परन्तु लॉक आउट और हड़ताल के कई दिनों तक चलने के कारण उन पर असह्य बोझ आ पड़ा है। मैं हिन्दुस्तान में बहुत घूमा हूँ। अपनी इन यात्राओं में मैंने सैकड़ों आदमी ऐसे देखे हैं, जो पल में प्रतिज्ञा करते हैं, और पल में उसे तोड़ते हैं। मैं यह भी जानता था कि हम में जो लोग सबसे अच्छे माने जाते हैं, ईश्वर और आत्मबल के संबंध में उनकी श्रद्धा भी शिथिल और अस्पष्ट ही होती है। मैंने देखा कि मेरे लिए यह एक पवित्र अवसर है। मुझे अपनी श्रद्धा कसौटी पर चढ़ी हुई प्रतीत हुई, फलतः मैं बिना किसी संकोच के उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा कि जो प्रतिज्ञा भावपूर्वक ली गई है, मिलमजदूरों द्वारा उसका भंग होना मेरे लिए असह्य है। इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की कि जबतक मजदूरों को ३५ टका इजाफा नहीं मिलेगा, अथवा जबतक वे हार कर हाथ नहीं टेक देंगे, तबतक मैं अन्नग्रहण न करूँगा। इस समय तक सभा में पिछली सभाओं का-सा उत्साह न था, उदासी थी। लेकिन अब उसमें जादू की तरह एकाएक उत्साह आ गया। एक-एक आदमी के गाल पर टप टप आँसू टपकने लगे, और वे एक के बाद एक उठकर यह ऐलान करने लगे कि जबतक उनकी माँग मंजूर नहीं होगी, वे कभी भी मिल में काम करने नहीं जायेंगे, और जो लोग इस सभा में हाजिर नहीं हैं, उनसे मिलकर उन्हें भी मजबूत बनायेंगे। सत्य और प्रेम के प्रभाव को प्रत्यक्ष निहारने का यह एक अपूर्व अवसर था। हर एक यह महसूस करने लगा कि परमेश्वर की पालक शक्ति

मिलमालिकों ने भी अपने दिल कठोर बना लिये। उन्होंने भी २० टके से ज्यादा न देने का निश्चय किया था, और मज़दूरो को फुसलाकर उनसे हाथ टिकवाने के लिए अपने जासूस छोड रक्खे थे। लॉक आउट के शुरू में ही हमने काम न करनेवालो की मदद न कर सकने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इसके साथ हमने उन्हें यह विश्वास भी दिलाया था कि उन्हें खिलाकर और पहनाकर ही हम खायें और पहनेंगे। इस तरह २२ दिन बीत गये। भूख की पीडा का और मिलमालिकों के जासूसों का असर काम करने लगा। आसुरी भाव उनको बहकाने लगा और उनसे कहने लगा कि इस ससार में ईश्वर नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो उनकी मदद करे, और ये व्रत वगैरा तो कमजोरो की कमज़ोरी को छिपाने के लिए अख्तियार की गई तरकीबें है। मैं हमेशा देखता था कि लोग पाँच से लेकर दस हजार तक की संख्या में रोज उत्साह और उमंग के साथ इकट्ठा होते थे। उनके चेहरो से उनकी दृढता टपकती थी। लेकिन इसके बदले एक दिन मैंने सिर्फ दो हज़ार आदमियों को एकत्र देखा, जिनके चेहरो पर निराशा छाई हुई थी। इसी अर्से मे हमने यह भी सुना कि किसी एक चाल मे रहनेवाले मिल-मजदूरों ने सभा मे आने से इनकार किया है, और वे बीस टके का इजाफा मंजूर कर लेने की तैयारी में हैं। उन्होंने हमे सुनाकर यह भी कहा (और मैं समझता हूँ कि उनका कहना वाजिब था) कि हमारे पास मोटरें हैं, खाने-पीने का पूरा प्रबध है, इसलिए सभा में हाजिर रहने और मौत के मुकाबले में भी दृढ रहने की सलाह देना हमारे लिए आसान है। ऐसी दशा में मुझे क्या करना चाहिए? मुझे उनकी आपत्ति उचित मालूम हुई। ईश्वर में मुझे उतनी ही अचल श्रद्धा है

हमारे बारे मे यह कहे कि दस हजार आदमियो ने बीस-बीस दिन तक ईश्वर को साक्षी रखकर जो प्रतिज्ञा की थी, वह अचानक तोड डाली, उसकी अपेक्षा मिलमालिकों की स्वतंत्रता को और उनकी स्थिति को अनुचित रीति से विषम वनाने में मेरी जो वदनामी होगी, वह ज्यादा अच्छी है। मेरा यह दृढ विश्वास है कि जबतक लोग फौलाद की तरह मजबूत नही वनते, और जब-तक दुनिया उनकी टेक को 'मीड' और 'फारीसी' के क़ानून की तरह अटूट और अचल नही समझती, तवतक वे एक राष्ट्र वन नहीं सकते। मित्रो की राय चाहे जो वनी हो, तथापि इस समय तो मैं यही मानता हूँ कि आगे कभी ऐसा मौका आया तो जैसा कि इस पत्र मे कहा गया है, वैसा खेल खेलने में मै पीछे नही हटूँगा।

इस पत्र को समाप्त करने से पहले मैं दो व्यक्तियो के नाम प्रकट करना चाहता हूँ। हिन्दुस्तान उन पर गर्व कर सकता है। श्री० अंवालाल साराभाई मिलमालिको के प्रतिनिधि थे। वे एक सुयोग्य सज्जन हैं; वडे सुशिक्षित और सजग व्यक्ति हैं। साथ ही वे दृढ निश्चयी भी हैं। उनकी वहन श्री अनसूयावहन मिल-मजदूरों की प्रतिनिधि थीं। उनका हृदय कुन्दन की तरह निर्मल है, और ग़रीवों के लिए उनके दिल मे वहुत दया है। मिल-मजदूर उन्हें पूजते हैं, और उनकी वात को कानून का-सा मान देते हैं। मैंने ऐसी कोई लडाई नही जानी, जिसमें कटुता नाम-मात्र को हो, और दोनो पक्षो के वीच इतना विनय रहा हो। इस मधुर परिणाम का श्रेय मुख्यतः उस संवंध को है, जो इस लडाई में श्री० अंवालाल साराभाई और श्री अनसूया वहन के कारण रहा।

जितनी प्राचीन काल में हमारे आसपास रहती थी, उतनी ही आज भी है। इस प्रतिज्ञा का कोई पछतावा मुझे नहीं। वल्कि मैं तो श्रद्धापूर्वक यह मानता हूँ कि अगर मैंने कोई दूसरा तरीका अख्तियार किया होता तो मैंने अपने अगीकृत कार्य का द्रोह किया होता। प्रतिज्ञा करने से पहले भी मैं जानता था कि उसमे कुछ महान् त्रुटियाँ रह जाती हैं। मिलमालिकों के निश्चय पर किसी भी प्रकार का असर डालने के लिए इस प्रकार की प्रतिज्ञा करना तो उनके साथ घोर अन्याय करना है। मैं जानता था कि उनमें से कुछ की मित्रता का सौभाग्य मुझे प्राप्त है, लेकिन अपने इस काम से अव मैं अपने को इसके लायक रख नहीं रहा हूँ। मैं यह भी समझता था कि मेरे इस कार्य के कारण गलत-फहमी वढने का डर है। मेरे लिए यह संभव न था कि मैं उनके निर्णय पर अपने उपवास के प्रभाव को पडने से रोकूँ। दूसरे, उनके परिचय के कारण मेरी जिम्मेदारी इतनी वढ गई थी कि मैं उसे उठाने मे असमर्थ था। आमतौर पर इस तरह की लडाई मे मजदूरों के लिए जो राहत मैं उचित रूप से हासिल कर सकता था, उसीके लिए यहाँ मैं असमर्थ हो उठा। मैं जानता था कि मिलमालिको से मैं कम मे कम जो ले सकूँगा उससे, और मजदूरों द्वारा की गई प्रतिज्ञा के तत्त्वो की सिद्धि के वदले उसके स्थूल अर्थ की सिद्धि से ही मुझे सन्तोष करना पडेगा, और हुआ भी वही। मैंने तराजू के एक पलडे में अपनी प्रतिज्ञा के दोष रक्खे, और दूसरे मे उसके गुण। मनुष्यप्राणी के बिलकुल निर्दोष कर्म तो विरले ही हो सकते हैं। मैं जानता था कि मेरा काम तो खास तौर पर दोषयुक्त है। मैंने देखा कि हमारी आनेवाली सतान

गांधीजीनां गुजराती प्रकाशनो

आत्मकथा भा. १ २	१—०—०
आत्मकथा भा १–२ (नागरी लिपि)	०–१४—०
खरी केळवणी	०–१२—०
केळवणीनो कोयडो	१—०—०
धर्ममथन	०–१२—०
व्यापक धर्मभावना	०–१४—०
अहिंसा	०—८—०
वर्णव्यवस्था	०—६—०
अनासक्तियोग	०—२—०
गीतापदार्थकोष	०—४—०
मंगळप्रभात	०—१—०
आश्रमवासी प्रत्ये	०—२—०
दक्षिण आफ्रिकाना सत्याग्रहनो इतिहास भा १–२	१–१२—०
येरवडाना अनुभव	०–१२—०
हिंद स्वराज (हस्ताक्षरमां, खादीनुं पूठुं)	१–१२—०
(छापेलुं)	०—४—०
गांधीजीनुं नवजीवन (चार भाग)	११—०—०
' नीतिनाशने मार्गे '	०—४—०
त्यागमूर्ति अने बीजा लेखो	०–१२—०
सर्वोदय	०—१—६
एक सत्यवीरनी कथा अथवा सोक्रेटीसनो बचाव	०—१—०
गामडांनी वहारे	०—१—०
गीताबोध	०—१—६
गोसेवा	०—५—०

नवजीवन प्रकाशन मंदिर
अमदावाद